8 दिसम्बर 1993

अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

8 दिसम्बर, 1993 के लोक सभा वाद-विवाद के
हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
14	नीचे से 3	श्री जो॰ देवराय नामक	श्री जो॰ देवराय नायक
96	ऊपर से 5	चलाये जा रहे हैं उद्योग	चलाये जा रहे उद्योग
109	ऊपर से 1	लाभभोगी	लाभभोगी
111	नीचे से 7	(श्री एडुवडो फ्लीरो)	(श्री एडुआर्डो फ्लीरो)
113	नीचे से 4	श्री इरा अन्बारासु	श्री इरा अन्बारासु
152	ऊपर से 8	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
174	ऊपर से 7	को संशोधन	में संशोधन
200	ऊपर से 7	प्ट्रो रसायन	पेट्रो रसायन
202	नीचे से 7	डा॰ कृपासिन्धु भाई	डा॰ कृपासिंधु भोई
206	ऊपर से 4	डा॰ कीर्तिकेश्वर पात्र	डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र

विषय-सूची

दशम माला, खंड 26	आठवां सत्र, 1993	1915 (शक)
अंक 5	बुधवार, 8 दिसम्बर, 1993	17 अग्रहायण, 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या :	81 से 100	3 -30
अतारांकित प्रश्न संख्याः	841 से 857,	30 -240
	859 से 869,	
	871 से 929,	
	931 से 940,	
	942 से 991	
	और 993 से 1071	

लोक सभा

बुधवार, 8 दिसम्बर 1993 / 17 अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा 11.00 म.पू. पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खेद के साथ आपके समक्ष मेरी बात रखनी पड़ रही है । इससे पहले मैंने लिखित रुप में आपके पास क्वश्चन आवर के ससपेंशन का नोटिस भी भिजवाया है और मुझे बहुत आग्रह से आपसे यह निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारे नेताओं की जिस तरह से गिरफ्तारी केवल राजनीति से प्रेरित और राजनीति से बनाये गये मुकदमों में हुई है, इस पर हम अपना रोष प्रकट करते हैं । हमें तनिक भी . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष जी, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है । सरकार ने राजनीति से प्रेरित ** झूठे मुकदमे हमारे नेताओं पर बनाये हैं । इन्हीं मुकदमों में इन्हे माताटीला में वहां के जज ने इन मुकदमों में बाइज्जत रिहा किया था . .

अध्यक्ष महोदय . . . इसको रिकार्ड नहीं किया जाय ।

श्री जसवन्त सिंह : मैं न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सरकार पर टिप्पणी कर रहा हूं कि किस तरीके से सरकार न्यायपालिकाओं का दुरुपयोग कर रही है । मैं न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं कर रहा . . . **(व्यवधान)** . . . इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी सी.बी.आई. को लेकर बिल्कुल मनगढ़ंत मुकदमे तय किये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी सी.बी.आई. ने पहली तारीख 10 नवम्बर की दी। उस 10 नवम्बर की तारीख को राजनीति से प्रेरित होकर हटाकर 10 नवम्बर की जगह 7 दिसम्बर बना दिया गया। 10 नवम्बर से सरकार क्यों झिझकी, सी.बी.आई. से क्यों झिझकी ? वह सी.बी.आई. एक साल बाद इन मुकदमों को खड़ा करती है, वह सी.बी.आई. जो एक करोड़ के मसले को बिना किसी जांच के दबा देती है। . . . **(व्यवधान)** . . . आप मौन बैठे हैं, जिस तरह से राजनैतिक तरीके से यह गिरफ्तारी हुई हैं, यह अगर सी.बी.आई. का दुरुपयोग नहीं है तो मैं नहीं समझता कि क्या दुरुपयोग है। आज हमारे नेताओं को आप कहते हैं कि आप अपने मुचलके दीजिए। मैं आपकों बताता हूँ कि किस तरीके से सी.बी.आई. का दुरुपयोग किया जा रहा है . . .**(व्यवधान)** . . . .

---

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, प्रश्न काल के समाप्त होने के पश्चात वह अपनी बात कह सकते हैं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : मेरा स्पष्ट निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा . . . **(व्यवधान)** . . . मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मुझे समझ में नहीं आता कि सी.बी.आई. जब कचहरी के सामने जाती है तो सी.बी. आई. कहती है कि इनकी जमानत माताटीला में मिल चुकी थी . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं मैं 12 बजे के बाद आपको बोलने दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मेरी केवल दो मांगे हैं। आज हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है।

[अनुवाद]

महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मुझे आपसे दो साधारण से निवेदन करने हैं।

[हिन्दी]

मैं केवल दो निवेदन करूंगा। मेरा पहला निवेदन है कि ये झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, जब तक झूठे मुकद्दमे वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हमारे साथ निरंतर अन्याय चलता रहेगा। . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा निवेदन है कि आप अपने इनहेरेंट पावर्ज का . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपनी अंतर्निहित अवशिष्ट शक्ति का उपयोग करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस सदन के सदस्य के सम्मान और विशेषाधिकार की संरक्षित करने की खातिर यह अपील करता हूँ। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं आवसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक माननीय सदस्य के लिए अपनी इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके, आप अपनी इनहेरेंट पावर से यदि आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वह सदस्य सदन में उपस्थित रह सके तो हमारे लिए आगे बात करने का मौका मिलता है। हमारे सदस्य को इस तरीके से झूठे और मनगढंत . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : वह राष्ट्र को परेशान करने में असफल रहे अब वह सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। **(व्यवधान)** . . .

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोगों की भी बात सुनिएगा । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर आपकी भावना उत्तेजित है और उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे सदन में अलग-अलग पद्धतियों से बातें रखी जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, हम यह हाऊस नहीं चलने देंगे । आज यह हाऊस नही चल सकेगा । . . . **(व्यवधान)** . . . हमको कोई पद्धति स्वीकार नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर आप बोलना चाहें तो प्रश्न-काल समाप्त होने के बाद आप अपनी बात खुद ही कह सकेंगे ।

(व्यवधान)

11.09 म.पू.

इस समय श्री राजवीर सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

[हिन्दी]

***81. श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा.करेंगे कि :

(क) देश के वर्तमान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन संयंत्रों की क्षमता देश की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिय प्रर्याप्त है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार और अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो ये प्रस्तावित संयंत्र कहाँ-कहाँ और कब तक स्थापित किये जाएंगे ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) इस समय देश में नौ परमाणु बिजलीघर हैं जिनकी कुल क्षमता 1720 मेगावाट है - तारापुर, राजस्थान, मद्रास और नरोरा में दो-दो यूनिट और ककरापार में एक यूनिट ।

(ख) इस समय उत्पादित परमाणु बिजली देश में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 2.2 प्रतिशत बैठती है ।

(ग) तथा (घ) पांच और परमाणु बिजलीघर निर्माणाधीन हैं । ककरापार में दूसरा यूनिट पूरा होने वाला है और उसके फरवरी 1994 में क्रांतिक हो जाने की आशा है । कर्नाटक में कैगा में दो यूनिटों के जून 1996 और दिसम्बर, 1996 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने की आशा है । राजस्थान परमाणु बिजलीघर में दो और यूनिटों के नवम्बर 1996 और मई 1997 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने का कार्यक्रम है । धन उपलब्ध होने पर अतिरिक्त परमाणु बिजलीघर लगाने का काम हाथ में लिया जायगा ।

महिलाओं के लिये आरक्षण

[अनुवाद]

***82. श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रुप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग). यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

रक्त और ऊत्तकों के नमूने

***83. श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के महत्वपूर्ण रक्त और विभिन्न अंगों से लिए गए ऊत्तकों के नमूनों को समुचित ढंग से सुरक्षित रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन नमूनों को भविष्य में यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध ठोस प्रमाण के रुप में इस्तेमाल किया जायेगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के महत्वपूर्ण रक्त नमूनों एवं विभिन्न अंगों से लिए गए ऊतकों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की है । इन्हें 70 डिग्री सेन्टीग्रेड पर डीप फ्रीजर में और फार्मेलिन में सुरक्षित रखा जाता है ।

(ग) और (घ). जी,हां । नमूनों के विष वैज्ञानिक विश्लेषण से पीड़ितों पर गैस रिसाव के प्रभाव के संबंध में महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध होगा ।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग

*** 84. श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी, हां । गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश भर में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थानों और संबंधित राज्य के.वी.आई. बोर्डों के जरिये किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को अनुदान व ऋण के रुप में दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रुपये लाख में)

	गुजरात	महाराष्ट्र	राजस्थान
1990-91			
खादी अनुदान	676.18	322.95	435.12
खादी ऋण	168.96	63.64	181.33
ग्रामोद्योग अनुदान	10.96	19.28	6.70
ग्रामोद्योग ऋण	130.00	716.42	227.49
1991-92			
खादी अनुदान	400.15	273.16	597.33
खादी ऋण	59.51	22.95	216.48
ग्रामोद्योग अनुदान	31.56	27.11	25.77
ग्रामोद्योग ऋण	58.94	1048.68	460.28
1992-93			
खादी अनुदान	772.96	354.00	529.14
खादी ऋण	112.02	328.70	153.23
ग्रामोद्योग अनुदान	60.99	33.02	23.05
ग्रामोद्योग ऋण	105.31	967.04	112.66

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इन राज्यों को निम्नलिखित राशि दी है : -

(रु. लाख में)

	खादी अनुदान	ग्रामोद्योग अनुदान	ग्रामोद्योग ऋण
गुजरात	778.08	60.01	24.64
महाराष्ट्र	261.28	28.27	232.45
राजस्थान	489.73	3.97	47.41

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परती भूमि का विकास

*85. **श्री काशी राम राणा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परती भूमि के विकास हेतु कम ब्याज-दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा इस प्रयोजन के लिए इसमें निगमित क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराने हेतु ''सिंगल बिन्डो'' सुविधा उपलब्ध कराने के पक्ष में है ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य-योजना बनाई है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) देश में, विशेष रुप से गुजरात में परती भूमि के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) से (ख). वनेत्तर क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए निगमित क्षेत्रों और वित्तीय संस्थाओं से निवेश जुटाने के उद्देश्य से सरकार पूर्व योजना के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और निगमित/नाबार्ड/राष्ट्रीय कृत बैंकों के परामर्श से एक निवेश संवर्धन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड वनेत्तर बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक अनुदान अथवा प्रति योजना 25 लाख रुपए तक, जो भी कम हो, प्रदान करेगा, बशर्ते कि परियोजना बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि दिए जाने के लिए स्वीकृत कर दी गई हो ।

(ग) से (ङ). चूंकि विभिन्न संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां, बंजर भूमि के विकास हेतु परियोजनाओं के अनुमोदन जिसमें भूमि का पता लगाने और उसको उपलब्धता, परियोजनाओं तथा विकास हेतु विशिष्ट प्रौद्योगिकी को स्वीकृति प्रदान करना और परियोजना तैयार करने एवं उसे आर्थिक सहायता प्रदान करना और राज्य भूमि कानून संबंधी मुद्दे शामिल हैं, से संबंधित प्रक्रिया शामिल होती है, अतः ऐसी स्थिति में सिंगिल विंडों स्वीकृति देने की सुविधा सम्भव नहीं होगी । तथापि, विभाग उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जहां बंजर भूमि की उपलब्धता से संबंधित डाटा आधार और बंजर भूमि विकास परियोजना चलाने के इच्छुक निगमित निकायों और निजी उद्यमियों आदि को ''एस्कार्ट'' सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हों ।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित देश में वनीकरण / वृक्षारोपण तथा संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से बंजर भूमि के विकास पर खर्च की गई धनराशि निम्न प्रकार है : -

वर्ष	देश	गुजरात राज्य
	(करोड़ रुपए में)	
1990-91	538.95	35.08
1991-92	751.98	58.20
1992-93	734.82	41.27

स्वच्छ जल

*86. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के कितने-कितने गांवों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; तथा इस मिशन के अंतगर्त कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) 1981 की गणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या और स्वच्छ पेयजल सप्लाई किए जा रहे गांवों की संख्या से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण - I में दी गई है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष (1992-93) में जिन गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं, और जिन गांवों/बस्तियों में दूसरे वर्ष (1993-94) में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने की संभावना है, की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण - II में दी गई है । ऐसे गांवों/बस्तियों, जिनमें 1994-95 से लेकर 1996-97 के दौरान स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, की संख्या के राज्यवार ब्यौरे वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर तय किए जायेंगे, जो केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम/राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के लिये अनुमोदित परिव्यय पर निर्भर करेंगे, जिसमें बिना जल स्रोत वाली बस्तियों, अधिक फलोराइड, अधिक लौह, खारेपन, संखिया आदि जैसी पेयजल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाली बस्तियों को कवर करने को प्राथमिकता दी जाएगी, आंशिक रुप से कवर किए गए गांवों/बस्तियों में पेयजल की सप्लाई की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी ।

(ग) व (घ). राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतगर्त त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतगर्त तीन संघ-शासित क्षेत्रों सहित 55 जिलों में मिनी-मिशन योजनाओं, फलोरोसिस, अधिक लौह, खारापन पर नियंत्रण तथा पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखने संबंधी उप-मिशनों जैसी गतिविधियों को वर्ष दर वर्ष के आधार पर अनुमोदित परिव्यय के दायरे में अनुमोदित योजनाओं के अनुसार भली-भांति कार्यान्वित किया जा रहा है । मिनी मिशन परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31.3.94 कर दिया गया है ।

मिशन के अंतर्गत कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम

(क) मिनी मिशन परियोजनाओं के यथाशीघ्र समेकन और पूरा करने के लिये योजनाएं अनुमोदित की गई हैं ।

(ख) चल रहे मिनी मिशनों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिये और भविष्य के लिये नीति की सिफारिश करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ।

(ग) फलोरोसिस नियंत्रण, जागरुकता, स्वास्थ्य शिक्षा, रोग विज्ञान सर्वेक्षण और जल गुणवत्ता के विश्लेषण के लिये सभी प्रभावित राज्यों में एक तीन-स्तरीय अभियान चलाया गया है ।

(घ) फलोराइड और लौह दूर करने के संयंत्रों से युक्त हैन्डपम्प के तकनीकी पैमाने और डिजाइन में सुधार किया गया है जिससे उनकी कमियों को दूर किया जा सके और शेष संयंत्रों को भी स्थापित और शुरु किया जा सके ।

(ङ) खारापन दूर करने के संयंत्रों की एक आंतरिक समीक्षा की गई है और बन्द पड़े संयंत्रों/पूरी क्षमता भर कार्य नहीं कर रहे संयंत्रों को ठीक करने के लिये कदम उठाए गए हैं ।

(च) राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में गिनीकीट के उन्मूलन संबंधी उपमिशन को पूरा करने के लिये 52 करोड़ रुपये की कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं ।

(छ) मिशन के ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

(ज) राज्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों की पूर्ण वित्तीय और भौतिक सहभागिता से बेहतर परिणामों के लिये मिशन के क्रियाकलापों के वित्त पोषण के पैटर्न की समीक्षा की जा रही है ।

(झ) गैर-सरकारी संगठनों की बेहतर सहभागिता लोगों की सहभागिता और जल आपूर्ति योजनाओं की विकेन्द्रीकृत परियोजना तैयार करने का कार्य और रख-रखाव पर बल दिया जा रहा है जिसमें पंरम्परागत प्रौद्योगिकियों और स्थायित्व को विशेष तरजीह दी जाएगी ।

(ट) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें, तकनीकी अधिकारियों द्वारा दौरे, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टों तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ उपर्युक्त औपचारिक और अनौपचारिक पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से प्रगति की निगरानी ।

(ठ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि के लिये कार्य योजना निर्धारित करने और सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी के लिये एक राष्ट्र स्तरीय नया सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया गया है ।

(ड) ग्रामीण जल आपूर्ति के लिये परिव्यय की केन्द्रीय क्षेत्र के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के 1206.72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5100 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के 2350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 4954.23 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

विवरण -I

स्वच्छ पेयजल सुविधा वाले गांवों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार गांवों की कुल संख्या	स्वच्छ पेयजल सुविधा वाले गांवों की संख्या (आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों सहित) (31.10.93 तक)	कालम 4 में से आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	27379	27379	2561
2.	अरुणाचल प्रदेश	3257	3257	2411
3.	असम	21995	21986	264
4.	बिहार	67546	67546	4962
5.	गोआ	386	386	28
6.	गुजरात	18114	18104	176
7.	हरियाणा	6745	6745	477
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	16807	4909
9.	जम्मू व कश्मीर	6477	6256	169
10.	कर्नाटक	27028	27028	5582
11.	केरल	1219	1219	1204
12.	मध्य प्रदेश	71352	71352	4159
13.	महाराष्ट्र	39354	39332	1047
14.	मणिपुर	2035	2035	675
15.	मेघालय	4902	4650	1109
16.	मिजोरम	721	721	517
17.	नागालैंड	1112	1112	300
18.	उड़ीसा	46553	46537	132

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	12342	12342	772
20.	राजस्थान	34968	34921	2756
21.	सिक्किम	440	440	133
22.	तमिलनाडु	15831	15831	2240
23.	त्रिपुरा	4727	4724	265
24.	उत्तर प्रदेश	112566	112474	3099
25.	पश्चिम बंगाल	38024	38024	13205
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	491	491	98
27.	दमन व दीव	26	26	25
28.	लक्षद्वीप	7	7	7
29.	पांडिचेरी	291	291	25
30.	दिल्ली	214	214	0
31.	दादरा व नगर हवेली	70	70	5
32.	चंडीगढ़	24	24	0
	योग :	583003	582331	53312

विवरण - II

1992-93 और 1993-94 के दौरान स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए गए/कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 कवर किए गए गांवों की संख्या	1993-94 कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या (लक्ष्य)	31.10.93 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	681	1269	930
2.	अरुणाचल प्रदेश	169	150	10
3.	असम	156	714	135
4.	बिहार	5188	6281	1319

5.	गोआ	54	55	27
6.	गुजरात	456	500	213
7.	हरियाणा	334	700	223
8.	हिमाचल प्रदेश	573	840	162
9.	जम्मू व कश्मीर	94	214	7
10.	कर्नाटक	5056	5500	2289
11.	केरल	252	200	60
12.	मध्य प्रदेश	5666	5600	3033
13.	महाराष्ट्र	814	1000	530
14.	मणिपुर	86	170	26
15.	मेघालय	688	560	49
16.	मिजोरम	154	165	19
17.	नागालैंड	49	141	0
18.	उड़ीसा	1600	2500	1405
19.	पंजाब	650	475	133
20.	राजस्थान	2010	2195	783
21.	सिक्किम	18	139	6
22.	तमिलनाडु	2663	3500	787
23.	त्रिपुरा	229	420	83
24.	उत्तर प्रदेश	4964	5084	2642
25.	पश्चिम बंगाल	1715	2008	710
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	18	20	6
27.	दमन व दीव	4	25	2
28.	लक्षद्वीप	4	2	0
29.	पांडिचेरी	20	25	0
30.	दिल्ली	0	0	–
31.	दादरा व नगर हवेली	0	5	–
32.	चंडीगढ़	0	0	
	योग :	34375	40457	15589

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. को अर्थक्षम बनाने की एकमुश्त योजना

*** 87. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे में चल रही ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. को अर्थक्षम बनाने संबंधी एकमुश्त योजना को हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जी, नहीं । इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआईसीए) के उपबंधों के अन्तर्गत बीआईएफ आर द्वारा औपचारिक तौर पर रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया है । एसआईसीए के उपबंधों के अनुसार कंपनी का पुनरुद्धार या अन्यथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के विचाराधीन है ।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन

*** 88. श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की सभी इकाइयों के बंद हो जाने से देश में उर्वरकों की कमी हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इकाइयों के इस तरह बंद होने का क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात करने का कोई फैसला किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) स्ट्रेट नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में रत

है । इसके छः एककों में से, हल्दिया एकक ने कभी भी वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया । दुर्गापुर और बरौनी एककों में, जो अगस्त, 93 तक उत्पादन कर रहे थे, उत्पादन अस्थायी रुप से बन्द कर दिया गया है । नामरुप-II और III स्थित एकक कार्य कर रहे हैं ।

(घ) और (ङ). 1993-94 के दौरान नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की कुल मांग का अनुमान 96.50 लाख टन न्यूट्रियेन्ट लगाया गया है । मांग की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि तथा आयातों से की जा रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास-निर्माण संबंधी लक्ष्य

*** 89. श्री जीवन शर्मा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है ;

(ख) मकानों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य पूरे न कर पाने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया गया है ;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा दिल्लीं विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित अन्य उच्चाधिकार प्राप्त समितियों ने भी इसकी आलोचना की है ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों में डी.डी.ए. फ्लैटों का 85 प्रतिशत से 94 प्रतिशत लक्ष्य निर्माण पूरा कर लिया गया है ।

(ख) लक्ष्य प्राप्ति में आंशिक कमी के कारण हैं : -

(1) ठेकागत समस्याएं, और

(2) सीमेन्ट, स्टील, पाइप आदि भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति में कभी-कभी कमी होना ।

प्राधिकरण द्वारा मकानों के शीघ्रतर निर्माण के लिए की गई कार्रवाई में बेहतर ठेकागत प्रबन्ध तथा भवन निर्माण सामग्री नियंत्रण शामल हैं ।

(ग) तथा (घ). प्राधिकरण के कार्यकलापों की जांच के लिए गत पांच वर्षों में कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित नहीं की गई । तथापि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (मार्च, 1992 को समाप्त अवधि) में स्वीकृत संख्या से अधिक स्टाफ होने का उल्लेख प्राधिकरण की स्टाफ संख्या (वर्कचार्ज कर्मिकों सहित) जो 1.4.92 को 32,483 थी, को घटाकर 1.7.93 को 27,431 कर दिया गया है । महालेखा परीक्षक द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है ।

भूकम्प संबंधी पूर्वानुमान

90. श्री जी. देवराय नायक :

श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्तूबर, 1993 के ''इकानामिक टाइम्स'' में ''क्वेक कुड हैव बीन प्रिडिक्टिड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में महाराष्ट्र मे आए भूकम्प का पूर्वानुमान लगाने के लिए भूकम्प वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त आंकड़े उपलबध थे ;

(ग) यदि हां, तो इस भूकम्प के बारे में पूर्वानुमान न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या समूचे देश की भूकम्पनीय स्थिति के सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या ठोस उपाय करने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व में कहीं भी ऐसी टेक्नोलोजी उपलब्ध नहीं हैं जिससे भूकंप के समय, स्थान तथा परिमाण का सही-सही पूर्वानुमान लगाया जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). जी हां, श्री बी के राव, भारत सरकार के खनन विभाग में भूतपूर्व सचिव, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं :

(i) विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टो, विशेषकर जो प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित हैं, की जांच करना ताकि इन रिपोर्टो पर संबंधित एजेसियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का मूल्यांकन किया जा सके ।

(ii) यदि कोई कमी नजर आये तो उसे दूर करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा उठाये जाने वाले उपयुक्त कदमों की सिफारिश करना ।

(iii) तूफान चेतावनी तथा भूंकप अवकोलनों से संबद्ध प्रस्तावित मिशन मोड प्रोजेक्ट के संगत हिस्सों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संभव उपाय सुझाना जिनसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के भूकंपीय सर्वेक्षण किए जा सकें ।

(iv) कोई अन्य मामला जो उपर्युक्त से संबद्ध हो ।

(च) समिति को अपनी रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर देने के लिए कहा गया था । समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है । देश में राष्ट्रीय भूंकपीय नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए भूंकप अवलोकनों पर आधारित मिशन मोड़ प्रोजेक्ट का विकास किया जा रहा है ।

चुनाव मार्गनिर्देश

*** 91. श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों में हाल में हो रहे चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए आदर्श आचार संहिता पर आधारित मार्गनिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) किस सीमा तक इनका अनुपालन किया गया है ;

(घ) क्या इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलगन है ।

(ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि वह आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करा रहा है ।

(घ) और (ङ). निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसे पत्रों, तारों, टेलेक्स, फैक्स संवादों और टेलीफोन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हो रही हैं और इन सभी शिकायतों के ब्यौरों को संकलित करना संभव नहीं हो सका है ।

विवरण

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विस्तृत ब्यौरे :

1. ये मार्ग दर्शक सिद्धांत किसी दल या अभ्यर्थी को निम्नलिखित से अवरुद्ध करते हैं :-

(i) मत प्राप्त करने के लिए किसी जातिगत या सांप्रदायिक भावना से अपील करना ;

(ii) ऐसे क्रिया कलापों में भाग लेना, जिनसे विभिन्न जातियां, और संप्रदायों के बीच विद्यमान भेदभावों को बढ़ावा मिले, आपस में घृणा पैदा हो, या धार्मिक या भाषाई तनाव कारित होता हो ;

(iii) अन्य दलों के नेताओं या कार्यकताओं के निजी जीवन के ऐसे किसी पहलू की आलोचना करना जिसका लोक क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है ;

(iv) भ्रष्ट आचरणों में आसक्त होना ;

(v) किसी व्यष्टि के शांतिपूर्ण और अक्षुब्ध घरेलू जीवन के अधिकार का अतिक्रमण करना ;

(vi) झंडा लगाने, बैनर टांगने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यष्टि की भूमि, भवन, चारदीवारी आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करना ;

(vii) अन्य दलों द्वारा आयोजित की गई जन सभाओं में गड़बड़ करना ;

(vii) मतदान दिवस को या इसके पूर्व 24 घंटों के दौरान शराब पिलाना या वितरित करना ।

2. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा किसी दल या अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कोई सभा आयोजित करने या जुलूस निकालने के पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करे और जहां आवश्यक हो उसकी अनुमति प्राप्त करे ।

3. ये मार्गदर्शक सिद्धांत सत्तारुढ़ दल को, अपने निर्वाचन अभियान या मत प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए अपनी शासकीय स्थिति का उपयोग करने से अवरूद्ध करते हैं । सत्तारुढ़ दल को विशेष रूप से निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए कि : -

(क) मंत्री अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन संबंधी कार्य के साथ न जोड़े और शासकीय मशीनरी या कार्मिकों का उपयोग निर्वाचन संबंधी कार्यों में न करें ;

(ख) मंत्री शासकीय परिवहन, जिसके अंतर्गत शासकीय वायुयान भी हैं, का उपयोग न करें ;

(ग) उसे सार्वजनिक स्थानों, जैसे मैदानों आदि का उपयोग करने, आराम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी निवासों में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के संबंध में एकाधिकार प्राप्त नहीं होगा ;

(घ) पक्षपातपूर्ण व्याप्ति के लिए राजनैतिक समाचारों के विज्ञापन और उनकी अभिप्राप्ति के लिए प्रचार राजकोष की लागत पर न जारी किए जाएं ;

(ङ) मंत्री और अन्य प्राधिकारी अनुदानों/संदायों की मंजूरी विवेकिक निधि से न दें ।

(च) मंत्री और अन्य प्राधिकारी किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या स्कीमों का शिलान्यास आदि न करें और किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान की घोषणा न करें, या सरकार लोक उपक्रमों आदि में कोई तदर्थ नियुक्ति न करें या सड़क बनाए जाने, पीने के पानी की सुविधा आदि संबंधी व्यवस्था किए जाने का कोई वचन न दें ।

योजना निवेश में कमी

*** 92. श्री प्रकाश बी. पाटिल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 की योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के योजना निवेश में दस प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र के निवेश में सात प्रतिशत की समग्र कमी हुई ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या क्या है ;

(ग) 1993-94 में योजना निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए संशोधित अनुमान केन्द्रीय सेक्टर में योजना व्यय में समग्र कमी को नहीं दर्शाते हैं, तथापि, राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1992-93 में राज्य सेक्टर में योजना व्यय में 7 प्रतिशत से अधिक की कमी होने का अनुमान है ;

(ख) वर्ष 1992-93 में राज्यों के योजना व्यय में कमी के प्रमुख कारण हैं ; योजना के लिए उपलब्ध राज्यों के अपने स्वयं के संसाधनों में गिरावट तथा राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक योजना 1992-93 के वित्त पोषण हेतु उपलब्ध कराये गये अनुमानों की तुलना में परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता का अपेक्षाकृत कम उपयोग;

(ग) अतिरिक्त संसाधन जुटाव (ए.आर.एम.), राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार, व्यय में किफायत, परियोजना आधारित बाण्डों/डिबेंचरों तथा लघु बचतों के बेहतर जुटाव के माध्यम से राज्यों को अपने संसाधन और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने के लिए कहा गया है ।

अपारम्परिक ऊर्जा

[हिन्दी]

*** 93. श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत में अपारंपरिक ऊर्जा के विकास में अपनी रुचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है ;

(ग) इन देशों ने अपारंपरिक ऊर्जा के किन-किन क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है ;

(घ) क्या अनिवासी भारतीयों ने भी अपारंपरिक ऊर्जा के विकास के लिए भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखायी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क)*से (ग). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में कुछ विकसित देशों और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग के ढांचे में, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी करार शामिल हैं, द्विपक्षीय रुचि के आधार पर सहयोग किया जा रहा है । सौर, पवन, बायोऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और विद्युतीय वाहन व विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें कुछ देशों अर्थात् अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इस्राइल, नीदरलैंड और स्वीडन ने रुचि दिखाई है ।

(घ) और (ङ). अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में अनिवासी भारतीयों द्वारा भी रूचि दिखाई गई है। प्रारंभिक प्रस्ताव पवन फार्म विकास परियोजनाओं और सौर ऊर्जा साधनों आदि के लिए संयुक्त उद्यमों के लिए हैं ।

(च) सरकार अपारंपरिक ऊर्जा के विकास के लिए, जिसमें विदेशी निवेश और सहयोग शामिल हैं, प्रोत्साहन दे रही है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

***94. श्री उदय प्रताप सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है ;

(ख) इसके परिणामस्वरुप प्रत्येक उद्यम को कितना प्रतिशत लाभ हुआ ;

(ग) उनमें से किन-किन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार नहीं हुआ है ; और

(घ) इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी क्षेत्र के 63 प्रतिशत उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है । इन कंपनियों के नाम विवरण - I में दिए गए हैं ।

(ख) चूंकि दर्शाया गया कार्यनिष्पादन विभिन्न मानदण्डों का भारित औसत हैं, इसलिए प्राप्त लाभ की प्रतिशतता एक मानदण्ड से दूसरे मानदण्ड में तथा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भिन्न -भिन्न है । बहरहाल, जहां तक सकल उपांत लाभ का सम्बन्ध है, एक समूह के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 13 प्रतिशत सुधार दर्शाया है ।

(ग) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात सरकारी क्षेत्र के जिन 17 उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार नहीं हुआ है, उनके नाम विवरण -II में दिए गए हैं ।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ सुधार न होने के कारण थे - अधिक उपरिव्यय, अनियमित विद्युत आपूर्ति, घटी हुई बजटगत सहायता, सरकारी खर्च, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा पुरानी प्रौद्योगिकी इत्यादि ।

विवरण -I

सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम, निजके कार्यनिष्पदन में समझौता ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 1992-93 में सुधार हुआ है

1. नेशनल थर्मल पावर कारपो.
2. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
4. कोचीन रिफाइनरीज लि.
5. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.

6. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.
7. भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
8. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इण्डिया लि.
9. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.
10. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो. लि.
11. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.
12. गोवा शिपयार्ड लि.
13. जल एवं विद्युत परामर्शदायी सेवाएं निगम
14. भारतीय गैस प्राधिकरण लि.
15. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
16. बामेर लॉरी लि.
17. इण्डियन आयल कारपो.
18. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.
19. सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स कारपो. लि.
20. इंजीनियर्स इण्डिया लि.
21. रद्दी धातु व्यापार निगम लि
22. मद्रास रिफाइनरीज लि.
23. फैरो स्क्रेप निगम लि.
24. आई.बी.पी.कम्पनी लि.
25. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.
26. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
27. नेशनल एलयुमिनियम कम्पनी लि.
28. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.
29. ड्रेजिंग कारपो. आफ इण्डिया लि.
30. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.
31. मैगनीज ओर इण्डिया लि.
32. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि.

33. रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इको. सर्विसेज लि.

34. भारतीय नौवहन निगम लि.

35. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.

36. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

37. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.

38. विदेश संचार निगम

39. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.

40. हिन्दुस्तान केबल्स लि.

41. मझगांव डाक लि.

42. भारत पैट्रोलियम कारपो. लि.

टिप्पणी : - इनमें सरकारी क्षेत्र के वे आठ (8) उद्यम शामिल नहीं हैं, जिनका कार्य निष्पादन स्थिर रहा है ।

विवरण - II

सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम जिनके कार्यनिष्पादन में वर्ष 1992-93 के दौरान सुधार नहीं हुआ है ।

1. इलेक्ट्रानिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
2. इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
3. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
4. सी.एम.सी.लि.
5. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लि.
6. इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.
7. भारत इलैक्ट्रानिक लि.
8. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स कारपो. लि.
9. परियोजना एवं उपस्कर निगम लि.
10. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
11. केन्द्रीय भाण्डागार निगम लि.
12. ऑयल इण्डिया लि.
13. हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.

14. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.

15. एच. एम.टी. लि.

16. एजूकेशनल कंसल्टेंटस इण्डिया लि.

17. भारत एल्युमिनियम लि.

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

*** 95. श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

श्री हरिन पाठक :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन सप्लाई करने संबंधी त्रिपक्षीय समझौतों की अवधि 24 अक्तूबर, 1993 को समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संयंत्र को बंद करने का अथवा इसे आवश्यक ईधन उपलब्ध कराने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का है ;

(ग) क्या जले हुई ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण करने तथा उपलब्ध भंडार से मिश्रित यूरेनियम/प्लूटोनियम ईंधन तत्वों का निर्माण करने पर कोई पाबंदी है ;

(घ) क्या ऐसा पुनर्प्रसंस्करण किसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पायों संबंधी शर्तों के अध्याधीन होगा ; और

(ङ) क्या संवर्धित यूरेनियम के प्रयोग के प्रतिस्थापन के रूप में मिश्रित ईंधन तत्वों के प्रयोग से ईंधन उत्पादन की मूल निर्धारित क्षमता को बनाए रखा जा सकता है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर में सुरक्षोपायों संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच किया गया त्रिपक्षीय करार 24 अक्तूबर, 1993 को समाप्त हो गया है । यह करार तारापुर परमाणु बिजलीघर में सुरक्षोपायों को लागू करने के बारे में किया गया था न कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए न्यूक्लियर ईंधन की सप्लाई करने के लिए ।

(ख) वर्तमान में, तारापुर परमाणु बिजलीघर को कम समृद्ध यूरेनियम को काम में लाकर परिचालित किया जा रहा है । तारापुर परमाणु बिजलीघर का परिचालन ऐसे ईंधन कोड की सहायता से जारी रखने का प्रस्ताव है जो देश में ही तैयार किए गए मॉक्स (मिश्रित यूरेनियम प्लूटोनियम आक्साइड) ईधन और समृद्ध यूरेनियम ईधन से बना हो ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को स्वेच्छा से प्रस्तुत अपने प्रस्ताव के अंतगर्त, इस प्रकार के पुनर्संसाधन पर अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सुरक्षोपाय लागू करने का है ।

(ङ) तारापुर परमाणु बिजलीघर को मिश्रित यूरेनियम.- प्लूटोनियम ऑक्साइड ईधन और कम समृद्ध यूरेनियम ईधन से बने ईधन क्रोड की सहायता से चलाने से इस बिजलीघर की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि क्रोड ईधन को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि विद्युत उत्पादन वैसा ही बना रहे ।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

*** 96. डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1993 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग के पास उड़ीसा की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी थी ;

(ख) स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या करण हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31 अगस्त, 1993 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग के समक्ष उड़ीसा में तितिलागढ़ मझौली सिंचाई परियोजना नामक एक मझौली सिंचाई परियोजना निवेश मंजूरी के लिए लंबित पड़ी थी ।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार योजना आयोग को 31 अगस्त, 1993 तक पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 2112.84 लाख रुपये है तथा अधिकतम सिंचाई क्षमता 2950 हैक्टेयर है ।

(घ) यह परियोजना 21.10.1993 को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति के लिए अनुमोदित की गई थी ।

गरीबी की रेखा

***97. श्री श्रीकान्त जेना :**

श्री एस. बी. सिदनाल:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा (शहरी तथा ग्रामीण) में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है / कमी आई है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने गरीबी की रेखा और इससे संबंधित मसलों का निर्धारण करने हेतु आयोग द्वारा अपनाए गये तरीके की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की है ;

(ग) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ दल की सिफारिशें क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) नवीनतम वर्ष जिसके लिए गरीबी आकलन किए गए हैं 1987-88 हैं, योजना आयोग द्वारा पहले प्रयोग में लाई जा रही क्रियाविधि और योजना आयोग द्वारा स्थापित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार 1987-88 के लिए गरीबी रेखाएं विवरण - I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान लगाने की क्रियाविधि की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था । विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें अनुबंध - II में दी गई हैं ।

(घ) राज्यवार गरीबी अनुमानों और कार्यक्रमों के लिए की गई उनकी विविक्षाओं के संदर्भ में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है ।

विवरण - I

1987 - 88 में गरीबी रेखा

पहले प्रयोग में लाई गई कार्यविधि के अनुसार

(रु. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)

सभी राज्य और	ग्रामीण	शहरी
संघ राज्य क्षेत्र	131.8	152.1

विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश की गई गरीबी रेखाएं

(रु. प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	91.94	159.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.44	140.45
3.	असम	127.44	140.45
4.	बिहार	120.36	161.19
5.	गोआ	115.61	184.45

1	2	3	4
6.	गुजरात	115.00	175.57
7.	हरियाणा	122.90	142.15
8.	हिमाचल प्रदेश	122.90	142.63
9.	जम्मू व कश्मीर	124.33	145.22
10.	कर्नाटक	104.36	171.23
11.	केरल	130.61	175.11
12.	मध्य प्रदेश	107.00	178.44
13.	महाराष्ट्र	115.61	184.45
14.	मणिपुर	127.44	140.45
15.	मेघालय	127.44	140.45
16.	मिजोरम	127.44	140.45
17.	नागालैंड	127.44	140.45
18.	उड़ीसा	121.41	170.63
19.	पंजाब	122.90	143.11
20.	राजस्थान	117.52	166.72
21.	सिक्किम	127.44	140.45
22.	तमिलनाडु	118.23	174.82
23.	त्रिपुरा	127.44	140.45
24.	उत्तर प्रदेश	114.57	154.78
25.	पश्चिम बंगाल	129.21	148.95
26.	दिल्ली	122.90	178.48
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	118.23	174.82
28.	चंडीगढ़	143.11	143.11
29.	दादरा व नगर हवेली	115.61	184.45
30.	लक्षद्वीप	130.61	175.11
31.	पांडिचेरी	118.23	174.82

टिप्पणी : इस समय गरीबी के अनुमानों के लिए प्रयोग में लाई जा रही कार्यविधि में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान गरीबी रेखा ली जा रही है ।

विवरण -II

गरीबों के समानुपात और संख्या पर विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें

दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं : -

न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोक्ता मांग के अनुमान पर कतिक बल द्वारा 1973-74 की कीमतों पर एक माह में प्रति व्यक्ति कुल व्यय रु. 49.09 (ग्रामीण) और रु. 56.64 (शहरी) को आधार रेखा के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई थी । 1973-74 में यथा-प्राप्त उपभोग पेटर्न के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निश्चित लेने की सिफारिश की गई थी । दल ने आगे यह सिफारिश की है कि सभी राज्यों में समान रुप से ये मान दण्ड अपना लिए जायें ।

2. राज्य संबंधी विशिष्ट गरीबी रेखा का निम्नानुसार आकलन किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के अनुरूप मानकीकत वस्तुओं का मूल्य आधार वर्ष अर्थात् 1973-74 में प्रत्येक राज्य में चल रही कीमतों पर आंका जाना चाहिए। दिए गए वर्ष में चालू कीमतों के अनुसार गरीबी रेखा को अद्यतन करने के लिए हमें राज्य के विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचक की आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिए, 1973-74 में गरीबी रेखा के आस-पास 20 से 30 प्रतिशत जनसंख्या के अवलोकित आखिल भारतीय उपभोक्ता पैटर्न से विशिष्ट राज्य के भारण आरेख को बनाया जाना चाहिए ।

3. यह आवश्यक है कि चुने गए डिफ्लेटर्स तीन मुख्य अपेक्षाओं को पूरा करें (क) उन्हें राज्य विशिष्ट, आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा के अनुरूप होना चाहिए । (ख) उन्हें गरीबी रेखा के इर्द-गिर्द की उपभोक्ता बास्केट की संगत कीमतों को यथा संभव निकट से प्रतिबिम्बित करना चाहिए और (ग) डिफ्लेटर्स के निर्माण के लिए आधारभूत आंकड़े समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए वे राज्यों में तुलनयी और सुसंगत होने चाहिए ।

4. दल इस नतीजे पर पहुंचा था कि ग्रामीण गरीबी रेखा को अद्यतन करने के लिए कृषि श्रमिकों (सी पी आई ए एल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक से बिखरे हुए विक्रय वस्तु सूचकों पर और शहरी गरीबी रेखा को अद्यतन करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआईआईडब्ल्यू) और हाथ से काम न करने वाले कर्मचारियों (सीपीआईएनएम) के उपभोक्ता मूल्य सूचक के उपयुक्त भारण विक्रय वस्तु सूचक के साधारण औसत पर निर्भर करना अति उपयुक्त होगा ।

5. अद्यतन की गई राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं और उसके अनुरूप एनएसएस के प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (पीसीटीई) के अनुरूप वितरण परिमाण को रखकर कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में गरीबों की संख्या अथवा गरीबी अनुपात की संगणना प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी के लिए भिन्न-भिन्न की जानी चाहिए । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य में गरीबों की संख्या जनगणना महापंजीयक द्वारा दी गई प्राक्कलित जनसंख्या पर गरीबी अनुपात लागू करके संगणित की जानी चाहिए । अखिल भारतीय (ग्रामीण और शहरी) जनसंख्या गरीबी अनुपात पूरे भारत में (ग्रामीण और शहरी) राज्यवार गरीब व्यक्तियों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में निकाला जाना चाहिए । अखिल भारतीय गरीबी अनुपात तथा उसी एन एस एस सर्वेक्षण

से प्राप्त व्यय श्रेणियों के माध्यम से जनसंख्या के अखिल भारतीय वर्गीकरण के अनुसार निर्विवाद अखिल भारतीय गरीबी रेखा तय की जानी चाहिए ।

6. राज्यों के संदर्भ में गरीबी रेखा तथा गरीबी अनुपात, जहां उपयुक्त डाटा दबाव है, क्षेत्रों की वास्तविक निकटता के विचार तथा अन्य आर्थिक पैरामीटरों द्वारा निर्दिष्ट आर्थिक रूपरेखा समानता के आधार पर पड़ौसी क्षेत्रों से निर्धारित करना चाहिए ।

7. एन एस एस खपत सर्वेक्षण : जो प्रति व्यक्ति औसत कुल खपत व्यय तथा लगभग जनसंख्या वर्गीकरण आकार के राज्य स्तरीय अनुमानों के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में दिए जाते हैं, को पंचवार्षिक आधार, पर गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के अनुपात, अनुमान के लिए सूचना का बुनियादी स्रोत होना चाहिए । वर्ष 1977-78, 1983 तथा 1987-88 और आगे के लिए गरीबी की रेखा तथा गरीबी अनुपात का परिकलन विस्तृत घरेलू खपत सर्वेक्षण के पंचवार्षिक एन एस एस चक्रों के राज्यवार परिणाम उपलबध होने पर, अनुंशसित पद्धति का अनुसरण करते हुए करना चाहिए ।

8. दल, राज्यवार तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए घरेलू खपत व्यय (बिना किसी अभियोजन के) पर सिर्फ एन एस एस पर निर्भरता का पक्ष लेता है ।

9. निम्नलिखित पहलुओं के आकलन के साथ जनसंख्या के 30 प्रतिशत लोगों के रहन सहन के स्तरों पर व्यापक रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या तथा गरीबों की संख्या के अनुमानों को पूरा करने की आवश्यकता है :

(i) प्रमुख विशेषताओं अर्थात् क्षेत्र, सामाजिक समूह, पारिवारिक विशेषताओं आदि के वर्गीकरण के आधार पर निर्धन जनसंख्या का निर्धारण,

(ii) जनसंख्या की पोषाहार स्थिति,

(iii) स्वास्थ्य स्थिति मृत्युदर, रुग्णता, स्वास्थ्य सेवाओं (सार्वजनिक तथा निजी) तक पहुंच और उपयोग तथा लागत ।

(iv) शैक्षणिक स्थिति : क्षेत्र, लिंग और आयु समूह तथा आर्थिक सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर स्कूल में नामांकन, सार्वजनिक शिक्षा सेवाओं तक पहुंच तथा इसकी गुणवत्ता और लागत ।

(v) रहन सहन का वातावरण : आवास सघनता के आधार पर बंटवारा, प्रति व्यक्ति रहन सहन स्थान, मकानों का प्रकार, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता तक पहुंच, सुख सुविधाओं तक पहुंच ।

10. इस कार्यप्रणाली के अंतगर्त गरीबी अनुपात द्वारा उपलब्ध प्रथम सूचना संकेतक को अन्य संकेतकों के साथ आगे बढ़ाने तथा संशोधित करने की आवश्यकता है जिन्हें आय तथा खपत व्यय की अपेक्षा और अधिक सहज सत्यापनीय होना चाहिए । लक्ष्य को सुस्पष्ट करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है ताकि लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के अभीष्ट लाभों में अपात्र को शामिल न किया जा सके तथा पात्र को पूरी तरह से शामिल किया जा सके।

मेगा सिटीज

*** 98. श्री वी. कृष्णा राव :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 8वीं में पांच मेगा सिटीज के विकास के लिए विशेष धनराशि का आबंटन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं और इसके उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक मेगा सिटी को कितना धन आबंटन किया जाएगा ;

(घ) इन नगरों की गंदी बस्तियों के निवासियों को क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ एक संचालन समिति गठित करने का है ; और

(च) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). मेगा शहरों (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद तथा बंगलौर) के आधार-संरचनात्मक विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित कर दी गई है । इसका मूल उद्देश्य मेगा शहरों में उपयुक्त संस्थान तथा वित्त व्यवस्था तंत्र के माध्यम से आर्थिक तथा भौतिक आधार संरचना में निवेश को बढ़ावा देना है । स्कीम के लिए वित्त व्यवस्था का पैटर्न निम्नलिखित है : -

(1) केन्द्र सरकार (25 प्रतिशत) (2) राज्य सरकार (25 प्रतिशत) तथा संस्थागत/बाजार उधार (50 प्रतिशत) । मेगा शहरों को आबंटित की जाने वाली राशि तथा शामिल किए जाने वाले घटक/परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है ।

(ङ) सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जा चुका है।

(च) संचालन समिति का गठन तथा विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं : -

गठन :

1.	सदस्य-सचिव, योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
3.	अध्यक्ष, एल आई सी	सदस्य
4.	अध्यक्ष, यू. टी आई	सदस्य
5.	अपर सचिव, वित्त बजट मंत्रालय	सदस्य
6.	अपर सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	सदस्य

7.	सचिव, शहरी विकास - सी एम ए पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
8.	सचिव, आवास तथा शहरी विकास, कर्नाटक सरकार	सदस्य
9.	सचिव, शहरी विकास, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
10.	प्रधान सचिव, शहरी विकास, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
11.	सचिव, आवास तथा शहरी विकास, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
12.	आर्थिक सलाहकार (एचयूडी तथा डब्ल्यूएस), यो.आ.	सदस्य
13.	श्री के.धर्मराजन, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य

बैठक में अगर आवश्यक समझा गया तो समिति किसी अन्य व्यक्ति (यों) को आमंत्रित कर सकती है ।

विचारार्थ विषय : -

(क) (1) परियोजना को चरणबद्ध करने/लागत वसूली/आंतरिक संसाधन सृजन, (2) राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने, (3) वित्तीय संस्थानों से सहायता, तथा (4) अंतमंत्रालयीन समन्वयन के संबंध में नीति संबंधी निर्णय लेना/दिशानिर्देश देना ।

(ख) प्रत्येक तिमाही में स्कीम की आवधिक मानीटरिंग तथा समीक्षा ।

इज़राइल के साथ इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

*** 99. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाल ही में इज़राइल के एक उच्चाधिकार प्राप्त दल ने भारत का दौरा किया था तथा भारत के इलैक्ट्रानिक उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों से भेंट की थी ;

(ख) क्या संयुक्त रूप से इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन करने के संबंध में कोई बातचीत हुई थी ;

(ग) क्या कोई विस्तृत रुपरेखा तैयार कर ली गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). इस्राइल के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग संघ के शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया । शिष्टमण्डल के सदस्यों ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ संभावित संयुक्त के बारे में विचार-विमर्श किया लेकिन अभी तक किसी संयुक्त उद्यम को अंतिम रुप नहीं दिया गया है ।

राज्य विद्युत बोर्डों संबंधी समिति

[हिन्दी]

* 100. **श्री आनन्द अहिरवार :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

चंडीगढ़ में भूखंडों का आबंटन

[अनुवाद]

841. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ संस्थाओं को रियायती दरों पर भूखंडों का आबंटन किया है ;

(ख) यदि हां, तो भूखंडों के क्षेत्रफल, सेक्टरों में उनकी स्थिति और उनके वसूली मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे आबंटनों के लिये दिशानिर्देशों अथवा नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे आबंटनों हेतु लंबित आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है और उन पर विचार की वर्तमान अवस्था क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

कृषि योग्य भूमि पर आवासीय भवन

842. श्री जीवन शर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कृषि भूमि पर इसके प्रयोग के प्रयोजन को परिवर्तित किए बिना ही आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या न्यायालयों द्वारा इस भूमि को खाली करने के आदेश किये जाने के बावजूद ग्रामसभाओं ने इस भूमि का कब्जा नहीं लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) कृषि योग्य भूमि पर निर्माण रोकने तथा खाली भूमि पर कब्जा लेने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि कृषि भूमि पर भू-उपयोग का विधिवत परिवर्तन कराए बिना रिहायशी मकान बनाने के दृष्टान्त सामने आये हैं ।

(ख) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को दर्ज करने के लिए उनके पास अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ग) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

खादी का उत्पादन

[हिन्दी]

843. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खादी के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से वस्त्र निर्माण में खादी के लिए कुछ और क्षेत्र आरक्षित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार का विचार इसे कब तक लागू करने का है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा

844. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में उपब्लिधयों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). गुजरात में विस्तार कार्यक्रमों के अंतगर्त 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय और सौर कुकर कार्यक्रमों के संबंध में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के उत्पादन

के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य विवरण - I में दिए गए हैं । सौर प्रकाश-वोल्टीय, लघु जल विद्युत, पवन और बायोमास पर आधारित प्रणालियों और साधनों जैसे अन्य अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए गुजरात सहित किसी भी राज्य के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । गुजरात राज्य के बारे में उक्त अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की पुनः प्रयोज्य ऊर्जा प्रणालियों और साधनों के प्रतिस्थापन की स्थिति विवरण-II में दी गई है।

विवरण - I

वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	कार्यक्रम	यूनिट	लक्ष्य		
			1990-91	1991-92	1992-93
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयत्र	संख्या	20000	28000	29500
2.	उन्नत चूल्हा	संख्या	81000	100000	60000
3.	सौर तापीय प्रणालियां (संग्राहक क्षेत्र)	वर्गमीटर	2570	4960	7135
4.	सौर कुकर	संख्या	3000	3000	4000

विवरण -II

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना की उपलब्धि की स्थिति

क्र.सं.	कार्यक्रम	यूनिट	उपलब्धि		
			1990-91	1991-92	1992-93
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयत्र	संख्या	26536	33056	37790
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	18	15	5
3.	उन्नत चूल्हा	संख्या	94937	66258	69310

4.	सौर तापीय प्रणालियां (संग्राहक क्षेत्र)	वर्गमीटर	5204	12157	2329
5.	सौर कुकर	संख्या	2676	2930	1898
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	के डब्ल्यू पी	92.2 (कुल)		
7.	पवन पम्प	संख्या	17	17	37
8.	पवन फार्म (संस्थापित क्षमता)	एम डब्ल्यू	11.6	1.1	--
9.	बायोमास गैसफायर स्टर्लिंग इंजीन	के.डब्ल्यू	83	292	240

राज्यों के योजना व्यय में कमी

[अनुवाद]

845. श्री बी. देवराजन :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा संसाधन न जुटाये जाने के कारण 1992-93 के दौरान स्वीकृत परिव्यय की तुलना में राज्यों के योजना व्यय में कमी करने की बात प्रकाश में आयी है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने विशेष कर 1992-93 के दौरान के वित्तीय प्रबंध और वित्तीय कार्य-निष्पादन के संबंध में आठवीं योजना के प्रथम वर्ष की पुनरीक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो व्यय में कमी किये जाने के मुख्य कारणों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां । सभी राज्यों की वार्षिक योजना 1992-93 के लिए मूल रूप में अनुमोदित परिव्यय और संशोधन परिव्यय का ब्यौरेवार विवरण संलग्न है। विवरण प्रत्येक राज्य की अधिकंता/कमी को भी निर्दिष्ट करती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वार्षिक योजना की वित्त व्यवस्था के लिए कम संसाधन उपलब्ध होने के कारण कई राज्यों में 1992-93 के लिए अनुमोदित परिव्यय को कम करना पड़ा । संबंधित राज्यों द्वारा अंशदान में कमी के कारण संसाधनों में कमी हुई है । ये कमियां मुख्य रूप से राज्यों के वर्तमान संसाधनों के संतुलन में ह्रास, उनकी 1992-93 योजना की वित्त व्यवस्था में उनके द्वारा उपलब्ध प्राक्कलनों की तुलना में परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा बाहरी सहायता का कम उपयोग करना है ।

विवरण

वार्षिक योजना - 1992-93 अनुमोदित/संशोधित परिव्यय राज्य एंव संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	वार्षिक योजना		1992-93
		मूलतः अनुमो. परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अंतर अधिकतर (+) कमी (-)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1660.00	1675.00	15.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.00	235.35	-9.65
3.	असम	960.00	700.00	-260.00
4.	बिहार	2202.73	1100.00	-1102.73
5.	गोआ	152.50	153.42	0.92
6.	गुजरात	1875.00	1875.00	0.00
7.	हरियाणा	830.00	804.57	-25.43
8.	हिमाचल प्रदेश	486.00	490.50	4.50
9.	जम्मू व कश्मीर	820.00	623.00	-197.00
10.	कर्नाटक	1915.00	1915.00	0.00
11.	केरल	913.00	750.00	-163.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	1792.00	-608.00
13.	महाराष्ट्र	3160.00	3208.80	48.80
14.	मणिपुर	210.00	171.30	-38.70
15.	मेघालय	241.00	241.00	0.00
16.	मिजोरम	160.00	165.18	5.18
17.	नागालैंड	185.00	110.19	-74.81
18.	उड़ीसा	1405.00	1055.00	-350.00
19.	पंजाब	1150.00 #	856.50	-293.50
20.	राजस्थान	1400.00	1410.00	10.00

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	110.00	110.00	0.00
22.	तमिलनाडु	1751.00	1766.75	15.75
23.	त्रिपुरा	282.00	240.00	-42.00
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	3149.99	-703.01
25.	पश्चिम बंगाल	1501.00	703.50	-797.50
	जोड़ (राज्य)	29867.23	25302.05	-4565.18

योजना आकार में 350 करोड़ रु० की कमी की गई ।

'भेल' द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाएं

846. श्री हाराधन राय : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने आदेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "भेल" द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित आर्डर प्राप्त किए गए हैं :

1990-91 :	-	शून्य
1991-92		
"नीपको" की काथलगुड़ी परियोजना	-	2X30+3X30 मेगावाट गैस टबाईन्स
तारापुर अणु बिजली संयंत्र	-	1 X 500 मेगावाट आणविक भाप जनरेटर
नीपको की रणजीत जलविद्युत परियोजना	-	3 X 20 मेगावाट
1992-93		
"नीपको" की रंगानाड़ी जलविद्युत परियोजना	-	3X135 मेगावाट
"नीपको" की कोपिली विस्तार परियोजना	-	2X50 मेगावाट

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

847. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के लिए सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के पूर्वानुमान लगा लिए गए है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त अनुमान उपलब्ध करा दिए जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमानों के दिसम्बर, 1993/फरवरी, 1994 में जारी किए जाने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड का दुर्गापुर एकक

848. श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के दुर्गापुर एकक के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) के प्रबन्ध ने अपने निदेशक मण्डल की संस्तुति से अपनी कम्पनी को जिसमें इनका दुर्गापुर एकक भी शामिल है, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के संशोधित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन (बी आई एफ आर) को निर्दिष्ट किया है । बी आई एफ आर ने एच.एफ.सी. को एक रुग्ण कम्पनी घोषित कर दिया है और कम्पनी तथा सरकार को एक व्यवहार्थ पुनर्वास पैकेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है । एच.एफ.सी. के सभी एककों के लिए एक पैकेज जिसमें इसका दुर्गापुर एकक भी शामिल है कम्पनी से प्राप्त हो चुका है । पैकेज की जांच की जा रही है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन

849. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली के उत्पादन के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ;

(ख) राजस्थान में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ;

(ग) राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से कितनी बिजली का उत्पादन होने की संम्भावना है ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) विद्युत उत्पादन के लिए राजस्थान में सौर ऊर्जा और लघु जल विद्युत आधारित अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं । कुल 815 किवा क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालन में हैं, जब कि 4.535 मेवा. की क्षमता की अन्य परियोजनाएं आरम्भ करने के विभिन्न चरणों में हैं। 73 किवा की क्षमता के सौर प्रकाशवोल्टीय आधारित विद्युत संयंत्रों की भी स्थापना की गई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए निर्धारित की गई धनराशि नीचे दी गई है : -

वर्ष	राशि
1990-91	160.00 लाख रुपये
1991-92	160.00 लाख रुपये
1992-93	182.00 लाख रुपये

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में किसी उपयुक्त स्थान पर 30 मेवा. के सौर तापीय विद्युत संयंत्र को शुरु किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि प्रौद्योगिकी, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तीय संसाधनों को जुटाने के कार्य को अंतिम रुप दिया जा सके और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो। इसके अलावा प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अन्य अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं भी शुरू की जायेंगी ।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार और कार्यक्रमवार नियतन नहीं किए गए हैं । विस्तार कार्यक्रमों के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और तदनुसार ही धनराशि निर्मुक्त की जाती है । तथापि राज्य योजना के अंतगर्त आठवीं योजना अवधि के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्षेत्र हेतु राजस्थान राज्य के लिए योजना आयोग ने 5168.00 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है ।

[अनुवाद]

रोहिणी आवास योजना में भूखण्डों का आबंटन

850. श्री विजय नवल पाटील : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना को सामान्य तथा सेवानिवृत व्यक्तियों संबधी दोनों श्रेणियों में पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कितने आवासीय भूंखड आबंटन हेतु विचाराधीन है ;

(ख) क्या डी.डी.ए. सेवानिवृत व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के बावजूद प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आबंटन नहीं कर सका है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रोहिणी आवासीय योजना में सभी श्रेणियों के पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंडों का आबंटन करने में कितना समय लगेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बतायाहै कि रोहिणी आवास योजना में इस समय कोई रिहायशी भूखण्ड आबंटन के लिये शेष नहीं है । किन्तु विभिन्न श्रेणी के करीब 167 भूखण्ड प्रत्यार्पण / निरसन के कारण उपलब्ध हैं जो प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को पुनः आबंटित किये जाएंगे ।

(ख) और (ग). नीति अनुसार, सेवा निवृत हुए/होने वाले व्यक्तियों को रोहिणी आवास योजना में उनके लिए आरक्षित 12 प्रतिशत कोटा के अनुसार अन्य सामान्य पंजीकृत व्यक्तियों के साथ मुख्य ड्रा में आबंटन किया जाता है । पिछला ड्रा 27.3.91 को हुआ था । और 353 सेवा निवृत हुए/होने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी सम्बन्धित श्रेणियों में भूखण्ड आबंटित किये गये थे । इसके अलावा प्राथिमकता आधार पर आबंटन के लिए सेवा निवृत हुए/होने वाले व्यक्तियों से नवम्बर 1991 में आवेदन आमंत्रित किये गये थे और विभिन्न श्रेणियों के कुल 166 आवेदन मिले । किन्तु भूखण्ड उपलब्ध न होने से कोई ड्रा नहीं निकाला गया जब भूखण्डों की उपलब्धि पर मुख्य ड्रा के समय इन आवेदकों को आरक्षित कोटा में प्राथमिकता आधार पर आबंटन हेतु विचार किया जायेगा ।

(घ) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को 8 वीं योजना के दौरान रोहिणी आवास योजना में शामिल करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जो भूमि अधिग्रहण/विकास और धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा । धन प्राप्ति और अवस्थापना सुविधायें सुलभ होने पर, प्लाट काट कर शेष पंजीकृत व्यक्तियों को देने हेतु 550 हैक्टर भूमि के अधिग्रहण का भी प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय में विशेष भर्ती अभियान

851. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **प्रधान** मंत्री रक्षा मंत्रालय में विशेष भर्ती अभियान के बारे में 25 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4321 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जी, हां । वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान में पाए गए रिक्त पदों की कुल संख्या 4862 है, और इनमें से अब तक 1706 पद भर लिए गए हैं ।

[अनुवाद]

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेस द्वारा ठेकों को विलम्ब से स्वीकार करना

852. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिलिटरी इंजीनियर्स सर्विसेस (एम.ई.एस.) द्वारा विलम्ब से ठेकों को अंतिम रुप देने तथा स्वीकार करने से भारी अतिरिक्त धनराशि खर्च की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरुप लागत में वृद्धि होती है तथा दुबारा से टेन्डर आमंत्रित करने पड़ते हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस प्राधिकारी को वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार है, उसकी विलम्ब तथा लागत वृद्धि के मामले में कोई जवाब देही नहीं है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उन वित्तीय स्वीकृति के मामलों की संख्या क्या है, जिन्हें सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा निश्चित तिथि पर स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरुप दुबारा से टेन्डर आमंत्रित करने पड़े ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे वित्तीय स्वीकृति के मामलों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें पहली बार में नहीं निपटाया गया तथा बाद में उन पर कितनी अतिरिक्त लागत आई; और

(ङ) रिसर्च एण्ड रिफोरल (आर एण्ड आर) अस्पताल, नई दिल्ली की प्रारंभिक लागत, लागत में बाद में प्रस्तावित विभिन्न वृद्धि तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ). वित्तीय सहमति के मामलों सहित रक्षा सेनाओं की परियोजनाओं के सभी प्रस्ताव रक्षा निर्माण कार्य की प्रक्रिया के अनुसार परियोजनाओं के मूल्य के आधार पर तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद एक नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं । उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रस्ताव देने और विभिन्न स्तरों पर उनकी सुव्यवस्थित जांच के संबंध में समय से सूचना देने के लिए सरकार ने निर्धारित समय-कार्यक्रम के अनुसार विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं । ये सुधारात्मक उपाय इसलिए किए गए हैं ताकि देरी कम से कम हो और मूल्य में होने वाली वृद्धि को कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सरकार के ध्यान में लाया जा सके । इस प्रकार पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनः निविदा देने से संबंधित वित्तीय सहमति के बारे में मामलों का विस्तृत अध्ययन किए जाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

जहां तक अनुसंधान एवं रैफरल अस्पताल परियोजना क़ा संबंध है, नवम्बर 1987 में आरम्भिक तौर पर 52.64 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी और उसके बाद इस राशि को संशोधित करके सितम्बर, 1990 में 52.92 करोड़ रुपए कर दिया गया था । राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अगस्त, 1993 में अनुमोदित परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 70.9 करोड़ रुपए है। यह परियोजना कार्यान्वयन के उन्नत चरण पर है।

पूर्व मंत्रियों/संसद सदस्यों पर बकाया राशियां

853. श्री मोहन रावले : क्या **शहरी विकास** मंत्री **पूर्व मंत्रियों/संसद सदस्यों** पर बकाया राशियों के बारे में 25 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4505 के उत्तचर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बीच स्वयं द्वारा अनधिकृत रूप से सरकारी आवास पर कब्जा करने के लिए बकाया लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अंतगर्त बकाया शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही की गई है ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो अभी भी सरकारी आवास पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा जमाये हुए हैं तथा ये लोग कब से कब्जा जमाये हुए हैं ; और

(घ) इन आवासों को खाली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) दो पूर्व मंत्रियों/सांसदों ने संलग्न विवरण-I के अनुसार सरकारी बकाये का भुगतान कर दिया है ।

(ख) बकाया धनराशि की वसूली हेतु संलगन विवरण - II के अनुसार 59 पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है ।

(ग) उन पूर्व मंत्रियों/पूर्व सांसदों, जिनके कब्जें में अभी भी सरकारी वास है, के नाम संलग्न विवरण-III में दिए गये हैं ।

(घ) वास वेदखली की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है ।

विवरण - I

उन पूर्व मंत्रियों/पूर्व सांसदों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने 30/6/93 की स्थिति के अनुसार अपनी ओर बकाया राशि का भुगतान कर दिया है । 1-12-93 की स्थिति के अनुसार :

क्रम सं.	नाम सर्व श्री	वास का विवरण	अदा की गयी राशि (रुपये)	शेष
1.	एस.एस.सिसोदिया	11, तालकटोरा रोड	8585.00	शून्य
2.	श्रीमती निरलेप कौर	9, तीन मूर्ति मार्ग	1650	शून्य

विवरण - II

लोकपरिसर अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु जिन पूर्व मंत्रियों/पूर्व सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है उनके नामों को दरसाने वाला विवरण :

क्र.सं.	नाम सर्व/श्री	वास का विवरण	शेष देय राशि (रुपये)
1	2	3	4
1.	मधु दण्डवते	10, अशोका रोड़	88,879.00
2.	रामजी लाल सुगन	20, विलिंगडन क्रिसेंट	1,46,320.00
3.	जेड.आर. अंसारी (स्वर्गवास हो गया)	9, अकबर रोड़	50,904.00
4.	ए.पी. शर्मा (स्वर्गवास हो गया)	17 अकबर रोड़,	95,810.00
5.	सी.एस.सिंह (स्वर्गवास हो गया)	15, अशोका रोड़	74,090.00
6.	योगेन्द्र मकवाना	11, रेस कोर्स रोड़	1,53,132.00
7.	श्रीमति राम दुलारी सिन्हा	ए.बी-96, शाहजहा रोड़,	41,230.00
8.	जगन्नाथ पहाड़िया	9, के एम मार्ग	5,493.00
9.	जी. लक्षमनन	25, तुगलक रोड़	3,602.85
10.	तुल मोहन राम	34, जी आर जी रोड	2,975.00
11.	श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह	6, अशोका रोड़	32,395.00
12.	श्रीमती रानु शहजा	2, तीन मूर्ति लेन	3,531.00
13.	श्रीमती चन्द्रवती	11- ए, पं. पन्त मार्ग	892.00
14.	के.बी. अस्थाना	7, तीनमूर्ति मार्ग	2,774.00
15.	श्री कामेश्वर सिंह	12, तालकटोरा रोड़ 504 और 505 वी पी हाऊस	44,181.00
16.	जे.बी.धोते	4, जन्तर मन्तर रोड़	23,701.00

1	2	3	4
17.	एम आर कृष्णा	4, कुष्क रोड़	1,700.00
18.	जे के पी एम सिंह	5, सफदरजंग लेन 38, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	46,454.00
19.	एस डी सिंह (स्वर्गवास हो गया)	7, रायसिना रोड़	2,822.00
20.	सतीश प्रसाद सिंह	10, अकबर रोड़	5,000.00
21.	आर वाई घोरपडे	14, तुगलक रोड़	21,255.00
22.	मगनभाई बारोत	9, त्यागराज मार्ग	16,637.00
23.	ए आर मल्लू (स्वर्गवास हो गया)	24, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़	3,864.00
24.	के पी तिवारी	4, ए टेलिग्रफ लेन	4,908.00
25.	बालेश्वर राम	9, अशोका रोड़	26,990.00
26.	आर मोहनरंगम 129 से 131 नार्थ ऐवन्यू	11, तीनमूर्ति लेन	15,420.00
27.	एच के मल्लिक	25, अशोका रोड़	17,634.00
28.	एस एस महापात्रा	2, सफदरजंग लेन	31,000.00
29.	श्रीमती उषा मल्होत्रा	7, तीनमूर्ति मार्ग	1,330.00
30.	एल के झा (स्वर्गवास हो गया है)	10, जनपथ	39,107.00
31.	ए आर मुसगैया (स्वर्गवास हो गया है)	ए-1, बी के एस मार्ग	25,371.00
32.	जैयदीप सिंह सारिया (स्वर्गवास हो गया है)	17, तीनमूर्ति मार्ग	21,277.00
33.	जे के जैन	7, डी आर मेहता लेन	9.181.00
34.	मौलाना सैयद असराउल्लहक	14, कोपरनिक्स लेन	16,895.00
35.	श्रीमती कृष्णा कौल	1, तीनमूर्ति लेन	1,56,121.00

1	2	3	4
36.	बी आर महाता	12, बिल्डिंग क्रिसेंट	1,830.00
	(स्वर्गवास हो गया है)		
37.	श्रीमती जयन्ती पटनायक	26, अकबर रोड	9,862.00
	(स्वर्गवास हो गया है)		
38	भगवत झा आजाद	7, अशोका रोड	3,38,046.00
39.	दि्गविजय सिंह	4, डुप्ले लेन	42,761.00
	(स्वर्गवास हो गया है)		
40.	जी एस मिश्रा	6, जी आर जी रोड	41,045.00
41.	बीर सेन	4, जन्तर मन्तर रोड	50,265.00
42.	श्रीमती मीरा कुमार	6, के एम मार्ग	57,582.00
43.	जीतेन्द्र प्रसादा	60, लोदी एस्टेट	72,068.00
44.	जगन्नाथ राव	3, मोती लाल नेहरु प्लेस	67,187.00
	(स्वर्गवास हो गया है)		
45.	श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत	सी-1/3, पण्डारा पार्क, 164, साऊथ ऐवन्यू	976.00
46.	रामेश्वर निखारा	सी-1/39, पण्डारा पार्क	18,805.00
47.	जी एस ढिल्लों	3, त्यागराज मार्ग	40,818.00
	(स्वर्गवास हो गया है)		
48.	श्रीमती माधुरी सिंह	11, त्यागराज मार्ग	81,039.00
	(स्वर्गवास हो गया है)		
49.	तारीक अनवर	20, विलिंडग क्रिसेंट	28,229.00
50.	जगन्नाथ मिश्रा	8, सफदरजंग लेन	1,14,841.00
		318, वी पी हाऊस	
51.	अतौर रहमान	सी-2 बी के एस मार्ग	13,897.00
52.	पुरुषोत्तम कौशिक	13, बी आर मेहता लेन	1,38,950.00
53.	श्रीमति टी एम अंजैया	14-सी फिरोजशाह रोड़	59,406.00

1	2	3	4
54.	मनोज पांडे	सी-11/67 मोती बाग	62,023.00
55.	दरबारा सिंह (स्वर्गवास हो गया है)	9, के एम मार्ग	11,19,283.00
56.	श्रीमति वैजयंती माला बाली (अब संसद सदस्य राज्य सभा)	76, लोधी स्टेट	3,63,482.00
57.	श्रीमति उमा गजापति राजू	8, तुगलक लेन	70,208.00
58.	एम एम अली खान	103/105, नार्थ एवेन्यू	1,84,201.00
59.	सरवर हुसैन	57, लोधी स्टेट	87,592.00

विवरण - III

उन पूर्व, मंत्रियों/पूर्व सांसदों के नाम जिन्होंने सरकारी वास पर अवैध कब्जा किया हुआ है और अवैध कब्जे कब से हैं :

क्रम सं.	नाम	वास	निरसन की तारीख
1.	स्व.दरबारा सिंह	9, कृष्णन मेनन मार्ग	11.5.90
2.	स्व. भाग्ये गोवर्धन	19, डा. बी.डी. मार्ग	30.9.93
3.	श्री दिपेन घोष	8, तीन मूर्ति लेन	9.8.93
4.	पं. रवि शंकर	95, लोदी इस्टेट	11.6.92
5.	श्री पी.शिव शंकर	2,विल्लिंडन क्रिसेन्ट	13.9.93 तीन महीने के लिए वास रखने की अनुमति दी गयी । मामला सी सी ए को भेजा जा रहा है ।
6.	श्री शरद पवार	5, जनपथ	वास रखे जाने का अनुरोध सी सी ए को भेजा जा रहा है ।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों का बन्द किया जाना

854. श्री पंकज चौधरी :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ उर्वरक संयंत्र बन्द पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इनके बंद होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार से इन संयंत्रों को पुनः चालू करने की लगातार मांग की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मांगों पर अब तक विचार किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) को हल्दिया उर्वरक परियोजना ने कभी भी वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया । एच.एफ.सी. के बरौनी और दुर्गापुर संयंत्रों को धन की समस्या के कारण अस्थायी रुप से बन्द किया गया है । जहां तक फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) का संबंध है इसका गोरखपुर संयंत्र दुर्घटना के कारण 1990 से बन्द पड़ा है । इन संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत रुग्ण कम्पनियाँ घोषित किया गया है और इन कम्पनियों के पुर्नवास के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के पास लम्बित पड़े हैं ।

[अनुवाद]

उर्वरकों की आवश्यकता/उत्पादन

855. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) वर्ष 1993 में अब तक प्रत्येक तरह के उर्वरकों का देश में कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) जनवरी, 1993 से 31 अक्तूबर 1993 तक, उर्वरकों के आयात के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(घ) उर्वरकों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान उर्वरकों के न्यूट्रियेन्ट वार खपत के लक्ष्य नीचे दिये गये हैं : -

न्यूट्रियेंट	खपत लक्षय
	(000 मी.टन)
एन.	9650.00
पी.	3200.00
के.	1000.00
कुल :	13850.00

(ख) जनवरी 1993 से अक्तूबर 1993 तक उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

न्यूट्रियेंट	उत्पादन (जनवरी 93-अक्तू. 93)
	(000 मी.टन)
एन.	6112.7
पी.	1327.1

(ग) जनवरी 1993 से अक्तूबर 1993 तक लागत और भाड़ा आधार पर सरकारी खाते में विदेशी मुद्रा का व्यय वास्तव में पहुँची मात्राओं के आधार पर 782.63 करोड़ रुपये था।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने तथा उर्वरकों की मांग एवं स्वदेशी उत्पादन के मध्य अंतर को कम करने की योजना के एक भाग के रुप में तीन अमोनिया यूरिया संयंत्र, बबराला (उ.प्र.) शाहजहाँपुर (उ.प्र.) तथा गडेपन (राजस्थान) में प्रत्येक जगह एक-एक इस समय निजी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) तथा इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको) ने क्रमशः विजयपुर (म.प्र.) तथा आनला (उ.प्र.) में गैस पर आधारित संयंत्रों की क्षमता को द्विगुणित करने के लिए परियोजनायें आरम्भ की हैं। मद्रास फर्टिलाइजर लि. के पुनर्वास से भी इसके उर्वरक उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कृष्णा गोदावरी बेसिन (आंध्र प्रदेश) में भी गैस की उपलब्धता सूचित की गयी है ।

उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

856. श्री अनादि चरण दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1993 तक उड़ीसा में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया ;

(ख) इनमें से प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का वार्षिक उत्पादन, लाभ/घाटा तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा स्थित उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार द्वारा नया निवेश करने का प्रस्ताव है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 31.3.92 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के केवल ऐसे चार चालू उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। 31.3.1992 तक की जानकारी के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान सामान्य शेयर तथा ऋणों के रुप में केन्द्रीय पूंजीनिवेश, उत्पादन मूल्य, शुद्ध लाभ/हानि तथा 31.3.1992 को कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 31.3.1992 को कार्यान्व्यनाधीन 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा 26.2.1993 को संसद में रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1991-92 के खण्ड-1 में पृष्ठ संख्या 51 से लेव.र 56 में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	सामान्य शेयर तथा ऋण के रुप में पूंजी निवेश	उत्पादन मूल्य	निवल लाभ/ हानि	कर्मचारियों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	नेशनल एल्युमिनियम कं.लि.	392672	91027	5914	5334
2.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	153	100	(-) 50	88
3.	पारादीप फास्फेट्स लि.	47438	90308	1313	932
4.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.	243	34*	(-) 7	54

* प्रदत्त सेवाओं का मूल्य

[हिन्दी]

विदेशों के साथ हिन्दी रुपान्तरण में किये गये समझौते

857. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय ने 1992 में अन्य देशों के साथ कितनी संधि और समझौते किए हैं;

(ख) उनमें से कितनी संधि और समझौतों का हिन्दी रुपान्तरण तैयार किया गया था और उस पर दोनों के हस्ताक्षर हुए थे; और

(ग) सभी संधि और समझौतों का हिन्दी रुपान्तरण तैयार न करके हिन्दी की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1992 में किसी संधि या अन्तरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, यद्यपि रक्षा सहयोग के संबंध में भारत ने भारतीय राजदूत के माध्यम से एक समझौता किया था। समय की कमी के कारण इस दस्तावेज को हिन्दी में तैयार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कॉयर कामगारों के लिए योजनाएं

857. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल में केरल सरकार से वर्ष 1993-94 के दौरान कॉयर कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं में कार्यान्वयन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). केरल सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि केरल से कयर रस्सी और कयर उत्पादों के निर्यात पर उनके एफ.ओ.बी. मूल्य का एक प्रतिशत वसूल करके यह राशि केरल सरकार को केरल कयर वर्कस वैलफेयर फंड बोर्ड के खाते में जमा कराने के लिए भेज दी जाए।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच कयर बोर्ड, कोचीन के परामर्श से की जा रही है।

परती भूमि विकास

860. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित परती भूमि विकास योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी परती भूमि को हरित क्षेत्र में लाया गया;

(ख) क्या इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा कया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) सरकार द्वारा समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना नामक एक योजना 1989-90 के दौरान आरम्भ की गई थी।

अब तक 152 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा मार्च 1993 तक 132794 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया है।

(ख) और (ग). इस समय योजना 25 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति विवरण में दी गई है।

(घ) बंजर भूमि विकास विभाग के आठवीं योजना प्रस्ताव को अंतिम रुप नहीं दिया गया है। अतः आठवीं योजना अवधि के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सकते क्योंकि विभाग की योजना वर्ष दर वर्ष के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। तथापि विभाग द्वारा 1993-94 के दौरान 50 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	31.3.93 तक वास्तविक उपलब्धि * (हेक्टेयर में)	31.3.93 तक रिलीज की गई धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	462	329.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	585	89.67
3.	असम	2200	35.98
4.	बिहार	असूचित	79.64
5.	गुजरात	577	164.75
6.	गोआ	286	137.00
7.	हरियाणा	11169	1216.54
8.	हिमाचल प्रदेश	8787	884.11
9.	जम्मू व कश्मीर	7723	617.87
10.	कर्नाटक	2140	330.24
11.	केरल	1033	324.58
12.	मध्य प्रदेश	700	151.88
13.	महाराष्ट्र	7676	1040.94

1	2	3	4
14.	मणिपुर	2930	188.51
15.	मेघालय	4880	371.94
16.	मिजोरम	4560	354.80
17.	नागालैंड	2340	279.50
18.	उड़ीसा	2261	428.86
19.	पंजाब	9655	596.06
20.	राजस्थान	16360	1697.51
21.	सिक्किम	9840	569.06
22.	तमिलनाडु	4930	360.79
23.	त्रिपुरा	5062	150.91
24.	उत्तर प्रदेश	10955	1240.57
25.	पश्चिम बंगाल	15673	905.39

* अनंतिम

फ्रांस की अन्तरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता

861. श्री शशि प्रकाश : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष की खोज तथा उसके उपयोग के संबंध में सहयोग के लिए फ्रांस की अन्तरिक्ष एजेंसी के साथ किये गये समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांस की अन्तरिक्ष एजेंसी (सी.एन.ई.एस.) के बीच नवम्बर 17, 1993 को जिस करार पर हस्ताक्षर हुए थे, वह भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोजनों में सहयोग पर जून 21, 1977 को हस्ताक्षरित करार का नवीकरण था। इसमें अन्तरिक्ष अनुसंधान, और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोगों के लिए अपेक्षित उपग्रहों और गुब्बारों के क्षेत्र में सहयोगी कार्यक्रमों का अध्ययन, उपग्रह संचार, उपग्रह सुदूर संवेदन तथा उपग्रह मौसम विज्ञान संबंधी उपयोगों से सम्बद्ध अध्ययन, उपग्रह भू-केन्द्रों का प्रचालन तथा उपग्रह मिशनों का प्रबन्ध, प्रशिक्षण सुविधाओं और कार्यक्रमों का आयोजन तथा अध्ययनों में भाग लेने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। इसरो और सी.एन.ई.एस. को उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोगी परियोजनाओं को करने के लिए समान हित के विशिष्ट क्रियाकलापों का पारस्परिक रुप में चयन करना है।

संयुक्त उद्यमों में विदेशी निवेश

862. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक नीति के उदारीकरण को देखते हुए संयुक्त उद्यमों में विदेशी निवेश का आग्रह करके विशेष उपाय शुरु किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) अब तक कितने संयुक्त उद्यमों को स्वीकृति दी गई है; तथा क्षेत्रवार और राज्यवार इन पर कुल कितना विदेशी निवेश होने की संभावना है ; और

(घ) विचाराधीन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख). 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में यथा प्रतिपादित विदेशी पूंजी निवेश नीति की निरंतर मानीटरी की जाती है ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने और भारत को संयुक्त उद्यम में विदेशी पूंजी निवेश के लिए एक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विदेशी पूंजी निवेशकों की उचित मांगों पर तुरंत ध्यान दिया जा सके।

(ग) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा से अक्तूबर, 1993 के अंत तक की अवधि में 1504 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमें कुल 10878.40 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना है। इन अनुमोदनों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों में साधारणतया उद्योगों के स्थापना स्थलों का उल्लेख नहीं होता है। जिसके फलस्वरुप, इन अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे केन्द्रीय रुप से नहीं रखे जाते है।

(घ) सरकार द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करना तथा उन पर कार्यवाही करना एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रस्ताव साधारणतया 45 दिनों के भीतर निपटा दिये जाते हैं।

1.8.91 से 31.10.93 तक की अवधि में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योगवार ब्यौरों की सूची।

(नयी नीति के बाद की अवधि) (रु. मिलियन में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	पहला तथा दूसरा वर्ष (अगस्त 91 से जुलाई 93 तक)				
		कुल	तकनीकी	वित्तीय	राशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग	140	91	49	5,758.70	11
2.	इंधन (1) बिजली	7	–	7	20,138.15	–
	(2) तेल शोधक	16	3	13	16,790.02	–
	(3) अन्य	40	28	12	686.95	10
3.	बॉयलर तथा माप जनित्रण संयंत्र	18	12	6	545.87	4
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	1	1	–	–	–
5.	विद्युत उपकरण	526	295	231	6,034.93	79
6.	दूर-संचार	62	40	22	1,347.04	4
7.	परिवहन	146	102	44	3,240.14	17
8.	औद्योगिक मशीनरी	384	284	102	1,286.32	34
9.	मशीनी औजार	39	23	16	139.64	5
10.	कृषि मशीनरी	13	10	3	55.40	1
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	19	13	6	9.27	4
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	124	75	49	695.07	15
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	32	20	12	676.68	22
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	19	7	12	63.14	2
15.	औद्योगिक उपकरण	54	34	20	173.15	6
16.	वैज्ञानिक उपकरण	21	7	14	345.35	–
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	–	–	–	–	–
18.	उर्वरक	7	6	1	9.90	1
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	414	279	135	6,527.82	38

	तीसरा वर्ष (अगस्त 1993 से अक्तूबर 1993 तक)			कुल (अगस्त 1991 से अक्तूबर 1993 तक)			
	तकनीकी	वित्तीय	राशि	कुल	तकनीकी	वित्तीय	राशि
क्रम सं.	8	9	10	11	12	13	14
1.	7	4	2412.79	151	90	53	8,171.49
2. (1)	-	-	-	7	-	7	20,138.15
(2)	-	-	-	16	3	13	16,790.02
(3)	4	6	187.42	50	32	18	874.37
3.	2	2	1.10	22	14	8	546.97
4.	-	-	-	1	1	-	-
5.	36	43	4421.53	605	331	274	10,456.46
6.	3	1	130.00	66	43	23	1,477.04
7.	8	9	1263.23	163	110	53	4,503.37
8.	20	14	222.55	420	304	116	1,508.87
9.	3	2	2.41	44	26	18	142.05
10.	1	-	-	14	11	3	55.40
11.	4	-	-	23	17	6	9.27
12.	7	8	32.44	139	82	57	727.51
13	2	-	-	34	22	12	676.68
14.	1	1	2.00	21	8	13	65.14
15.	4	2	10.97	60	38	22	184.12
16.	-	-	-	21	60	14	345.35
17.	-	-	-	-	-	-	-
18.	1	-	-	8	7	1	9.90
19.	21	17	1,718.20	452	300	152	8240.02

1	2	3	4	5	6	7
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	4	3	1	79.00	1
21.	रंजक	3	-	3	127.30	-
22.	औषध तथा भेषज	46	26	20	478.17	5
23.	वस्त्र (रंजक, पुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों को छोड़कर)	87	31	56	2,053.14	16
24.	कागज तथा लुगदी-कागज उत्पाद सहित	30	23	7	222.47	5
25.	चीनी	2	-	2	535.00	-
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	14	5	9	699.85	7
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	151	42	1099	11,287.65	26
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	12	2	10	158.25	-
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टॉयलेट प्रिपरेशन	7	3	4	191.63	-
30.	रबड़ की वस्तुएं	40	26	14	120.18	4
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	35	11	24	353.24	5
32.	ग्लू तथा जिलोटन	-	-	-	-	-
33.	कांच	19	14	55	510.69	-
34.	सिरेमक्स	667	25	42	546.49	4
35.	सिमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	18	12	6	188.20	2
36.	टिम्बर उत्पाद	1	1	-	-	2
37.	सुरक्षा उद्योग	2	2	-	-	-
38.	परामर्शदायी सेवाएं	65	24	41	255.86	6
39.	सेवा उद्योग	57	8	49	5,019.59	21
40.	होटल तथा पर्यटन	36	15	21	2,604.89	3
41.	ट्रेडिंग कंपनी	60	-	60	203.03	9
42.	विविध उद्योग	125	67	58	1,601.49	32
	योग :	2965	1670	1295	91,759.66	381

क्रम सं.	8	9	10	11	12	13	14
20.	–	1	90.32	5	3	2	169.32
21.	–	–	–	3	–	3	127.30
22.	2	3	15.93	51	26	23	494.10
23.	8	8	103.71	103	39	64	2156.85
24.	3	2	1.88	35	26	9	224.35
25.	–	–	–	2	–	2	535.00
26.	–	7	824.50	21	5	16	1524.35
27.	2	24	1834.32	177	44	133	13121.97
28.	–	–	–	12	2	10	158.25
29.	–	–	–	7	3	4	191.63
30.	2	2	20.21	44	28	16	140.39
31.	2	3	64.52	40	13	27	417.76
32.	–	–	–	–	–	–	–
33.	–	–	–	19	14	5	510.69
34.	3	1	7.20	71	28	43	553.69
35.	2	–	–	20	14	6	188.20
36.	–	2	1.60	3	1	2	1.60
37.	–	–	–	2	2	–	–
38.	3	3	1.08	71	27	44	256.94
39.	1	20	2,954.23	78	9	69	7,973.82
40.	1	2	618.91	39	16	23	3,223.80
41.	–	9	12.55	1169	–	69	215.58
42.	19	13	74.81	157	86	71	1,676.30
योग :	172	209	17,024.35	3,340	1,842	1,504	1,08,784.01

केरल उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले/अपीलें

863. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल उच्च न्यायालय में 31 अक्तूबर, 1993 को सिविल कार्यवाही, फौजदारी मामलों/अपीलों के कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) केरल उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के अनुसार, तारीख 30 सितम्बर, 1993 को केरल उच्च न्यायालय में 131794 सिविल और 4996 दाण्डिक मामले लंबित थे।

(ख) बकाया मामलों संबंधी समिति द्वारा, जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की जांच की थी, की गई विभिन्न सिफारिशें आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को, जिनमें केरल उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, भेज दी गई हैं। सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे के मार्ग में आने वाले अवसरंचनात्मक गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को योजना विषय के रूप में शामिल करने का विनिश्चय भी किया है।

डी.ए.पी. उर्वरकों संबंधी समिति

864. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.ए.पी. उर्वरकों के बेहतर उपयोग के संबंध में सलाह देने के लिए के.पी.ए. मैनन की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इनमें से किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

परती भूमि विकास

865. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक जिन परती भूमियों को विकास करने हेतु चुना गया है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में परती भूमियों के विकास और संवर्द्धन हेतु कोई योजना बनायी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या परती भूमियों को विकास संबंधी सूचना के प्रसार हेतु सरकार द्वारा एक नेटवर्क की स्थापना करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) बंजरभूमि का पता लगाने के लिए अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार देश की 329 मिलियन हैक्टेयर कुल भूमि में 129.58 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि है। राज्यवार वितरण विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). बंजरभूमि विकास विभाग के आठवीं योजना प्रस्ताव को अभी अंतिम रुप दिया जाना है। तथापि वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को उनके पुनरीक्षित प्राक्कलनों के साथ क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है :

क्र.सं.	योजना का नाम	1993-94 के पुनरीक्षित प्रावक्लन (करोड़ो रुपये में)
1.	समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	40.72
2.	निवेश संवर्द्धन योजना	1.00
3.	प्रौद्योगिकी विकास और विस्तारण	1.50
4.	गैर सरकारी संगठनों को बंजर भूमि विकास सहायता	3.00
5.	संवर्द्धन ओर संकटापन्न सहायता सेवा योजना	1.00
6.	बंजर भूमि विकास कार्य बल	1.00
7.	समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन और अनुकरण	0.25
8.	संचार	0.35
9.	बोर्ड सचिवालय	1.18

(घ) और (ङ). बंजर भूमि विकास के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्तमान इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का पूरा उपयोग किया जायेगा । हालांकि इसके लिए कोई विशिष्ट नेटवर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

विवरण

भारत में अनुमानित बंजर भूमि

मिलियन हैक्टेयर

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वनेत्तर निम्नीकृत क्षेत्र	वन निम्नीकृत क्षेत्र	कुल
आंध्र प्रदेश	7.682	3.734	11.416
असम	0.935	0.795	1.730
बिहार	3.896	1.562	5.458
गुजरात	7.153	0.683	7.836
हरियाणा	2.404	0.074	2.478
हिमाचल प्रदेश	1.424	0.534	1.958
जम्मू व कश्मीर	0.531	1.034	1.565
कर्नाटक	7.122	2.043	9.165
केरल	1.053	0.226	1.279
मध्य प्रदेश	12.947	7.195	20.142
महाराष्ट्र	11.560	2.841	14.401
मणिपुर	0.014	1.424	1.438
मेघालय	0.815	1.103	1.918
नागालैण्ड	0.508	0.878	1.386
उड़ीसा	3.157	3.227	6.384
पंजाब	1.151	0.079	1.230
राजस्थान	18.001	1.933	19.934
सिक्किम	0.131	0.150	0.281
तमिलनाडु	3.392	1.009	4.401
त्रिपुरा	0.108	0.865	0.973
उत्तर प्रदेश	6.635	1.426	8.061
पश्चिम बंगाल	2.177	0.359	2.536
संघ शासित क्षेत्र	0.889	2.715	3.604
योग :	93.685	33.889	129.574

पाइलोकार्पिन की कम आपूर्ति

866. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्र-ज्योति रक्षक औषधि, पाइलोकार्पिन की देश में दिसम्बर, 1992 से कम आपूर्ति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस औषध की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). आयातित प्रपुंज औषध की कस्टम से निकासी में कुछ कठिनाइयों के कारण 1993 के शुरु में पिलोकारपाइन आई ड्राप्स की उपलब्धता गड़बड़ हो गई थी। इसको हल कर दिया गया था और अब कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

[हिन्दी]

पेट्रोल का विकल्प

867. श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से "कांग्रेस घास" और जलकुम्भी से निकाला गया रसायन पेट्रोल का वास्तविक विकल्प हो सकता है;

(ख) क्या इस संबध में कोई परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही, यदि कोई हो, की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) यद्यपि सैद्धान्तिक रुप से संभव है जलकुम्भी के, जिसमें 95 प्रतिशत पानी होता है, और कांग्रेस घास, जो कि मौसमी तथा तितरी-बितरी होती है, निकट भविष्य में पेट्रोल के विकल्प के रूप में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से संभाव्य होने की संभावना नहीं है। तथापि पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रुप में एल्कोहल का उत्पादन, गन्ना और प्राकृतिक गैसों से भारी मात्रा में किया जा सकता है और यह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपनाया जाने वाला बेहतर माध्यम है।

(ग) और (घ). जलकुम्भी से 2-3 ब्यूटेनडाइऑल के माइक्रोबायल उत्पादन की अनुसंधान - परियोजनाओं से, जिनके लिए बायोटेक्नालॉजी विभाग द्वारा निधि उपलब्ध की गई है, प्रति 100 ग्राम अतरलीकृत अपतृण से 15 ग्राम 2-3 ब्यूटेनडाइऑल का उत्पादन हुआ है। ये परिणाम अभी प्रयोगशाला-अनुसंधान अवस्था में हैं।

पश्चिमी तट पर तस्करी की गतिविधियां

868. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री मुमताज अंसारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने पश्चिमी तट पर तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिए तट रक्षक बल के साथ मिलकर हाल ही में एक संयुक्त-सुरक्षा कार्य योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्रवाई सफल हो पाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ग) से (घ). संक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति में विवरण प्रकट करना उचित नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बन्द होना

[अनुवाद]

869. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में बन्द/बन्द किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के एकक कौन-कौन से हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक को अब तक कुल कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(घ) सरकार इन एककों के प्रभावित कर्मचारियों को किस प्रकार पुनः रोजगार प्रदान करेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अब तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम को बन्द नहीं किया गया है। बहरहाल औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित तीन उद्यमों, को उनके मार्च, 1993 तक के कार्य निष्पादन के आधार पर बन्द करने की सिफाशि की है जो सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों हैं और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे गए हैं।

(1) भारतीय साइकिल निगम लि.

(2) भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि.

(3) वेवर्ड इण्डिया लि.

(ख) 31.3.1992 तक, जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा उठाए गए संचित घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	(लाख रुपये में) 31.3.1992 तक संचित घाटा
1.	भारतीय साइकिल निगम लि.	15562
2.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि.	7950
3.	वेवर्ड इण्डिया लि.	969

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मचारियों के दावों को उनके लिए लागू कानूनों के अनुसार निपटाया जाएगा।

[हिन्दी]

प्लास्टिक उद्योग को सुविधाएं

871. श्री बलराज पासी

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े और लघु प्लास्टिक उद्योगों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विकल्प बेराजगार युवकों को प्लास्टिक विनिर्माण इकाईयां स्थापित करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). प्लास्टिक सहित पेट्रो-रसायन कुल मिलाकर लाइसेंसमुक्त है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग को कोई विशेष सुविधा देने पर विचार नहीं किया गया है। लघु क्षेत्र को दी गई सुविधाएं लघु क्षेत्र में प्लास्टिक निर्माताओं को भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ). निर्माण एककों की स्थापना करने के लिए बेरोजगार युवकों को दी गई वित्तीय सहायता प्लास्टिक क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

रेल और सड़क नेटवर्क हेतु योजना

872. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में रेल और सड़क नेटवर्क के संबंध में कोई नीतिगत योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निजी वाहनों की संख्या में होने वाली वृद्धि से उत्पन्न भीड़-भाड़ के परिणामस्वरुप नगर का यातायात अवरुद्ध होने से बचाने के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(घ) क्या सरकार को अन्तरिम नीति के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिधीय क्षेत्रों तक रेडियल्स का विद्युतीकरण करने का सुझाव देने वाले कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) से (ग). दिल्ली में यातायात की भीड़-भाड़ और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने की दृष्टि से मै. रेल इन्डिया टेक्नीकल एण्ड इक्नामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) से साध्यता अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन में दिल्ली में 184.5 किलोमीटर लम्बी जन द्रुतगामी प्रणाली (मेट्रो रेलवे सहित) शुरु करने की सिफारिश की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 1992-93 की कीमतों के आधार पर लगभग 7500 करोड़ रुपये है। इस परियोजना पर बहुत अधिक निवेश को देखते हुए बजट मुहैया कराना सम्भव नहीं है। निवेश निर्णय लिये जाने से पूर्व इस परियोजना के लिए धन जुटाने हेतु वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी होगी।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने मुरादनगर-मेरठ, दिल्ली-खुर्जा, और दिल्ली-पलवल के बीच विद्युतिकरण सहित दो और लाइनों तथा गाजियाबाद-मेरट रेडियलस् के विद्युतीकरण का भी प्रस्ताव किया है। तथापि, रेल मंत्रालय के आठवीं योजना कार्यक्रम में उपर्युक्त रुटों पर दो और लाइनों के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय का विचार है कि गाजियाबाद-मेरठ खंड का विद्युतीकरण तभी उपयोगी होगा यदि सहारनपुर तक विद्युतिकरण किया जाए।

मद्रास हेतु परिवहन योजना

873. श्री सी.के.कुप्पुस्वामी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर , 1993 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ट्रान्सपोर्ट प्लान फॉर मद्रास" शीर्षक के अंतगर्त प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या है और इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरु कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) से (घ). जी, हाँ। सरकार को मद्रास के लिए परिवहन योजना सम्बन्धी समाचार की जानकारी है। इस बारे में शहरी विकास मंत्रालय को राज्य सरकार से काई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

874. श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामयया :

डा. डी वेंकटेश्वर राव :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने वित्तीय ढांचे के पुनर्गठन की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) निगम के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से गरीबों के लिए कितने और अधिक आवासों का निर्माण करने का अनुरोध किया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). ईराक और लीबिया द्वारा अपने यहां निष्पादित परियोजनाओं के बारे में भारी बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण निगम के वित्तीय ढांचे के पुनर्गठन की आवश्यकता पैदा हुई है। इन दो देशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एन.बी.सी.सी. ने भारतीय बैंकों से यूरो-डालर और रुपये के ऋण लिए थे। बैंक ऋणों का भुगतान न होने और फलतः ऋण धनराशि पर बनी भारी ब्याज से निगम का वित्तीय ढांचा चरमरा गया है। एन.बी.सी.सी. द्वारा प्रेस प्रस्तावों में सरकार के जिम्मे प्रमुख वित्तीय बचनबद्धता का समावेश है। इन प्रस्तावों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है और इस मामले में अन्तिम निर्णय बजटीय संसाधनों की आपूर्ति सहित अनेक कारणों पर निर्भर करेगा।

(घ) एन.बी.सी.सी. एक ठेका एजेंसी है और वह विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों द्वारा प्रदत्त निर्माण परियोजनाऐं चलाती है। निर्माण ठेका लेना में निगम को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के अनेक ठेकेदारों से स्पर्द्धा करनी पड़ती है। सरकार ने इस निगम को गरीबों के कल्याण का कोई आवास निर्माण कार्य नहीं सौंपा है।

थार मरुस्थल का विकास

[हिन्दी]

875. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में थार मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए पानी के संरक्षण तथा बर्षा के पानी के संरक्षण और उपयोग हेतु इजराइल में विकसित तकनीक की तरह ही कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना से किन-किन क्षेत्रों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) इस पर खर्च किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बूथों पर कब्जा करने आदि की घटनाएं

[अनुवाद]

876. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर, 1993 में आयोजित विधान सभा चुनों में बूथों पर कब्जा करने, हत्याओं, लूट और आगजनी, जाली मतदान आदि की अनेक घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हैंडपम्प और कुएं

877. श्री दत्ता मेघे :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री विश्वेश्वर भगत :

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण और सूखाप्रवण क्षेत्रों में वर्ष 1992-93 और 1993-94 में आज तक हैंडपम्पों को लगाने और कुओं को खोदने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(ख) राज्य में उपरोक्त अवधि में कितने हैंडपम्प लगाये गये और कुएं खोदे गये?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच.पटेल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का योजनावार आबंटन नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतगर्त निधियों का आबंटन निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

राज्य	आबंटन	
	1992-93	1993-94
महाराष्ट्र	33.90	54.880
मध्य प्रदेश	28.19	46.00

तथापि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि हैंडपम्पों और टयूबवैलों की खुदाई के लिए 1992-93 में 26.82 करोड़ रुपये और 1993-94 में अक्तूबर, 1993 तक 35.91 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

(ख) ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 1992-93 में 6705 तथा 1993-94 में अक्तूबर, 1993 तक 3957 टयूबवैलों की ड्रिलिंग की गयी थी और हैंडपम्प लगाए गए थे। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध हैं 1992-93 में सितम्बर, 1992 तक 290 बोरवैल टयूबवैल तथा 5109 हैंडपम्प लगाए गए थे।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का विकास

878. श्री मुमताज अंसारी :

श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी औद्योगिक नीति के अंतगर्त देश के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में कुछ कार्यक्रम शुरु किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों को किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र स्थापित किया गया है कि ग्रामीण तथा आदिवसी क्षेत्रों के लोगों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं शुरु की हैं। आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना राज्य सरकारों के प्राथमिक उत्तरदायित्व में आता है। किन्तु, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 422 जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है जो एक ही स्थान पर सहायता प्रदान करते हैं। इस विभाग ने आदिवासी क्षेत्रों सहित पिछड़े जिलों में रोजगार और आय उत्पन्न करने के लिए विशेष गहन कार्यक्रम शुरु किये हैं।

ग्रामीण उद्योगों और पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा एक नयी योजना कार्यान्वित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसे 13 जिलों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिए के.वी.आई.सी. इस कार्यक्रम की मानीटरिंग करता है।

(ङ) इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है। किन्तु, विशेष रोजगार योजना के अधीन प्रत्येक जिले में 10,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

राजीव गांधी पेयजल मिशन आबंटन

879. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितना धन खर्च किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के साथ-साथ राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए 5100.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ख)1992-93 में 479.105 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी थी। 1993-94 के लिए आबंटित 740.00 करोड़ रुपये में से 30.11.1993 तक 350.97 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

मूल्य नियंत्रण प्रणाली

[हिन्दी]

880. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** 31 मार्च, 1993 के तारांकित प्रश्न सं. 487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य नियंत्रण प्रणाली के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). औषध नीति, 1986 की समीक्षा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध मूल्य नियंत्रण पद्धति के विभिन्न पहलू शामिल हैं, 19 और 21 अगस्त, 1993 को सदन में विचार-विमर्श किया गया था और निर्णयों को अन्तिम रुप देने का काम अग्रिम अवस्था में है।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास इकाइयां

[अनुवाद]

881. श्री प्रवीन डेका :

श्री वीर सिंह महतो :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के अंतगर्त 1993-94 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास इकाइयों का निर्माण करने हेतु असम और पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और .

(ख) उपरोक्त राज्यों में योजना के अंतगर्त अब्र तक कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिये बस्तियों के निर्माण के लिए राज्य के मैचिंग अंश को मिलाकर आबंटित राशि असम के लिए 810.49 लाख रुपये तथा पश्चिम बंगाल के लिये 2206.32 लाख रुपये है।

(ख) जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, इंदिरा आवास योजना के तहत 1985-86 में इसकी शुरूआत से लेकर सितम्बर, 1993 तक असम में 9700 एवं पश्चिम बंगाल में 70100 मकानों का निर्माण किया गया है।

नोटरी संबंधी शुल्क में संशोधन

882. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न नोटरी संबंधी कार्यों के लिए नोटरी : नियम, 1956 के नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित नोटरी पब्लिक को दिए जाने वाले शुल्क में गत 36 वर्षो से कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नोटरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नोटरी शुल्क को समुचित रुप से संशोधित करने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). नोटरियों की फीस का पुनरीक्षण 1956 से नहीं किया गया है क्योंकि यह समझा गया था कि ऐसा करना लोकहित में नहीं है। तथापि फीस के पुनरीक्षण सहित विभिन्न मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है। उक्त पुनरीक्षण के लंबित रहते हुए, नोटरियों को संदय फीस में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेयजल

[हिन्दी]

883. श्री उदय प्रतापसिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक स्थानों पर खारा पानी मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे स्थानों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कोई प्रबन्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) खारा जल आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पं. बंगाल, पांडेचरी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप में पाया जाता है।

(ख). जी हां।

(ग) वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। जहां किफायती स्रोत का विकल्प नहीं है, वहां खारापन दूर करने के संयंत्रों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा 160 खारापन दूर करने के संयंत्रों का अनुमोदन किया गया था जिसमें 143 संयंत्र लगाये गये हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	संयंत्रों की संख्या	
		अनुमोदित	लगाये गये
1.	गुजरात	12	11
2.	महाराष्ट्र	2	2
3.	तमिलनाडु	21	20
4.	आंध्र प्रदेश	14	11
5.	राजस्थान	89	83
6.	हरियाणा	2	2
7.	पश्चिम बंगाल	3	1
8.	पांडिचेरी	7	3
9.	लक्षद्वीप	10	10
		160	143

[अनुवाद]

गंदी बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं

884. श्री अन्ना जोशी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वृहत मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर स्थित सभी गंदी बस्तियों में मूल भूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) ये सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) से (घ). इस मामले पर स्वीकृत नीति यह है कि महाराष्ट्र सरकार (1) बम्बई हवाई अड्डे के रन-वे के आस पास के स्लमों, जो रन-वे के समीपस्थ होने के कारण पक्षियों से उत्पन्न होने वाले खतरे के कारण बनते हैं (2) प्रति रक्षा भूमि जहां महत्वपूर्ण संस्थापनाएं स्थापित की जाती हैं (3) रेलवे लाइनों से 30 फुट के भीतर आने वाले हटमैन्टों और (4) भू-स्वामी विभागों द्वारा अपने तत्काल उपयोग हेतु अपेक्षित भूमि के मामलों के सिवाय केन्द्र सरकार के विभागों की भूमि पर स्थित स्लमों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रख सकती है। उपर्युक्त नीति के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को सीधे सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पंत्र प्राप्त करने होंगे तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी मुद्दे पर निर्णय केन्द्र सरकार के प्रत्येक सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वतंत्र रुप से लिया जाएगा ।

[हिन्दी]

1992-93 के दौरान योजना निवेश

885. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने 1992-93 के दौरान योजना निवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) 1992-93 के दौरान योजना निवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में गुजरात की क्या स्थिति है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ग). सभी राज्यों की वार्षिक योजना 1992-93 के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्ययों तथा संशोधित परिव्ययों का ब्यौरेवार विवरण संलग्न है। विवरण में प्रत्येक राज्य के लिए अधिकता/कमियां भी दर्शाई गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.रा. क्षे.	वार्षिक योजना 1992-93		
		मूलतः अनुमो. परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अंतर अधिकतर (+) कमी (-)
1.	आंध्र प्रदेश	1660.00	1675.00	15.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.00	235.35	(-) 9.65
3.	असम	960.00	700.00	(-) 260.00
4.	बिहार	2202.73	1100.00	(-) 1102.73
5.	गोआ	152.50	153.42	0.92

6.	गुजरात	1875.00	1875.00	0.00
7.	हरियाणा	830.00	804.57	(-) 25.43
8.	हिमाचल प्रदेश	486.00	490.50	4.50
9.	जम्मू व कश्मीर	820.00	623.00	(-) 197.00
10.	कर्नाटक	1915.00	1915.00	0.00
11.	केरल	913.00	750.00	(-) 163.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	1792.00	(-) 608.00
13.	महाराष्ट्र	3160.00	3208.80	48.80
14.	मणिपुर	210.00	171.30	(-) 38.70
15.	मेघालय	241.00	241.00	0.00
16.	मिजोरम	160.00	165.18	5.18
17.	नागालैंड	185.00	110.19	(-) 74.81
18.	उड़ीसा	1405.00	1055.00	(-) 350.00
19.	पंजाब	1150.00 #	856.50	(-) 293.50
20.	राजस्थान	1400.00	1410.00	10.00
21.	सिक्किम	110.00	110.00	0.00
22.	तमिलनाडु	1751.00	1766.75	15.75
23.	त्रिपुरा	282.00	240.00	(-) 42.00
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	3149.99	(-) 703.01
25.	पश्चिम बंगाल	1501.00	703.50	(-) 797.50
	जोड़ (राज्य)	29867.23	25302.05	(-) 4565.18

योजना आकार में 350 करोड़ रु. की कमी की गई ।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार पैदा करना

886. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाएं शुरु की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षण हेतु चुने गए व्यवसायों और प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है, और गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतगर्तत प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार तथा विशेष रुप से उड़ीसा संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से, विज्ञान और प्रैद्योगिकी विभाग (डी एस टी) के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड ने 1990-91 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार उत्पत्ति (मैगसट) नामक एक कार्यक्रम शुरु किया। यह कार्यक्रम देश के भिन्न भिन्न भागों में लगभग 60 संगठनों की सहायता से चलाया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में मैगसट के अंतर्गत 22,533 रोजगार पैदा किये जा चुके हैं। उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान 769 रोजगार पैदा किये जा चुके हैं। राज्यवार और व्यवसायवार ब्यौरा संलग्न I, II और III में दिया गया है।

विवरण - I

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार उत्पत्ति (मैगसेट) के अंतगर्त सर्जित किये गये रोजगारों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	1990-91	1991-92	1992-93	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	60	50	110
2.	आंध्र प्रदेश	-	-	605	605
3.	अरूणाचल प्रदेश	21	31	-	52
4.	असम	175	100	257	532
5.	बिहार	1972	690	888	3550
6.	चंड़ीगढ़ *				-
7.	दिल्ली	165	126	75	366
8.	गोआ	-	-	-	-
9.	गुजरात	841	-	91	932
10.	हरियाणा	72	26	105	203
11.	हिमाचल प्रदेश	138	131	141	410
12.	जम्मू और कश्मीर	74	42	71	187
13.	कर्नाटक	434	386	29	849

1	2	3	4	5	6
14.	केरल	65	–	34	99
15.	म.प्रदेश	170	125	340	635
16.	महाराष्ट्र	687	60	166	913
17.	मणिपुर	–	–	100	100
18.	मेघालय	25	30	105	160
19.	मिजोरम	–	–	–	–
20.	नागालैंड	–	–	10	10
21.	उड़ीसा	253	121	395	769
22.	पांडिचेरी	–	–	–	–
23.	पंजाब	80	298	133	511
24.	राजस्थान	1579	1372	115	3066
25.	सिक्किम	–	54	33	87
26.	तमिलनाडु	1272	2530	2312	6114
27.	त्रिपुरा	–	–	136	136
28.	उत्तर प्रदेश	793	410	131	1334
29.	पश्चिम बंगाल	251	222	330	803
	कुल जोड़	9067	6814	6652	22533

* पंजाब में सम्मिलित

विवरण – II

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार उत्पत्ति (मैगसेट) के अन्तर्गत सर्जित किये गये रोजगारों का व्यवसायवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	1990-91	1991-92	1992-93	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	बैटरी सर्विस	52	–	–	52
2.	मधुमक्खी पालन	98	–	–	98

1	2	3	4	5	6
3.	नारियल जटा और क्राफ्ट	45	27	75	147
4.	निर्माण	273	185	20	478
5.	इलैक्ट्रिकल्स और इलैक्ट्रानिक्स	332	402	414	1148
6.	इलैक्ट्रिशियन	77	254	132	463
7.	एफ आर पी और प्लास्टिक्स		67	67	
8.	मत्सय पालन	285	104	354	743
9.	फल और सब्जी प्रसंस्करण	85	50	865	1000
10.	सिले-सिलाये वस्त्र	123	18	–	141
11.	कीमती पत्थरों की कटाई और पालिश करना	4082	4036	2500	10618
12.	जूट प्रसंस्करण	82	30	52	164
13.	चमड़ा प्रसंस्करण	95	53	–	148
14.	मैकेनिक्स	153	250	250	653
15.	खुम्बी की खेती	224	112	895	1231
16.	तेल निस्सारण	42	25	–	67
17.	फोटोग्राफी	28	–	–	28
18.	मुर्गीपालन	197	52	135	384
19.	पम्प की मरम्मत	142	125	70	337
20.	कृषि यंत्रों की मरम्मत	129	70	70	269
21.	स्क्रीन प्रिंटिंग	123	74	–	197
22.	साबुन और डिटर्जेंट	172	80	–	252
23.	सौर ऊर्जा व्यवसाय	–	–	55	55
24.	स्टोन क्रशर	1522	–	–	1522
25.	टी वी / वी सी आर मरम्मत	157	50	25	232
26.	दुपहिया मरम्मत	371	695	312	1378
27.	बुनाई	178	122	361	661
	जोड़	9067	6814	6652	22533

विवरण -III

उड़ीसा में सर्जित किये गये रोज़गारों का व्यवसायवार ब्यौरा

क्र.सं.	व्यवसाय	1990-91	1991-92	1992-93	जोड़
1.	पुष्प कृषि	15	20	-	35
2.	रेडियो/टी वी मरम्मत	11	19	-	30
3.	नारियल रेशाशिल्प	24	15	-	39
4.	एग्रो एम/सी मरम्मत	10	-	10	20
5.	खुम्भी खेती	100	25	50	175
6.	खाद्य प्रसंस्करण	21	25	110	156
7.	यंत्र रख-रखाव	60	-	10	70
8.	मधुमक्खी पालन	12	-	-	12
9.	रेशमकीट पालन	-	17	-	17
10.	कपड़ा बुनाई	-	-	30	30
11.	जल कृषि	-	-	20	20
12.	उद्यान	-	-	160	160
13.	दुपहिया मरम्मत	-	-	5	5
	कुल	253	121	395	769

पश्चिम बंगाल में शुद्ध पेय जल की कमी

887. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने गांवों में शुद्ध पेयजल की कमी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन गांवों में पेयजल उपलबध कराने का निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) त्वरित ग्रामीण पेय जल-आपूर्ति कार्यक्रम के अंतगर्त पाइपलाइन के द्वारा जल आपूर्ति के लिए राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) 1985 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल में बिना जल स्रोत वाले समस्याग्रस्त 5930 गांवों का पता लगाया गया था। इन सभी गांवों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पेयजल का कम से कम

एक-एक स्रोत मुहैया करा दिया गया था। तथापि अब तक की स्थिति के अनुसार राज्य में 13205 आंशिक रुप से कवर किए गए गांव हैं।

(ख) लक्ष्यों को राज्य सरकारों से परामर्श करके वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1992-93 और 93-94 के लिये पश्चिम बंगाल में आंशिक रुप से कवर किए गए क्रमशः 2682 और 2008 गांवों को कवर करने का लक्ष्य है।

(ग) पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के लिये अलग से कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह प्रत्येक गांव में कार्यान्वित की जाने वाली योजना के स्वरुप के बारे में इसकी उपयुक्तता, स्थायित्व और लागत आदि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। 1993-94 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 29.52 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। इस राशि में से अब तक राज्य सरकार को 15.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

बिहार में विकास केन्द्र

[हिन्दी]

888. श्री छेदी पासवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में विभिन्न विकास केन्द्रों को अब तक प्रदान की गई आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन विकास केन्द्रों में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों को धनराशि प्रदान न किए जाने के कारण ये केन्द्र कोई विकास कार्य शुरु नहीं कर पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख). विकास केन्द्र योजना के अधीन बिहार को छः विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं जो भागलपुर, बेगुसराय, छपरा, दरभंगा, हजारीबाग और मुजफ्फरपुर जिलों में से प्रत्येक में एक एक हैं। चुने गए केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद विकास केन्द्रों पर कार्य आरंभ किया जाता है।

(ग) से (घ). राज्य को अब तक कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गयी है, क्योंकि इन केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पारादीप में उर्वरकों का उत्पादन

889. श्री के.प्रधानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा स्थित पारादीप उर्वरक संयंत्र में डाई-अमोनियम फास्फेट और फास्फोरिक अम्ल उर्वरकों के

उत्पादन हेतु क्या प्राथमिक लक्ष्य रखे गए हैं;

(ख) इस संयंत्र में अब तक उर्वरकों के उत्पादन में वस्तुतः कितनी उपलब्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). विभिन्न वर्षों के दौरान प्राप्त किया गया डी ए पी का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य	(लाख टन)
		वास्तविक उत्पादन
1986-87	5.04	4.23
1987-88	6.34	4.23
1988-89	6.35	6.27
1989-90	6.30	2.47
1990-91	4.13	3.29
1991-92	7.20	6.42
1992-93	7.25	5.23

आयातित फासफोरिक एसिड की अनुपलब्धता और औद्योगिक अशांति के कारण लक्ष्य की अपेक्षा डी ए पी के उत्पादन में कमी हुई जिससे आवधिक रूप से संयंत्र को बन्द करना पड़ा। अगस्त 1992 में इसके विनियंत्रण के पश्चात् 1992-93 के दौरान डी ए पी की माँग में कमी होने के परिणामस्वरुप डी ए पी के उत्पादन में कटौती करनी पड़ी।

शहरी आधारभूत सुविधां परियोजनाएं

890. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी आधारभूत सुविधा परियोजनाओं की आयोजना और वित्तपोषण की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनरीक्षा के बाद क्या निर्णय लिए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ख). छोटे और मझौले कस्बों का एकीकृत विकास (आई. डी. एस. एम. टी.) की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक स्कीम 1979-80 में आरम्भ की गयी थी। आठवीं योजना दस्तावेज में उल्लिखित नगर आई डी एस एम टी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए विकास की नई राजनीति और पूर्व में प्राप्त अनुभवों के आधार पर दिशानिर्देशों को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 में पुनरीक्षित और संशोधित किया गया था। आई डीएसएमटी

की संशोधित स्कीम की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :

(i) कस्बों के चयन को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बनाये जाने वाले विस्तृत शहरीकरण रणनीति दस्तवेज से जोड़ा गया है, जिनके द्वारा सम्पूर्ण औचित्य के साथ प्राथमिकता क्रम में संभाक्ति वृद्धि वाले कस्बों की पहचान की जायेगी।

(ii) आई डी एस एम टी में शामिल किये जाने वाले कस्बों के लिए जनसंख्या की अधिकतम सीमा 1991 की जनगणना के अनुसार एक लाख से तीन लाख बढ़ा दी गयी है। कस्बे, उनकी आबादी, आकार और निवेश आवश्यकताओं के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटे गये हैं।

(iii) पूर्व की आई डी एस एम टी स्कीम में निहित वित्तीय दबावों पर काबू पाने के लिए और कस्बा विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बजटीय वित्त में केन्द्र सरकार के अंश को 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, और संस्थागत वित्त की भी नीचे दिये गये विवरण के अनुसार बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गयी है :

(लाख रुपयों में)

कस्बे की श्रेणी	आबादी	अनुमेय अधिकतम. परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (ऋण)	राज्य का अंश	हडको ऋण अन्य स्रोत
क	20,000 से कम	100	36	24	40
ख	20,000 से 50000	200	72	48	80
ग	50,000 से 100000	500	120	80	300
घ	100000 से 300000	1000	180	120	700

(iv) प्रत्येक कस्बे की एकीकृत परियोजना रिपोर्ट, राज्य/संघ शासित राज्य की शहरीकरण रणनीति और कस्बे की विकास योजना के अनुरूप करेगी।

(v) अनेक स्थानीय निकाय मुख्यत: वित्त व्यवस्था और तकनीकी विशेषज्ञता न होने के कारण केन्द्रीय सहायता के लिए व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, परियोजना लागत की 2 प्रतिशत अधिकतम सीमा अथवा 2.00 लाख जो भी कम हो की शर्त पर वित्तीय रूप से कमजोर स्थानीय निकायों में परियोजना रिपोर्टों को बनाने में समर्थ बनाने के लिए एक नए अनुदान सहायता घटक को आरम्भ किया गया है।

ग्रामीण विकास पर सम्मेलन

891. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** 24 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4189 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए और पूरे किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा समाज सुधार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों से बड़े नगरों की ओर लोगों के सामूहिक आगमन को रोकने में कितनी मदद मिली है;

(ग) इन् योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई स्थायी परिसम्मपत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इससे वहां रह रहे लोगों के जीवन स्तर में किस प्रकार सुधार हुआ है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ''न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम'' से कितनी मदद मिली है तथा किस सीमा तक लोगों की मूल आवश्यकताएं पूरी हो पायी हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश राज्य में चलाए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना और (3) ग्रामीण जल सप्लाई योजना हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सबसिडी और बैंकों द्वारा आवधिक ऋण के रूप में आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए वित्त पोषण हेतु सहायता दी जाती है ताकि लाभार्थी गरीबी की रेखा को पार कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1990-91 से 1992-93 के दौरान 13.59 लाख परिवारों को सहायता दी गई है। इसी प्रकार एक अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित समूह हैं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को तरजीह दी जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम ''सुनिश्चित रोजगार योजना'' 2 अक्तूबर, 1993 से देश के सभी 1752 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें उत्तर प्रदेश के 145 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खण्ड शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का अकुशल श्रमिक कार्य मुहैया कराना है जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो काम करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जल सप्लाई योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें इस योजना को राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक व्यवस्था करके कार्यान्वित करती हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जल सप्लाई के अंतर्गत सहायता प्रदान करके मदद की जाती है। 1990-91 से लेकर 1992-93 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16970 गांवों को कवर किया गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को मुहैया कराई गई परिसम्पत्तियों का संबंध है, जनवरी-दिसम्बर, 1989 के लिए समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर लगभग 77 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियां सही पाई गई थीं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, 1990-91 से 1992-93 के दौरान सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण - I संलग्न है। ये कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने में सहायक हुए हैं और इनके फलस्वरूप टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही शुरू की गई सुनिश्चित रोजगार योजना को मार्फत सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़े जिलों में बेहतर रोजगार अवसरों के लिए लाभकारी रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार केन्द्र सरकार बेराजगार ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने के सभी प्रयास

कर रही है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिली है। 1991 की गणना के आधार पर यह देखा गया है कि 1971-81 में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की जो वार्षिक दर 3.83 प्रतिशत थी, वह 1991-92 के दौरान घटकर 3.09 प्रतिशत रह गई है।

(घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य लोगो को कुछ बुनियादी सुविधाएं प्रदाब करना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मुख्य घटक प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल, आदि हैं । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के संबंध में 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश का राज्य क्षेत्र योजना परिव्यय 487.62 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दायरे के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण-I

1990-91 से 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य	1990-91	1991-92	1992-93
सामाजिक वानिकी			
कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	4922.20	10961.49	1996.00
लगाये गये वृक्ष (लाख में)	5.82	325.57	10.94
अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभ के कार्य	58319	86100	12152
लघु बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य (हैक्टेयर)	16145.70	30425.00	172.00
भूमि संरक्षण कार्य (हैक्टेयर)	5293.42	28616.00	1381.00
ग्राम तालाबों का निर्माण	643	516	108
भूमि विकास कार्य (हैक्टेयर)	344.48	5384.00	560.00
पेयजल कुएं/तालाब आदि	17996	22384	4132
ग्रामीण सड़कें (कि.मी.)	16671.36	26763.00	4124.00
स्कूल भवन	801	816	44
आवास स्थलों का विकास	1483	405	-
मकानों का निर्माण	23742	32632	1983

पंचायत घर	324	450	120
महिला मण्डल	19	12	–
स्वच्छ शौचालय	913	3270	181
दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत कुओं का निर्माण	2777	8780	0
इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण	25300	20262	22218
अन्य कार्य	15689	19369	4233

विवरण - II

1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के संबंध में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य

क्रं.	घटक	इकाई	1992-93
1	2	3	4
1.	**शिक्षा**		
–	प्राथमिक शिक्षा	हजार	886
–	प्रौढ़ शिक्षा	हजार	3340
2.	**ग्रामीण स्वास्थ्य**		
–	उप केन्द्र	संख्या	1300
–	जन स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	65
–	पशु स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	65
3.	**ग्रामीण जल सप्लाई**	कवर किए गए गांवों की संख्या	4262
4.	**ग्रामीण सड़कें**	1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या	400
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण		
–	विद्युतीकरण युक्त गांव	संख्या	470
–	पावर सप्लाई युक्त पम्प सेट	संख्या	7150

1	2	3	4
6.	**ग्रामीण आवास**		
-	आवास स्थल	परिवारों की संख्या	50,000
-	निर्माण सहायता	परिवारों की संख्या	100,000
7.	**शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार**	गंदी बस्तियों की संख्या	150,000
8.	**पोषाहार**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9.	**ग्रामीण घरेलू रसोई ऊर्जा**		
-	उन्नत किस्म के चूल्हे	संख्या	500,000
-	ग्रामीण ईंधन लकड़ी रोपण योजना योजना	क्षेत्र हैक्टेयर में	4080
10.	**ग्रामीण स्वच्छता**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**	उचित दर दुकानों की संख्या	उपलब्ध नहीं

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण शौचालयों और गलियों का निर्माण

892. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण शौचालयों और गलियों आदि का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में अभी भी ये सुविधायें उपलब्ध करायी जानी शेष हैं; और

(ग) गुजरात राज्य के बड़े गांवों में मल-जल व्यवस्था और शौचालय आदि के निर्माण कब तक करा दिए जाऐंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जवाहर रोजगार योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले बेरोजगारों और अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिये अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार सृजित करना है। वैसे सभी कार्य जो ग्रामीण आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करते हैं और ग्रामीण गरीबों के लिये सीधे और लगातार मिलने वाले लाभों के लिये परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं, जिनमें शौचालयों/गलियों आदि के निर्माण शामिल हैं, जवाहर रोजगार योजना के तहत शुरु किए जा सकते हैं। स्वच्छ शौचालयों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना, जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है, के तहत निर्मित आवासों का ही एक आवश्यक घटक है।

चूंकि जवाहर रोजगार योजना के तहत शुरु किए जाने वाले कार्यों का निर्णय लोगों को अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा लिया जाता है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं अथवा किसी भी राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों अथवा शौचालयों का निर्माण करने के लिये कवर किए गए गांवों की संख्या के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

गुजरात में आवास योजनाएं

893. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के शहरों में हुडकों द्वारा शहर-वार कोई आपात योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ख). हुडको मकानों के निर्माण हेतु कोई स्कीम सीधे तैयार नहीं करता है। यह विभिन्न आवास बोर्डों/विकास प्राधिकरणो, इत्यादि द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई स्कीमों को ऋण सहायता देता है। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (31-10-93 तक) के दौरान गुजरात के विभिन्न नगरों और शहरों में उधार लेने वाली विभिन्न ऐजेंसियों के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत आवास स्कीमों के ब्यौरे विवरण I से III में दिए गए हैं।

विवरण - I

1-4-91 से 31-3-93 तक की अवधि हेतु राज्य-वार शहर वार ब्यौरे

शहर के नाम	स्कीमों की कुल संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि (रु. लाख में)	रिहायशी एककों की संख्या						
				आ.द.से. कमजोर वर्ग	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	गैर रिहायशी भवन	योग	बी एस एकक
					गुजरात					
अहमदाबाद	9	1734.38	1221.31	0	384	1354	82	0	1820	0
अंकलेश्वर	1	28.82	20.98	0	0	30	0	0	30	0
बनासकांठा जिला	1	188.13	90.23	2005	0	0	0	0	2005	0
भावनगर	2	164.43	137.65	0	328	0	0	38	366	0
बोरीसाना	1	111.56	80.88	0	0	113	0	0	113	0
दसरथ जिला	1	22.44	19.89	102	0	0	0	0	102	0
जामनगर जिला	1	1.97	0.95	21	0	0	0	0	21	0
जूनागढ़	2	302.46	255.66	0	624	0	0	0	624	0
कीलोल	1	58.40	43.39	0	182	0	0	0	182	0

खेड़ा जिला	3	328.40	157.50	3500	0	0	0	0	3500	0
मेहसाना	2	156.00	131.04	0	312	0	0	0	312	0
मोर्वी	1	45.48	38.22	0	91	0	0	0	91	0
नडियाड	2	143.59	106.47	361	0	91	0	0	452	0
राजकोट	2	524.49	415.89	216	525	309	0	0	1050	0
राजकोट जिला	1	144.12	69.12	1536	0	0	0	0	1536	0
सूरत	3	954.93	751.76	837	558	615	0	0	2010	0
सुरेन्द्र नगर	1	61.22	52.81	79	112	0	0	0	191	0
शहरी क्षेत्र	3	128.16	71.15	72	20	54	12	0	158	0
वंदोदरा	6	403.14	248.32	97	88	175	97	0	457	0
वालंजा जिला	1	7.04	6.24	32	0	0	0	0	32	0
वालसाड जिला	1	14.74	13.07	67	0	0	0	0	67	0
विसनगर	2	231.97	168.10	0	119	140	0	0	259	0
योग :	47	5755.87	4100.63	8925	3343	2881	191	38	15378	0
क.1 योग :	47	5755.87	4100.63	9825	3343	2881	191	38	15378	0

विवरण - II

1-4-91 से 31-3-93 तक की अवधि हेतु राज्य-वार शहर वार ब्यौरे

शहर का नाम	स्कीमों की कुल संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि (रु. लाख में)	रिहायशी एककों की संख्या						
				आ.द.से. कमजोर वर्ग	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	गैर रिहायशि भवन	योग	बी एस एकक
					गुजरात					
अहमदाबाद	8	1229.15	896.11	913	1502	0	76	0	2491	0
अमरेली	2	177.34	143.02	252	256	0	0	0	508	0
आनंद	1	33.70	25.25	0	0	32	0	0	32	0
अंकलेश्वर	3	221.10	170.80	0	452	0	0	0	452	0
बानसकांठा जिला	1	252.66	113.91	2071	0	0	0	0	2071	0
बहारुच	1	113.29	64.82	0	0	0	37	0	37	0
बाहरूच जिला	1	262.54	118.36	2152	0	0	0	0	2152	
भावनगर	5	551.19	406.13	466	194	288	20	0	968	0
भुज	2	564.34	338.60	0	0	0	240	0	240	0

ढोलका	1	162.75	120.73	0	0	199	0	0	199	0
फुलसर	1	64.25	55.50	104	104	0	0	0	204	0
गांधीनगर	1	47.21	21.29	387	0	0	0	0	387	0
जामनगर	1	361.01	194.11	0	0	0	102	0	102	0
जूनागढ़	1	127.86	64.00	0	0	128	0	0	128	0
कीन साड	1	163.25	118.39	0	0	124	0	0	124	0
करम साड	1	53.42	40.04	0	0	56	0	0	56	0
खेड़ा	3	617.40	317.66	2381	0	0	102	0	2483	0
महुवा	1	31.59	18.94	0	0	0	16	0	16	0
मेहमदाबाद	1	11.66	8.48	53	0	0	0	0	53	0
मेहसाना जिला	1	257.54	116.11	2111	0	0	0	0	2111	0
मोरबी	1	211.52	153.37	0	0	213	0	0	213	0
नडियाड	1	55.42	46.87	0	114	0	0	0	114	0
राजकोट	3	826.91	545.21	857	0	0	0	0	857	0
सानन्द	1	22.22	16.16	101	0	0	0	0	101	0
सूरत	6	1147.36	853.95	1160	256	568	30	0	2014	0

तरसमिया	1	59.16	44.37	0	0	45	0	0	45	0
शहरी क्षेत्र	3	308.47	215.02	1033	13	33	16	0	1095	0
वदोदरा	9	481.82	373.63	659	408	132	0	0	1199	0
बेरावल	1	628.16	440.00	0	0	0	0	0	0	0
योग	63	9044.29	6040.83	14700	3299	1818	639	0	20456	0
ए.1 योग	63	9044.29	6040.83	14700	3299	1818	639	0	20456	0

विवरण -III

1-4-93 से 31-10-93 तक की अवधि हेतु राज्य-वार/शहर वार ब्यौरे

शहर का नाम	स्कीमों की कुल संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि	रिहायशी एककों की संख्या						
				आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	गैर रिहायशि भवन	योग	बी एस एकक
						(रु. लाख में)				
								गुजरात		
अहमदाबाद	2	126.41	95.18	8	72	188	0	0	180	0
अहमदाबाद जिला	1	205.14	92.18	1676	0	0	0	0	1676	0

गोटा	2	383.00	272.68	0	205	196	0	0	401	0
हवेली वाड़ी	1	597.89	432.89	0	0	296	0	0	396	0
जाम नगर जिला	1	122.00	55.00	1000	0	0	0	0	1000	0
झगड़िया	1	108.33	61.76	0	0	0	37	0	37	0
खेड़ा जिला	1	130.48	58.63	1068	0	0	0	0	1066	0
पंचमहल जिला	1	159.12	71.58	1308	0	0	0	0	1300	0
राजकोट	1	216.00	181.44	0	432	0	0	0	432	0
राजपिपला	1	89.61	51.68	0	0	0	37	0	37	0
ग्रामीणक्षेत्र	1	31.46	27.89	143	0	0	0	0	143	0
सानन्द	1	64.94	47.08	0	0	83	0	0	53	0
सिक्का	1	85.71	64.08	0	0	72	0	0	72	0
सूरत	2	886.40	651.33	0	192	588	0	0	780	0
उबखल	1	69.54	51.24	0	122	0	0	0	122	0
उमलला	1	75.29	41.78	0	0	0	25	0	25	0
शहरी क्षेत्र	2	100.54	89.12	457	0	0	0	0	457	0
योग	21	3451.14	2345.52	5642	1023	1413	99	0	8177	0
क-योग	21	3451.14	2345.52	5642	1023	1413	99	0	8177	0

गुजरात में पेयजल सुविधा रहित गांव

894. डा. खुशीराम डुंगरोमल :

श्री हरिभाई पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पेयजल सुविधा रहित पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने 1993-94 के दौरान राज्य में गांवों में कुओं की खुदाई हेतु कोई विशेष धनराशि आबंटित की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ;

(च) 1993-94 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(छ) अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच.पटेल) : (क) 1980 और 1985 के सर्वेक्षण के अनुसार 1.4.1985 को गुजरात में 5727 समस्याग्रस्त गांव थे। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 10 गांवों को छोड़कर शेष सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा योजना-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, 1993-94 के दौरान गुजरात को अतिरिक्त सहायता के रुप में 9.250 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(घ) और (ङ). 10 बिना जल स्रोत वाले समस्याग्रस्त गांवों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। 2 समस्याग्रस्त गांवों को 1993-94 और 8 गांवों को 1994-95 में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आंशिक रूप से कवर किए गए सभी गांवों/बस्तियों में पूर्ण पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

(च) और (छ). 1993-94 के दौरान गुजरात को आबंटित और रिलीज की गई त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की निधियों की स्थिति निम्न प्रकार है : -

(करोड़ रुपये में)

	आबंटन	रिलीज
सामान्य	14.930	7.460
अतिरिक्त	9.250	4.620
मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्र	2.380	1.190
योग :	26.560	13.270

[हिन्दी]

दिल्ली में विशेष अदालत

895. श्री रामपाल सिंह :

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने नशे की लत संबंधी मामलों को निपटाने के लिए दिल्ली में विशेष अदालतें स्थापित करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कुल कितनी अदालतों की स्थापना करने का विचार है तथा उनका कार्यकाल क्या होगा ; और

(घ) नशे की लत के कितने मामले दिल्ली की अदालतों में लंबित पड़े हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज) : (क) से (ग). दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 9 जुलाई, 1993 के अपने निर्णय में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 के अधीन 10 विशेष न्यायालयों का गठन करने का निर्देश दिया है। उक्त अधिनियम के अधीन न्यायालयों का नियमित आधार पर स्थापित करना आवश्यक है।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के अनुसार, तारीख 31-12-92 तक दिल्ली के न्यायालयों में स्वापक औषधि ओर मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन 4015 मामले लंबित थे।

[अनुवाद]

गुजरात के लिए शहरी विकास योजनाएं

896. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 में गुजरात सरकार ने शहरी विकास योजनाओं के लिए कितनी धन राशि मांगी थी;

(ख) अब तक कितनी राशि दी गई और किन-किन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए उक्त राशि व्यय की गई/व्यय की जाएगी; और

(ग) कब तक बाकी योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) लघु तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी) की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत गुजरात सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान नाडियाड, बहरुच और वाधवन नामक 3 नये कस्बों के लिये परियोजना रिपोर्ट भेजी थी जिनमें परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित लागत अनुमान का प्रस्ताव था :

1.	नाडियाड	रु. 774.54 लाख
2.	बहरुच	रु. 946.15 लाख
3.	बाधवन	रु. 259.79 लाख

उपर्युक्त कस्बों की परियोजना रिपोर्टों की जांच की गई थी और राज्य सरकार से दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना रिपोर्टों को परिवर्तित/संशोधित करने का अनुरोध किया गया था।

(ख). 30-11-93 तक गुजरात राज्य के 33 कस्बों को आई डी एस एम टी के अन्तर्गत शामिल किया गया है और संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरों अनुसार राज्य सरकार को 1031.83 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई। वाधवन कस्बे की संशोधित परियोजना रिपोर्ट चालू वर्ष में प्राप्त हो गई है और इस कस्बे को भी शामिल कर लिया गया है तथा 24 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की राशि की प्रथम किस्त मंजूर कर दी गई है। विस नगर कस्बे के लिये केन्द्रीय सहायता की 3 लाख रुपये की राशि की अन्तिम किस्त भी मंजूर कर दी गई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा आई डी एस एम डी के तहत केन्द्रीय सहायता के लिये प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रस्ताव प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार तथा वित्तीय वर्ष के दौरान धन उपलब्ध होने पर समय-समय पर मंजूर किये जाते हैं।

विवरण

आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता का कस्बे-वार ब्यौरा

(1979-80 से 30-11-93 तक)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	धनराशि (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आनन्द	40.000
2.	पाटन नार्थ	39.760
3.	पोरबन्दर	28.370

1	2	3
4.	वलसाद	41.740
5.	वारसवल पाटन	24.500
6.	पालनपुर	40.000
7.	अंकलेश्वर	38.340
8.	दाहोद	39.950
9.	मेहमादाबाद	26.250
10.	गोधरा	40.000
11.	भुज	30.000
12.	अमरेली	40.000
13.	मेहसाना	36.020
14.	खामभट्ट	44.250
15.	कालोल सैज	40.000
16.	सानन्द	8.000
17.	देहगाम	19.500
18.	दीसा	12.150
19.	महुवा	46.000
20.	बिल्लिमोरा	33.000
21.	विस नगर	43.000
22.	अपलेटा	46.000
23.	ऊझा	45.000
24.	गोंडल	20.000
25.	नवसारी	23.000
26.	हिम्मत नगर	29.750
27.	जूनागढ़	29.500
28.	सुरेन्द्र नगर	27.500
29.	बोटाड़	15.000
30.	मोरबी	25.000
31.	सिद्धपुर	20.000
32.	विरम गांव	20.000
33.	केशोड़	20.000
	योग :	1031.830

तापीय, ज्वारीय, जल तथा पवन परियोजनाएं

897. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास तापीय, ज्वारीय, जल पवन परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान कितने प्रस्ताव लम्बित हैं ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस संबंध में परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान संघ सरकार को प्राप्त ताप विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 50 प्रस्ताव और वृहत जल विद्युत उत्पादन के लिए 80 प्रस्ताव विभिन्न प्रक्रियागत चरणों में हैं।

3 मेवा. तक की स्टेशन क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और साथ ही सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उद्यमियों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। गुजरात के कच्छ में ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का पता लगाया गया है। तथापि तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से संभाव्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लघु जल विद्युत और पवन ऊर्जा के विकास के संबंध में सभी दृष्टि से पूर्ण कोई भी परियोजना प्रस्ताव संघ सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा है।

(ख) वर्ष 1993-94 हेतु तापीय, ज्वारीय, जल विद्युत और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के संबंध में धनराशि का नियतन नीचे दिया गया है : -

क्र.सं.	परियोजनाएं	नियतन (करोड़ रुपये में)
1.	ताप और वृहत आकार का जल विद्युत उत्पादन	11,028.48
2.	लघु जल विद्युत	18.00
3.	पवन ऊर्जा	17.00
4.	समुद्री ऊर्जा (ज्वारीय सहित)	0.10

राज्यों की वार्षिक योजनाएं

898. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बढ़ते घाटों के कारण योजना आयोग ने राज्यों की वार्षिक योजना 1994-95 पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श कब से आरंभ किया जायेगा और कब पूरा किया जायेगा; और

(ग) राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

899. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की 1200 एकड़ भूमि पर भवन निर्माताओं, गन्दी बस्ती निवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अवैध कब्जों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में अवैध कब्जों को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नजूल-2/पुनर्वास मंत्रालय की लगभग 1329 एकड़ भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध वाली अतिक्रमणाधीन है।

(ख) अतिक्रमणों के ब्यौरे इस प्रकार है :

झुग्गियां	459.00 एकड़
मुकदमें वाली	278.70 एकड़
धार्मिक प्रकृति की	84.51 एकड़
व्यावसायिक	67.00 एकड़
अन्य	439.79 एकड़
कुल :	1329.00 एकड़

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में निम्नलिखित अतिक्रमण हटाये गये : -

वर्ष	हटाये गये अनाधिकृत निर्माणों की संख्या	वापस ली गई भूमि
1991-92	4763	261 एकड़
1992-93	4058	284 एकड़
(अक्तूबर, 1993 तक)	2261	187 एकड़

(ग) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए पहले से ही एक नियमित तंत्र है। और अतिक्रमणों को रोकने तथा प्रारम्भिक अवस्था में ही अतिक्रमणों को हटाने के लिए बल दिया जा रहा है। अतिक्रमणों के हटाने के अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्नलिखित पर ध्यान दे रहा है;

(1) अतिक्रमण संभव भूमियों की बाड़ लगाकर सुरक्षित करना।

(2) स्थगन आदेशों को निरस्त करने हेतु मुकदमे लड़ना, और

(3) गहन चौकसी एवं निगरानी

लघु बिजली परियोजनाएं

900. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में लघु बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में 15 मेगावाट से कम क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए अनुमोदित परिव्ययों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जा रहे हैं ।

विवरण

15 मेगावाट से कम विद्युत क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय

(लाख रु.)

		1992-93 अनुमोदित परिव्यय	1993-94 अनुमोदित परिव्यय
	राजस्थान		
1.	अनूपगढ़ (एच) (6X1.5) (मेगावाट)	85	52
2.	सूरतगढ़ (एच)(2X2 मेगावाट)	150	53
3.	मंगोल (एच) (3X2 मेगावाट)	200	90
4.	चरणवाला (एच) (3X1.2 मेगा.)	130	100
5.	जखम (एच)(2X4.5 मेगा.)	25	1
6.	पुगल (एच) (1.5+0.65 मेगा.)	140	125
7.	रामगढ़ गैस (1X3 मेगा.)	261	100
8.	इटावा माइक्रो हाइडल स्कीम	80	110
9.	बिरसलपुर माइक्रो हाइडल स्कीम	50	70
10.	आरएमसी माही-1 (2X.4 मेगा.)	30	40
	जोड़ :	1151	741

उत्तर प्रदेश		
लघु जल विद्युत निगम	300	1550
मध्य प्रदेश		
निमिन/माइक्रो हाइडल स्कीम	800	340

गुजरात में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे है उद्योग

901 : श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गुजरात में प्रायोजित/चलाये जा रहे उद्योगों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरु किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय(लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग)में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में, खादी कार्यक्रम के अलावा नयी योजनाओं सहित अनेक ग्रामोद्योग कार्यक्रम प्रधानतया गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय एककों द्वारा चलाए जाते हैं।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किये गये वे उपाय निम्नलिखित हैं जिनके परिणामस्वरुप गुजरात सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं : -

1. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने एक महत्वाकांक्षी आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा विशेष कार्यक्रम तैयार किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अत्याधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।
2. खादी संस्थानों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।
3. ज़ोनल और रीजनल कार्यालयों की स्थापना द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।
4. बड़े संस्थानों का विकेन्द्रीकरण करके उन्हें छोटे और स्वंतत्र संस्थानों में परिवर्तित करना ।
5. तेज गति वाले नये मॉडल के चर्खो और स्पिंडल चर्खो का प्रचलन आरंभ करना।
6. नये खादी भण्डारो/भवनों की स्थापना।
7. सिलेसिलाए तैयार फैंसी वस्त्रों की शुरुवात करना।
8. केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्रों की स्थापना।
9. राज्य-स्तरीय संघ (फेडरेशन) का गठन।
10. पूरे देश में कपास और सिल्क के लिए वस्त्रागारों तथा धागा बैंकों और चरखों के लिए स्पेयर पार्ट बैंकों की स्थापना।

[अनुवाद]

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की कमी

902. श्री सी.श्रीनिवासन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक निर्माण एकक उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन युक्त घटकों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष और आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उर्वरकों की मांग पूरी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). डी ए पी और कम्पलेक्स उर्वरकों का उत्पादन करने वाले एकक जो आयातित अमोनिया का उपयोग करते हैं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में वहन करने योग्य मूल्यों पर अमोनिया प्राप्त करने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डी ए पी तथा कम्पलेक्स उर्वरकों के कुछ उत्पादकों ने उसके केपटिव अमोनिया-यूरिया उत्पादन में कमी के कारण नाइट्रोजनयुक्त घटकों की कमी महसूस की है।

(ग) और (घ) : नियंत्रित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की आपूर्ति तथा मांग के बीच के अन्तर की पूर्ति आयातों के माध्यम से की जाती है। फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरक 25.8.92 से अनियंत्रित कर दिए गए हैं। मुख्य फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों के आयात भी असरणीबद्ध कर दिए गए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश

903. श्री रमेश चेन्निथला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुप से राज्य-वार कितना-कितना केन्द्रीय निवेश किया गया है;

(ख) क्या औद्योगिक रुप से पिछड़े राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगाने के लिए सरकार ने कोई दिशानिर्देश तैयार कर लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रुप में केन्द्रीय निवेश का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1991-92 के खण्ड 1 के प्रष्ठ संख्या 36 पर दिया गया है जिसे 26.2.1993 को संसद में रखा गया था।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोरिया द्वारा पूंजी निवेश

904. प्रो. (श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन) : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के हाल के कोरिया दौरे के दौरान, भारत और कोरिया के बीच पूंजी निवेश और तकनीकी जानकारी के संबंध में हुई सहमति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री ने 9 से 11 सितंबर, 1993 तक कोरिया गणराज्य (आर.ओ.के.) की यात्रा के दौरान कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और कोरियाई तथा भारतीय व्यवसायियों की संयुक्त व्यवसाय परिषद् को भी संबोधित किया था। वे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से मिले थे और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री के दौरे में निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे :

1. पर्यटन सहयोग पर समझौता।
2. 1993-95 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सी.ई.पी.)।
3. एस.एंड टी. कोआपरेशन पर एक प्रोटोकोल।

एशियाई विकास बैंक द्वारा कर्नाटक की विकास परियोजनाओं के लिए सहायता

905. श्री सी.पी. मुदाल गिरिय्यप्पा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अपनी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता मांगी गई है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) कर्नाटक सरकार, शहरी अद्धसंरचना विकास के लिये एशियन डवलपमेंट बैंक (ए डी बी) से सहायता लेने की इच्छुक है। इस संबंध में ए.डी.बी के एक टोही दल ने कर्नाटक का दौरा किया और अधिकारियों के साथ परिचर्चा की।

इस आधार पर, ए.डी.बी. द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान किये जाने की सम्भावना है ताकि कर्नाटक सरकार ए.डी.बी. को प्रस्तुत करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सके।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच समझौता ज्ञापन

906 श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड ने मेडिकल एक्सरे एककों और सी.टी. स्केन एककों के पंजीकरण और निरीक्षण के संबंध में वैज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौतों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड ने भी इस संबंध में अन्य एजेसियों से सम्पर्क किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 15 नवम्बर, 1993 से लेकर 24 महीने तक की अवधि में कम से कम बीस हजार चिकित्सा एक्स-रे यूनिटों का निरीक्षण करेगी। 15-11-1993 की स्थिति के अनुसार इस कार्य में छः प्रयोगशालाएं हिस्सा ले रही हैं। ये प्रयोगशालाएं हैं - राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन एम एल), जमशेदपुर ; क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर आर एल), भोपाल; यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान तथा विकास संगठन (एम ई आर ए डी ओ), पुणे : केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन (सी एस आई ओ), चंडीगढ़ ; औद्योगिक विष-विज्ञान केन्द्र (आई टी आर सी), लखनऊ ; केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्थान (सी बी आर आई) रूड़की। इन प्रयोगशालाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश के तीन मंडल (भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद), महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली संघ शासित प्रदेश शमिल हैं।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्मिकों को निःशुल्क प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इन प्रशिक्षित कार्मिकों को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निरीक्षक का नाम देगा। ये निरीक्षक एक विस्तृत प्रोफार्मा में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए चिकित्सा एक्स-रे संस्थापनाओं का दौरा करेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को निरीक्षण सेवा के लिए परस्पर सहमति से तय किएगए प्रभार की उपयुक्त प्रतिपूर्ति करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु ऊर्जा, नियामक बोर्ड ने उन क्षेत्रों, जो वैज्ञानिक ओर औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नहीं आते हैं, के चिकितसा एक्स-रे यूनिटों और सी.टी. स्कैन यूनिटों का पंजीकरण करने तथा निरीक्षण करने के लिए कुछ अन्य अनुसंधान

तथा विकास संगठनों से सम्पर्क किया है। इस संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को कोई निश्चित वचनबद्धता प्राप्त नहीं हुई है।

फार्मास्युटिकल एककों को अर्थक्षम बनाने की योजना

907 श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स एककों को अर्थक्षम बनाने की योजना सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति के लिए लंबित इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये एकक आवश्यक औषधियों का उत्पादन करते हैं; और

(घ) इस योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). जी, हां। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., बंगाल इम्युनिटी लि., बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. की पुररूद्धार योजनाएं औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/सरकार द्वारा नियुक्त संचालन एजेन्सी द्वारा तैयार किए जाने/विचार किए जाने की अवस्थाओं में हैं।

(घ) उपर्युक्त कंपनियों की पुनरूद्धार योजनाएं निकट भविष्य में विचार के लिए बी आई एफ आर के पास भेजे जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कापार्ट द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

908. श्री छोटूभाई गामीत : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''कापार्ट'' द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को उपलबध कराई गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य वार उन संस्थाओं के नाम क्या है, जो पिछले एक से तीन वर्षो से कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें ''कापार्ट'' द्वारा वित्तीय सहायता उपलबध करायी गई है. और

(ग) उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं, जो तीन वर्षो से भी अधिक वर्षो से कार्य कर रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) जानकारी विवरण में दी गई है।

(ख) कापार्ट द्वारा ऐसे किसी भी स्वयंसेवी संगठनों की सहायता नहीं दी गई है जो तीन वर्ष से कम समय से कार्य कर रही है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

30.9.1993 की स्थिति

राज्य कोड	राज्य का नाम	एजेंसियों की कुल संख्या	स्वीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	1	1	767573.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	484	1016	198470030.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	7	786490.00
4.	असम	55	104	14652186.00
5.	बिहार	517	1328	228387648.00
6.	चंडीगढ़	6	12	6360510.00
7.	दिल्ली	120	271	67403581.00
8.	गोआ	2	2	502600.00
9.	गुजरात	101	280	106100012.00
10.	हरियाणा	67	166	24407726.00
11.	हिमाचल प्रदेश	38	123	18591464.00
12.	जम्मू व कश्मीर	12	22	4612777.00
13.	कर्नाटक	152	383	82636814.00
14.	केरल	176	355	85209481.00
15.	मध्य प्रदेश	135	257	36537778.00
16.	महाराष्ट्र	207	477	216375518.00
17.	मणिपुर	133	271	48242091.00
18.	मेघालय	3	5	2183590.00
19.	मिजोरम	10	21	1138101.00

1	2	3	4	5
20.	नागालैण्ड	7	8	4244953.00
21.	उड़ीसा	204	445	82676992.00
22.	पांडिचेरी	5	7	433396.00
23.	पंजाब	7	18	1996136.00
24.	राजस्थान	153	347	84190438.00
25.	तमिलनाडु	357	819	163372040.00
26.	त्रिपुरा	2	2	600090.00
27.	उत्तर प्रदेश	891	2098	293955928.00
28.	पश्चिम बंगाल	616	1595	314364603.00
	योग	4464	10440	2102200546.00

खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार

909. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) खादी और ग्रामोद्योग में इस समय कितने रुपये का वार्षिक उत्पादन होता है; और

(ग) खादी की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 31.3.93 की स्थिति के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्यौग में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

(लाख व्यक्ति)

खादी	ग्रामोद्योग	योग
14.45	38.05	52.50

(ख) 31.3.93 की स्थिति के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन की मात्रा रुपयों के रुप में नीचे दी गयी है :

(करोड़ रुपये)

खादी	ग्रामोद्योग	योग
353.50	2523.45	2876.95

(ग) खादी मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :-

1. विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध कराने हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने योजना तैयार की है।
2. खादी संस्थानों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।
3. ज़ोनल ओर रीजनल कार्यालय स्थापित करके खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।
4. बड़े संस्थानों को विकेन्द्रित करके उन्हें छोटे और स्वतंत्र संस्थानों में परिवर्तित करना।
5. तीव्र गति वाले नये माडल के चरखों की शुरुवात।
6. नये खादी भण्डारों/भवनों की स्थापना।
7. सिलेसिलाए तैयार फैंसी वस्त्रों की शुरुवात।
8. केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्रों की स्थापना।
9. खादी इत्यादि की सभी की मदों के लिए कताई की मजदूरी 10 प्रतिशत और बुनाई की मजदूरी 20 प्रतिशत बढ़ा दी गयी है।

[अनुवाद]

चुनाव संबंधी सुधार

910. श्री पी.सी. थामस : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी विभिन्न सुधारों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और दल-बदल विरोधी कानून सहित चुनाव में संबंधित विभिन्न कानूनों में संशोधन करने का है; और

(घ) क्या चुनाव पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने के लिए कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें विवरण में अन्तर्विष्ट हैं जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) दल परिवर्तन पर रोक लगाने संबंधी विधि में संशोधन का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए, जब भी उन प्रस्तावों की अन्तिम रुप दिया जाए, सुसंगत विधियों में संशोधन अपेक्षित हो सकता है।

(घ) जी, हाँ।

विवरण

निर्वाचन सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

1. निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय होना चाहिए।
2. निर्वाचन आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग पर व्यय 'भारित' होना चाहिए/ न कि 'अनुक्त्त'।
3. निर्वाचक नामावलियों को प्रत्येक अनुकल्पी वर्ष में गहन रुप से पुनरीक्षित किया जाना चाहिए और अन्य वर्षों में संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी रहना चाहिए।
4. संबद्ध प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचानपत्र जारी किए जाने चाहिए और निर्वाचनों सहित जहां कहीं भी पत्रधारक की पहचान जानने के लिए अपेक्षित हो वहां ऐसे पहचानपत्रों को प्रस्तुत किया जाना आवदकर कर दिया जाए।
5. संबद्ध जिला निर्वाचन आफिसर से कानून द्वारा परामर्श करने की अपेक्षा होनी चाहिए और उसे इस बात के लिए सशक्त किया जाना चाहिए कि निर्वाचनों के लिए पुलिस व्यवस्था में उसकी राय हो।
6. राजनीति के ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जो फरार उद्घोषित व्यक्तियों को संश्रय देते हैं और उनके साथ खुलेआम देखे जाते हैं। जब निर्वाचन सन्निकट हो या उसकी प्रक्रिया चल रही हो तब दोषसिद्ध अपराधियों को पैरोल मंजूर करना या उनके दंडादेश का परिहार करने की शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।
7. मत पेटियों या इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को अप्राधिकृत रुप से कब्जे में रखने और मत पत्रों को अप्राधिकृत रुप से मुद्रित किए जाने को संज्ञेय अपराध बना दिया जाना चाहिए।
8. सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभूति निक्षेप की रकम में वृद्धि की जानी चाहिए।
9. प्रतयेक अभ्यर्थी के लिए, कम से कम 10 प्रस्तावक होने चाहिए, जो विभिन्न मतदान क्षेत्रों से होने चाहिए।
10. किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।
11. निर्वाचन व्ययों तथा विधियों व्यवस्था को बना रखने पर प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए प्रचार की अवधि को 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया जाना चाहिए।
12. निर्वाचन आयोग की रिटर्निंग आफिसर की रिपोर्ट के बिना भी बूथों पर कब्जा करने के कारण निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।
13. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल प्रत्येक वर्ष अपने लेखाओं को प्रकाशित करे और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा इनकी लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

14. निर्वाचन व्ययों के सही लेखाओं का न रखा जाना या विहित समय के भीतर और रीति से उसकी सही प्रति का प्रस्तुत न किया जाना, कारावास तथा जुर्माने से दंडनीय होना चाहिए और दोषसिद्ध पर अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।

15. ऐसे अभ्यर्थी, जो विहित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, अपने आप ही पांच वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित हो जाने चाहिए।

16. आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण का परिणाम यह होना चाहिए कि अभ्यर्थियों का निर्वाचन जिसके पक्ष में या जिसकी सम्मति से या जिसकी मौनानकलता से अतिक्रमण कारित हुआ था, शून्य घोषित किया जाना चाहिए और अभ्यर्थीयों को छह वर्ष की अवधि के लिए निरहित कर दिया जाना चाहिए।

17. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क में राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विद्यमान उपबंधों को हटाया नहीं जाना चाहिए और यदि कोई दल इस धारा के अधीन दिए गए वचनबंध का अतिक्रमण करता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए एक विनिर्दिष्ट उपबंध होना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होनी चाहिए।

18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 169 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों की अतिक्रमण करते हैं और उसके प्रतिकूल हैं। अत: नियम बनाने का प्राधिकार पूर्णतया निर्वाचन आयोग को प्रदत्त किया जाना चाहिए। तथापि, निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार से परामर्श करेगा।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, भारत यंत्र निगम लिमिटेड और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की पुनर्गठन योजना

911. श्री तरित बरन तोपदार : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, भारत यंत्र निगम लिमिटेड और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों के संबंध में विश्व बैंक की सहायता से विदेशी परामर्शदात्री एजेंसी द्वारा व्यापक पुनर्गठन अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या इस एजेन्सी ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) परामर्शियों की मुख्य अनुशसाएं इस प्रकार है :

(1) कारोबार सम्बन्धी, विभिन्न कार्यकलापों को पुनवर्गीकरण,

(2) जनशक्ति का युक्तिकरण;

(3) वित्तीय पुनसंरचना ; और

(4) सुविधाओं का आधुनिकीकरण।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए विसंगति दूर करने वाली समिति का प्रतिवेदन

912. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों की कुछ श्रेणियों में रही विसंगतियों को दूर करने हेतु सिफारिश करने के लिए नियुक्त समिति ने उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो पेंशन में ''वन टाइम इन्क्रीज' के अंतर्गत लाभ नहीं पा सके हैं; अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भूतपूर्व सैनिकों की शेष श्रेणियों को कब तक राहत उपलबध करा दी जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (घ). समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने उन रक्षा पेशनरों की कुछ श्रेणियों को पेंशन में एक बार वृद्धि की सिफारिश की है जिन श्रेणियों को पिछले आदेशों/अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। समिति की सिफारिशों को लागू करने से व्यय में प्रतिवर्ष करीब 20 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । इन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है और इन पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है।

उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद तथा विचाराधीन वाद

913. श्री एम. रमन्ना राय :

श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में आज की तिथि तक न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को समय पर न भरे जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) 31 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन वादों की संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण -I में दी गई है।

(ख) विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए, संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों में परामर्श की प्रक्रिया जारी है और कुछ नियुक्तियों की घोषणा शीघ्र ही किए जाने की संभावना है।

(ग) उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्रीयों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण- II में दी गई है।

विवरण - I

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	1.12.1993 को न्यायधीशों के रिक्त पदों की सं.
1.	इलाहाबाद	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	5
3.	मुम्बई	12
4.	कलकत्ता	13
5.	दिल्ली	6
6.	गुवाहाटी	4
7.	गुजरात	4
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू-कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	7
11.	केरल	1
12.	मध्य प्रदेश	7
13.	मद्रास	3
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	6
16.	पंजाब और हरियाणा	4
17.	राजस्थान	6
18.	सिक्किम	1
	कुल	91

	II उच्चतम न्यायालय	6

कृपया ध्यान दें : उच्चतम न्यायालय में तीन रिक्तियों पर नियुक्तियों का अनुमोदन हो गया है और आवश्यक ओपचारिक्ताएं शीघ्र ही पूरी किए जाने की संभावना है।

विवरण - II

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	30.6.1993 को लंबित मामले
1.	इलाहाबाद	695880
2.	आन्ध्र प्रदेश	110158
3.	मुम्बई	188567
4.	कलकत्ता	226445
5.	दिल्ली	155345
6.	गुजरात	100975
7.	गुवाहाटी	23994
8.	हिमाचलप्रदेश	18212
9.	जम्मू-कश्मीर	68321
10.	कर्नाटक	130044
11.	केरल	128765
12.	मध्य प्रदेश	82028
13.	मद्रास	301191
14.	उड़ीसा	37323
15.	पटना	79786
16.	पंजाब और हरियाणा	113807
17.	राजस्थान	106790
18.	सिक्किम	74
	II उच्चतम न्यायालय	1.3.1993 को लंबित मामले 35022 (नियमित सुनवाई के मामले)

जवाहर रोजगार योजना के लाभभोगी

914. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी निर्धनों की दक्षता बढ़ाने के लिये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिये सहायता प्रदत्त शहरी निर्धनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि दी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय(ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख). जवाहर रोजगार योजना देश के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगार और अल्परोजगार लोगों के लिये अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार के सृजन के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है न कि शहरी क्षेत्रों में। अतः जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी गरीब लाभार्थियों को लघु - उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमेरिका अनुसंधान कार्यक्रम

915. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन सौदा रद्द हो जाने के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में एक नये समझौते का प्रस्ताव रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). अमेरिका सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी नए अथवा विस्तारित किये गये द्विपक्षीय सहयोगी परियोजनाओं की अक्तूबर, 1989 से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रकाश में पुनरीक्षा कर रही है। यह पुनरीक्षा रूस के साथ हुए क्रायोजेनिक इंजन सौदे के रद्द करने अथवा रद्द न किये जाने से संबंधित नहीं हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। प्रस्तावित उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी हितों की ऐसी गतिविधियों के माध्यम से सहयोगात्मक अवसर प्रदान करने हैं, जिनमें वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, संगोष्ठियों एवं बैठकों के आयोजन तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के अन्य रुपों को भी शामिल किया जा सकता है। इन सहयोगी क्रियाकलापों पर दोनों देशों के अपने-अपने कानून तथा नियम लागू होंगें।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पादन

916. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा इस समय किए जा रहे वर्ष-वार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने परमाणु विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान परमाणु बिजलीघरों द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (बिलियन यूनिट)
1990-91	6.0
1991-92	5.6
1992-93	6.6

(ख) तथा (ग) परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं में नए यूनिट लगाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त अपेक्षाकृत बेहतर सेवाकालीन निरीक्षण और निवारक अनुरक्षण द्वारा मौजूदा बिजलीघरों की क्षमता का और अधिक उपयोग करना शामिल है। योजनागत/निर्माणाधीन नए यूनिटों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

यूनिट संख्या सहित परमाणु विद्युत परियोजना	क्षमता मेगावाट	क्रांतिकता प्राप्त करने की अनुमानित तारीख
ककरापार-2	220	फरवरी 94
कैगा-1	220	जून 96
कैगा-2	220	दिसम्बर 96
राजस्थान-3	220	नवम्बर 96
राजस्थान-4	220	मई 97
तारापुर-3	500	(संसाधनों की उपलब्धता
तारापुर-4	500	पर निर्भर)
	कुल 2100	

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में आधारभूत परियोजनाएं

917. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निजी क्षेत्र की आधारभूत परियोजनाओं पर निगरानी रखने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख). कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग नौ आधारी संरचना क्षेत्रों के कार्य निष्पादन का प्रबोधन करता है, अर्थात विद्युत, कोयला, इस्पात, रेलवे, नौवहन, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम और दूरसंचार। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकांश परियोजनाओं का प्रबोधन कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र की केवल कुछ परियोजनाओं का प्रबाधन विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया जाता है।

अन्य बातों के साथ-साथ, संचालनात्मक समस्याओं को सुलझाने के लिए, आधारी संरचना पर मंत्रिमंडलीय समिति, औद्योगिक आधारी संरचना के लिए सचिवों की समिति तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री के द्वारा इन क्षेत्रों के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

बंगलौर के समीप "साफ्टवेयर सिटी"

918. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिंगापुर सरकार की सहायता से बंगलौर के समीप कोई "साफ्टवेयर सिटी" विकसित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फैलीरो) : (क) भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु ऐसा एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यह प्रस्ताव बंगलौर के पास संयुक्त उद्यम कम्पनी के रुप में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने से संबंधित है जिसमें राज्य सरकार, सिंगापुर कंसोर्टियम तथा टाटा ग्रुप की साम्यापूँजी सहभागिता होगी।

उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार

919. श्री राम बदन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिलहाल कुल कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहे हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके उत्थान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध है । पहले के अनुमानों के अनुसार 1987-88 में गरीबों की संख्या 23.77 करोड़ थी, जो कि लगभग 4.14 करोड़ घरो (परिवारों) के समकक्ष थी। सरकार ने स्व: प्रो. डीटी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विशेषज्ञ दल ने 1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान 31.27 करोड़ लगाया है जो कि लगभग 5.51 करोड़ परिवारों के समकक्ष है ।

(ख) 1987-88 में उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पूर्व के अनुमानों के अनुसार 4.48 करोड़ रु. थी और विशेषज्ञ दल के अनुमानों के अनुसार 5.37 करोड़ रुपये थी जो लगभग 0.73 करोड़ के तथा 0.889 करोड़ परिवारों के समकक्ष थी। गरीब परिवारों के जीवन की गुणवता में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें आय बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के कार्यक्रम भी शामिल है जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आइ.आर.डी.पी.) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे.आर. वाई) साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एन.एन.पी.) क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़के, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पोषण, ग्रामीण घरेलू कुकिंग ऊर्जा, ग्रामीण सफाई तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जैसे घटक शामिल है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों का मांग पत्र

920. प्रो.पी.जे. कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भूतपूर्व सैनिक सरकार को समय-समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनकी शिकायतों को शीघ्र दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). भूतपूर्व सैनिक और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठन अपनी समस्याओं/मांगों के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन/ज्ञापन प्रस्तुत करते रहे हैं। उनकी मांगे मुख्यत: उन पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाने से संबंधित होती हैं जो मौजूदा नियमों के अन्तर्गत इन लाभों के हकदार नहीं है। उनकी से भी मांगे हैं कि उन्हें समान रैंक समान पेंशन, मौजूदा पेंशन संबंधी लाभों में सुधार, रक्षा सेवाओं से सेवामुक्त होने के बाद सुनिश्चित रोजगार और विभिन्न कल्याण सुविधाएं दी जानी चाहिए।

1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों की कठिनाइयों की पुनरीक्षा और उनका वास्तविक

हल ढूंढने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी । उस समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत सशस्त्र सेना कार्मिकों की पेंशन में एक बार की वृद्धि करने के लिए मार्च, 1992 में आदेश जारी जारी किए गए थे। बादमें, मार्च, 1992 में जारी किए गए आदेशों को लागू करने पर उत्पन्न हुई विसंगतियों और उन आदेशों के अंतर्गत न आने वाले भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणियों के दावों पर विचार करने के लिए एक और समिति गठित की गई। बाद में गठित इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस पर विचार किया जा रहा है। समिति की सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

पेशन से संबंधित मांगों को छोड़कर अन्य मौंगों पर विचार करने के लिए भी एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास और कल्याण-कार्य एक सतत प्रक्रिया है और उनकी समस्याओं पर सरकार द्वारा एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

चश्मों के ग्लास बनाने वाले एकक

921. डा. परशुराम गंगवार : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चश्मों के ग्लास बनाने वाले उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने उपक्रम समुचित ढंग से कार्य कर रहे हैं और कितने उपक्रम रूग्ण पड़े हैं; और

(ग) उन् उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). केवल एक उपक्रम अर्थात मैं भारत आप्थालमिक ग्लास लि. दुर्गापुर आप्थालमिक/चश्मों के ग्लास बनाने में संलग्न है। जब से कंपनी की स्थापना हुई है उसे हानि हो रही रही है। यह संशाधित रूग्ण औद्यागिक कंपनी अधिनियम, 1985 की परिसीमा में आ गई है और इस बारे में बी.आई.एफ.आर. को लिखा गया था जिसने इस रूग्ण घोषित कर दिया है और आई.डी.बी.आई. को संचालन अभिकरण के रुप में नियुक्त किया है। कंपनी के भविष्य के बारे में बी.अई.एफ.आर. द्वारा निर्णय किया जाएगा।

[अनुवाद]

टाउनशिप की स्थापना

922. श्री इरा अन्नारासु : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और सिंगापुर की सरकारों ने भारत के किसी एक महानगर में टाउनशिप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जापान अंतराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) औद्योगिक माडल टाउन (आई.एम.टी.) का मास्टर प्लान अध्ययन कर रही है। अंतिम रिपोर्ट के मसौदे के आधार पर भारत सरकार ने गुडगांव के निकट प्रस्तावित स्थल का संभाव्यता अध्ययन शुरु करने की सिफारिश मान ली है। सिंगापुर के प्राधिकारियों का प्रस्ताव अभी वैचारिक स्तर पर है।

तम्बाकू उद्योग में कर्मचारी

923. श्री के.एच. मुनियप्पा:

श्री वी. कृष्ण राव :

श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू उद्योग में विशेषकर बीड़ी, सिगरेट, नसवार और जर्दे के उत्पादन में लगे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस उद्योग के कर्मचारी कम वेतनभोगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्योग के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबन्धन

924. श्री एन डेनिस : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लघु औद्योगिक एककों में वैज्ञानिक प्रबन्धन की कमी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग तथा कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) लघु उद्योग एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना की रिपोर्ट 1987-89 के अनुसार अति लघु उद्योग 95.9 प्रतिशत हैं जिनमें 5.00 लाख रुपये से कम का निवेश है। स्पष्टत: उनमें एक ही आदमी सर्वेसर्वा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनमें प्रर्याप्त प्रबंध विशेषज्ञता नहीं है। किन्तु यह देखा गया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योग एककों में वैज्ञानिक प्रबंध होता है।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार ने लघु उद्योग विकास कर्मियों और लघु उद्योग एककों को प्रबंध प्रशिक्षण और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद में "नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ स्माल इण्डस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग" की

स्थापना की है। इस संस्थान ने प्रबंध के क्षेत्रों में अनेक लघु उद्योग एककों के अनुसंधान और अन्वेषणकारी अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों से लघु उद्योग उद्यमियों हेतु संघन प्रबंध प्रशिक्षण की आवश्यकता का पता चला है।

बंगलोर में गन्दी बस्तियों का सुधार

925. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर शहर में गन्दी बस्तियों में रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई परियोजना मंजूर की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या गन्दी बस्तियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) क्या प्रस्तावित परियोजना का कार्य शुरु किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क). जी, हां। इस सहायता से बंगलौर शहरी निर्धनता परियोजना प्रायोगिक आधार पर अनुमोदित की गई है।

(ख) परियोजना की लागत 163 लाख रुपये है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) तथा (ङ) परियोजना अभी हाल ही में शुरु की गई है और शामिल किये जाने वाले स्लमों, लाभग्राहियों की संख्या का आकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास में लगे हुए गैर-सरकारी संगठन

926. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कितने गैर-सरकारी संगठनों की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) उक्त संगठनों को किन-किन विकासात्मक कार्य-क्षेत्र में तैनात किया गया है तथा उन संगठनों के जो विशेषत: उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं; नाम क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख). 30 सितम्बर, 1993 तक कापार्ट द्वारा 4464 स्वयंसेवी की एजेंसियों की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मोटे तौर पर स्वीकृत परियोजनाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, जन सहयोग, लाभार्थियों के संगठन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना नामक योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। 30 सितम्बर, 1993 तक उत्तर प्रदेश में कापार्ट द्वारा 89 स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गई है।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ी जातियों की नियुक्ति

927. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं सहित अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आबंटन के लिए सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति करने के सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उसके परिणामस्वरुप अब तक कितने लोगों को लाभ मिला है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) अन्य पिछड़ी श्रेणियों की नियुक्ति के लिए सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने के संबंध में अब तक किए गए उपाय निम्नानुसार है :

(1) उन जातियो/समुदायों, जिन पर आरक्षण के आदेश लागू होते हैं, की सूची अधिसूचित की गई ।

(2) उन व्यक्तियों/वर्गों (संपन्न वर्ग) को, जिन पर आरक्षण लागू नहीं होगा, विनिर्दिष्ट किया गया।

(3) आरक्षण की प्रसुविधा का दावा करने के लिए आवेदन पत्र का एक आदर्श नमूना तैयार किया गया और राज्य सरकारों को भेजा गया।

(4) उन सक्षम प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया जो अन्य पिछड़ी श्रेणियों के व्यक्ति होने तथा साथ ही उनका संपन्न वर्ग से संबंध न होने के बारे में प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

(5) उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का आदर्श नमूना संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के साथ परामर्श करके तैयार किया गया तथा सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को परिचारित किया गया।

(6) राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया कि वे अन्य पिछड़ी श्रेणियों के प्रयोगार्थ आवश्यक प्रमाणपत्र देने के लिए अपने जिला प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दें।

(7) खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए विद्यमान 40 प्वाइंट रोस्टर को अन्य पिछड़े वर्गों के 54 प्वाइंट सहित 200 प्वाइंट रोस्टर में परिवर्धित कर दिया गया है ताकि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणियों की मात्रा तय कर सके।

(ख) विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो पायेगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में मंदी की प्रवृत्ति

928. श्री अंकुशराव टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्रों के कुछ खंड अभी तक मंदी की प्रवृति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मंदी की प्रवृत्ति के क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने इन खंडों के विकास की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मती कृष्णा साही) : (क) से (ग). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अगस्त 1993 के लिए तैयार किये गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र ने अप्रैल-अगस्त 1993 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.8 की प्रतिशत विकास दर प्रदर्शित की है। क्षेत्रवार विकास की दरें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जुलाई 1991 से सरकार द्वारा पहल के रुप में जो नीतिगत उपाय किये गये हैं तथा 1992-93 और 1993-94 के केन्द्रीय बजट में जो उपाय किये गये हैं उनका लक्ष्य समग्र औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाना है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं -टैरिफ ढांचे का युक्तियुक्तकरण तथा सरलीकरण, आयात और उत्पाद शुल्क की दरों में कमी, बुनियादी ढांचे के लिए केन्द्रीय योजना आबंटन में वृद्धि, योजना परिव्यय में वृद्धि द्वारा समग्र मांग बढ़ाना, वैधानिक नकदी अनुपात को घटा कर ऋण को उपलब्धती मे वृद्धि करना और वाणिज्यिक उधार पर न्यूनतम उधार दरों में कमी करना।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की विकास दरें

(आधार : 1980-81 - 100)

कोड ग्रुप	उद्योग ग्रुप	भार	अप्रैल-अगस्त
		1992-93	1993-94
20-21.	खाद्य उत्पाद	5.3270	- 24.1
22.	बिवरेज, तंबाकू और उत्पाद	1.5710	20.6
23.	सूती वस्त्र	12.3090	5.5
25.	जूट, सन व मेस्टा स वस्त्र	1.9990	15.3
26.	वस्त्र उत्पाद	0.8170	-17.2
27.	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, फर्नीचर व फिक्सचर्स	0.4480	4.0

28.	कागज और कागज उत्पाद	3.2350	4.0
29.	चमड़ा और फर उत्पाद	0.4890	18.0
30.	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला	4.0000	13.1
31.	रसायन और रसायन उत्पाद	12.5130	7.3
32.	गैर-धातु खनिज	2.9990	5.9
33.	मूल-धातु और मिश्र-धातु उद्योग	9.8020	6.1
34.	धातु उत्पाद और पुर्जे	2.2880	2.7
35.	मशीने, मशीन टूल्स और पुर्जे	6.2400	-0.1
36.	इलैक्ट्रीकल मशीनें	5.7790	-12.6
37.	परिवहन उपकरण और पुर्जे	6.3860	0.3
38.	अन्य विनिर्माणकारी उद्योग	0.9050	-0.4
	डिवीजन 2 व 3 विनिर्माणकारी	77.1070	1.0
	डिवीजन 1 खान और खदान	11.4640	-2.5
	डिवीजन 4 विद्युत	11.4290	9.3
	समग्र सूचकांक	100.0000	1.8

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

बेरोजगार युवकों की समस्या

929. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **योजना और कार्यक्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बेरोजगार युवकों की समस्या पर विचार करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार युवकों हेतु सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख). फरवरी, 1992 में गठित राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की एक समिति ने रोजगार तथा बेरोजगारी के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श किया तथा विस्तृत सिफारिशें की। राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 18 सितम्बर, 1993 को हुई बैठक में इन पर विचार किया गया तथा इनका अनुमोदन किया गया। बेरोजगार युवाओं, विशेषतया शिक्षित युवाओं के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बढ़ा स्व:रोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने की सिफारिश की है। समिति द्वारा की/सिफारिशों के/गई आधार पर प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) नामक एक कार्यक्रम पहले ही अक्तूबर, 1993 में शुरु किया जा चुका है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गांवों का विकास

931. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतगर्त पड़ने वाले गांवों के समेकित विकास संबंधी रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन गांवों का ब्यौरा क्या है जिनका इस प्रतिवेदन के आधार पर विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ग) समेकित विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2001 के फ्रेम वर्क के भीतर दिल्ली के लिए एक प्रारुप उप-क्षेत्रीय योजना हाल ही में तैयार की है। प्रारुप योजना में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चयनित गांवों के समेकित विकास की सिफारिश की गई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत विकास योजनाओं के आधार पर सेवा केन्द्र/संवृद्धि केन्द्रों के रुप में निम्नलिखित गांवों को विकसित किए जाने का प्रस्ताव हैं :-

(I) बख्तावरपुर

(II) बवाना

(III) झाड़ौदा कलां

(IV) ढांसा

(V) छावला

(VI) जगतपुर

(VII) घोगा

(VIII) कुतुब गढ़

(IX) जौन्ती

(X) मितराऊ ; और

(XI) थुमनहेड़ा

उपर्युक्त गांवों के अलावा, नजफगढ़ (सेन्सस् टाऊन) को भी दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार की जाने वाली विकास योजना के आधार पर उप-क्षेत्रीय केन्द्र के रुप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्रारुप योजना के अनुसार, प्रस्तावित सेवा केन्द्रों और

उप-क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए विकास योजना दिल्ली नगर निगम द्वारा एक निर्दिष्ट समय सीमा में तैयारा किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में आवास योजनाएं

932. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में गत तीन वर्षों के दौरान ''हुडकों'' की सहायता से कार्यान्वित की गयी आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के लिए कितना धनराशि दी गयी; और

(ग) ''हुडको'' के पास स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) हुडकों ने सूचित किया है कि उन्होंने गत तीन वर्षों अर्थात 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान चण्डीगढ़ की विभिन्न आवास एजेसियों को 28.97 करोड़ रुपये की ऋण धनराशि के लिए कुल 19 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें से प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृत सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। चालु वित्त वर्ष के दौरान हुडको ने चण्डीगढ़ में 1.92 करोड़ रुपये की ऋण की सहायता की एक योजना स्वीकृत की है।

(ग) हुडको ने सूचित किया है कि उन्हें छह योजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें 17.80 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की माग की गई है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ो रुपये में)
1	2	3	4
1.	आवास तथा आश्रय संवर्धन के माध्यम से शहरी रोजगार	1990-91	6.81
2.	रैन बसेरों के निर्माण की योजना	-वही-	*
3.	मनी माजरा की संयुक्त आवास योजना	चरण-37 - वही -	164.68
4.	- वही -	चरण 38 - वही -	198.52
5.	- वही -	चरण 60 - वही -	139.22
6.	- वही -	चरण 39 - वही -	193.05

1	2	3	4
7.	- वही -	चरण 61 - वही -	167.53
8.	- वही -	चरण 66 1991-92	167.53
9.	- वही -	चरण - 68 - वही -	194.45
10.	- वही -	चरण - 64 - वही -	133.09
11.	- वही -	चरण - 65 - वही -	133.09
12.	- वही -	चरण - 67 - वही -	167.53
13.	- वही -	चरण - 36 - वही -	164.68
14.	- वही -	चरण - 35 - वही -	164.68
15.	- वही -	चरण - 69 - वही -	140.62
16.	- वही -	चरण - 63 - वही -	194.45
17.	- वही -	चरण - 62 - वही -	194.45

* एजेन्सी ने हुडको ऋण की मांग नहीं की थी। तथापि हुडको ने 2 लाख रुपये की केन्द्रीय अर्थ सहायता (सबसीडी) जारी की।

18.	मौली जगरावं में स्थल तथा संवा योजना	175.20
19.	मौली जगरांव में 285 तथा पलसोरा में 72 ई. डब्ल्यू. एस इकाइयां	197.73
	कुल योग	2897.31

प्रति व्यक्ति आय

933. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1991-92 में चालू मूल्यों के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक और कम आय अर्जित करने वाली कुल जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है;

(ख) ऊपर लिखित वर्षों के लिए स्थिर मूल्यों (1980-81) के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक और कम आय अर्जित करने वाली कुल जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है;

(ग) 1981-82 से 1991-92 के दशक के दौरान चालू तथा स्थिर मूल्यों पर औसत प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क और ख) वर्ष 1981-82 और 1991-92 के लिए चालू और स्थिर (1980-81) मूल्यों पर औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक और कम आय अर्जित करने वाली कुल जनसंख्या के अनुमानित प्रतिशत सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 1981-92 से 1991-92 के दशक के दौरान चालू और स्थिर (1980-81) मूल्यों पर औसत प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 197 ओर 28.4 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारी और पिछड़ापन

934. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के गांवों में ग्रामीण बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या का समाधान करने के लिये कोई ठोस योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच.पटेल) : (क) और (ख). देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा पिछड़ेपन की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना नामक 2 प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सबसिड़ी तथा बैंकों द्वारा ऋण के रुप में सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि आय सृजन की गतिविधियां शुरु की जा सकें जिससे लाभार्थी गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ हो सकेंगे । इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्परोजगार वाले पुरुषों तथा महिलाओं के अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इसके अलावा, मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों के 120 पिछड़े जिलों, जिनमें मध्य प्रदेश के 17 जिले शामिल हैं तथा जिनमें अत्यधिक बेरोजगारी तथा अल्परोजगारी की समस्या है, में गहन जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन कभी शुरु कर दिया है । इस दिशा में ''सुनिश्चित रोजगार योजना'' का कार्यान्वयन है जिसे देश के पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले सभी 1752 खंडों में 2 अक्तूबर, 1993 से लागू किया गया है जिनमें मध्य प्रदेश के 23 खण्ड भी शामिल हैं। योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों के लिए कम से कम 100 दिन की अकुशल शारीरिक श्रम वाली मजदूरी उपलब्ध कराना है जिन्हें रोजगार की जरूरत है तथा जिन्हें रोजगार की तलाश है। इस योजना के अंतर्गत कार्य गैर कृषि वाले मौसम के दौरान शुरु किए जाने हैं।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जहवार रोजगार योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर इन कार्यक्रमों के ''समवर्ती मूल्यांकन'' के रुप में सर्वेक्षण किए गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का चौथा दौर सितम्बर, 1992 अक्तूबर, 1993 में किया गया था

तथा इसके परिणामों को तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन का दूसरा दौर जून, 1993 में शुरु किया गया था तथा यह मई, 1994 में पूरा हो जाएगा। सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर इन कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपचारी उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत आप्थलमिक ग्लास लिमिटेड का आधुनिकीकरण

935. श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दुर्गापुर स्थित भारत आप्थलमिक ग्लास लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). भारत ऑप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड (बी.ओ.जी.एल.) ने आठवीं योजनावधि में कुल 51 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण सहित अनेक स्कीमें शुरु करने का प्रस्ताव किया है।

ब्यौरे नीचे दर्शाए गए है :		(करोड़ रुपये में)
1.	इलेक्ट्रिक फर्नेस	3.00
2.	आटो प्रेस मशीन	0.50
3.	अतिरिक्त चौथी भट्ठी	0.50
4.	आटो रेमिंग मशीन	1.00
5.	आर.एम.डब्ल्यू. ग्लास के लिए क्रेन	1.00
6.	अनवरत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी	45.00
		51.00

तथापि, अनवरत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के आयात हेतु अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। बी.ओ.जी.एल. का मामला बी.आई.एफ.आर. के समक्ष है। बी.ओ.जी.एल. के बारे में आगे की कार्रवाई बी.आई.एफ.आर. की अन्तिम अनुशंसाओं पर निर्भर करेगी।

परती भूमि विकास बल

936. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) देश में परती भूमि के विकास हेतु परती भूमि विकास बल में बढ़ोतरी हेतु योजना को अंतिम रुप देने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परती भूमि का राज्यवार अनुमानतः कितना क्षेत्र है;

(ग) सरकार द्वारा निगमित क्षेत्र एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशाल परती भूमि विकास परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) परती भूमि के विकास में राज्य सरकार की क्या भूमिका दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग मुरैना और भिंड सहित मध्य प्रदेश राज्य के कठिन एवं बंजर क्षेत्रों में बंजरभूमि विकास हेतु बंजरभूमि कार्यदल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वर्ष 1993-94 के दौरान 1.00 करोड़ रुपये का संशोधन बजट प्रावधान रखा गया है।

(ख) बंजरभूमि का पता लगाने के लिए अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर देश की 329.00 मिलियन हैक्टयर भूमि में से 129.58 मिलियन हैक्टयर भूमि बंजर भूमि है। राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार निवेश प्रोत्साहन योजना को आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक अथवा प्रति परियोजना 25 लाख रुपये तक जो भी कम हो, अनुदान सहायता देगी, बशर्ते कि योजना नाबार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकों द्वारा स्वीकृत की गई हो और उसमें वनेत्तर क्षेत्रों में बंजर भूमि का विकास किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की मुख्य योजना समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना हैं जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य वन विभाग और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया जाता है।

विवरण

भारत में अनुमानित बंजर भूमि

(मिलियन हैक्टेयर)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वनेत्तर निम्नीकृत क्षेत्र	वन निम्नीकृत क्षेत्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	7.682	3.734	11.416
असम	0.935	0.795	1.730
बिहार	3.896	1.562	5.458
गुजरात	7.153	0.683	7.836
हरियाणा	2.404	0.074	2.478

हिमाचल प्रदेश	1.424	0.534	1.958
जम्मू व कश्मीर	0.531	1.034	1.565
कर्नाटक	7.122	2.043	9.165
केरल	1.053	0.226	1.279
मध्य प्रदेश	12.947	7.195	20.142
महाराष्ट्र	11.560	2.841	14.401
मणिपुर	0.014	1.424	1.438
मेघालय	0.815	1.103	1.918
नागालैण्ड	0.508	0.878	1.386
उड़ीसा	3.157	3.227	6.384
पंजाब	1.151	0.079	1.230
राजस्थान	18.001	1.933	19.934
सिक्किम	0.131	0.150	0.281
तमिलनाडु	3.692	1.009	4.401
त्रिपुरा	0.108	0.865	0.973
उत्तर प्रदेश	6.636	1.426	8.061
पश्चिम बंगाल	2.177	0.359	2.536
संघ शासित क्षेत्र	0.889	2.715	3.604
योग	93.685	35.889	129.574

उर्वरकों के विकल्प

937. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोगैस स्लरी (बायोगैस संयंत्र में बचा तरल पदार्थ) का प्रयोग उर्वरकों के विकल्प के रुप में किया जा सकता है जो बाहर बने अधिकांश उर्वरकों से बेहतर होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस समय कितनी मात्रा में बायोगैस स्लरी उपलब्ध है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). बायोगैस गोबर घोल (बायोगैस संयंत्रों द्वारा छोड़ दिया तरलित गोबर) को रासायनिक

उर्वरकों के साथ अथवा उनके बिना एक प्रभावी उर्वरक के रुप में इस्तेमाल किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की फसलों और कृषि जलवायु दशाओं पर निर्भर करते हुए बायोगैस गोबर घोल के प्रयोग से 15 से 35 प्रतिशत तक उत्पादन वृद्धि होने की रिपोर्ट हैं।

(ग) देश में अब तक लगाए गए 18.2 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों से बायोगैस गोबर घोल को उपलब्धता प्रतिवर्ष 280 लाख टन होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की धनराशि

938. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **प्रधान** मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की धनराशि के बारे में 4 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). जी हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गत तीन वर्षो अर्थात् वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 1993 (जून तक) के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित शीर्ष स्तरीय (निदेशक मण्डल स्तर के) कार्यपालकों के विरुद्ध धन के दुरुपयोग के आरोप से संबंधित मामले दर्ज किए थे :

(क) **धन का दुरुपयोग (केवल)**

(1) श्री एन प्रसाद, निदेशक (वित्त), विद्युत वित्त निगम लि.

(2) श्री एम.सी. नौलखा, सदस्य (वित्त), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

(ख) **अन्य कारणों से**

(3) श्री आर. वैंकटेशन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.

(4) श्री एस.एल.जैन, प्रबन्ध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.

(5) श्री एस.के. सोढ़ी, निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.

(6) श्री ए.एस. भण्डारी, निदेशक,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लि.

(7) श्री ओ.पी. नरूला, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लि.

(8) श्री एच.सी. मल्होत्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.

(9) श्री आर. सी केहर, निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.

(10) श्री यू.वी. किनी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत पैट्रोलियम कारपो. लि.

(11) श्री आर.के. गजरे, निदेशक, भारत पैट्रोलियम कारपो. लि.

(12) श्री एन.सी. मुखर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत रिफैक्ट्रीज लि.

(13) श्री पी.एल. देवघर, अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कारपो. लि.

(14) श्री जोसफ कुरीयन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.

(जिन पदनामों का उल्लेख किया गया है, वे तथाकथित अपराध होने के समय के हैं)

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण

939. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्षो के दौरान सौर ऊर्जा के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उपकरणों की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990, जनवरी 1991, जनवरी 1992 और आज तक इन उपकरणों की लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस लागत को कम करने के लिए मूल्य निर्धारित नीति की समीक्षा का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण की लागत मुख्यतया सौर प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों की लागत पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान ऐसे माड्यूलों की लागत नीचे दी गई है : -

जनवरी 1990	:	134 रुपये प्रति वाट पीक
जनवरी 1991	:	164 रुपये प्रति वाट पीक
जनवरी 1992	:	225 रुपये प्रति वाट पीक
वर्तमान तारीख तक	:	190 रुपये 200 रुपये प्रति वाट पीक

(ग) और (घ) सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नीति को जुलाई, 1993 से एक नया बाजारोन्मुख रुप दिया गया है। अलग-अलग योजनाएं अर्थात् समाजोन्मुख योजना और बाजारोन्मुख योजना आरम्भ की गई है। समाजोन्मुख योजना मुख्यतया कठिन और आर्थिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए है और इसमें सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की खरीद के लिए सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बाजारोन्मुख योजना का कार्यान्वयन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की खरीद के लिए व्यक्तियों और साथ ही साथ वाणिज्यिक संगठनों को

उदार शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध है। इन उपायों का उद्देश्य और प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की लागत कम करना है। इसके अलावा, गुणवत्ता को बढ़ाने तथा सौर प्रकाशवोल्टीय सैलों, माड्यूलों ओर प्रणालियों की लागत कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को जारी रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सौर प्रकाशवोल्टीय उत्पादों के विनिर्माण और इस्तेमाल के लिए विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलबध हैं। इन प्रोत्साहनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

"न्यू पैटर्न स्कीम" के अंतर्गत डी.डी.ए. फ्लैटों का मूल्य

940. श्री जीवन शर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी.डी.ए. को "न्यू पैटर्न स्कीम" के अंतर्गत सभी श्रेणियों के फ्लैटों के मूल्य घटानें का आदेश दिया है;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) "न्यू पैटर्न स्कीम" के अंतर्गत न्यायालय के आदेश के पूर्व और पश्चात सभी श्रेणियों के डी.डी.ए. फ्लेटों की मूल्य दरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी.डी.ए. को अनेक बार अपने फ्लैटों का मूलय योजना-बार कम करने का निर्देश दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है जो अभी तक लम्बित हैं।

(ग) उपर्युक्त "क" और "ख" के सन्दर्भ में आज की स्थिति के अनुसार नई पैटर्न योजना के तहत फ्लैटों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों की अनुमानित दरें निम्नलिखित रेंज में हैं :

1.	जनता	-	1,33,700 से 1,40,700/रुपये
2.	एल.आई.जी.	-	3,15,800 से 3,23,600/रुपये
3.	एम.आई.जी.	-	4,08,000 से 5,11,000/रुपये

(घ) और (ङ) जी, हाँ। 3 मामलों में उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लैटों की कीमत कम करने का निर्देश दिया है । एक मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. विशेष अनुमति याचिका दायर की है तथा शेष 2 मामलों में एस.एल.पी. दायर की जा रही है।

उड़ीसा में औद्योगिक विकास

942. श्री अनादिचरण दास : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की औद्योगिक विकास की गति बहुत मंद है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) राज्य सरकार को अपने औद्योगिक विकास में वृद्धि करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार सूचकांक तैयार नहीं करता है फिर भी केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रस्तुत शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों के अनुसार उड़ीसा के विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 1990-91 के दौरान वृद्धि दर 2.0 प्रतिशत थी।

(ग) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना के अनुसार उड़ीसा के उद्योग एवं खनिज क्षेत्र के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय वर्ष 1993-94 में 6869 लाख रुपये था जबकि वर्ष 1992-93 के योजना खर्च के संशोधित अनुमान की राशि 1889 लाख रुपये थी।

केरल का का वार्षिक योजना व्यय

943. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए कितना योजनागत व्यय स्वीकृति किया गया;

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 की वार्षिक योजना में केरल सरकार का कितना योगदान रहा; और

(ग) केरल सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वार्षिक योजना 1992-93 तथा 1993-94 के लिए वास्तविक अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 913 करोड़ रुपये तथा 1000 करोड़ रुपये था जिसे बाद में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी के पणिाम स्वरुप संशोधित करके 915.05 करोड़ रुपये तथा 1003 करोड़ रुपये किया गया।

(ख) वार्षिक योजना निर्माण के समय वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए वार्षिक योजना की वित्त व्यवस्था हेतु निर्धारित किए गए राज्य के कुल संसाधन क्रमशः 85.68 करोड़ रुपये तथा 46.63 करोड़ रुपये थे।

(ग) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक योजना 1992-93 के लिए अनुमोदित व्यय 777.59 करोड़ रुपये हैं। विकास के प्रमुख शीर्षो के अंतर्गत व्यय को नीचे दर्शाया गया है :

	प्रमुख शीर्ष	करोड़ रुपये
	1	2
1.	कृषि तथा ग्रामीण विकास	175.38
2.	सिंचाई	111.90

1		2
3.	ऊर्जा	184.00
4.	उद्योग तथा खनिज	87.00
5.	परिवहन तथा पर्यटन	64.30
6.	समाज सेवाएं	136.77
7.	अन्य	18.24
	जोड़	777.59

आवास परियोजनाओं के लिए हुडकों को वित्तीय सहायता

944. श्री एस.बी.थोरात : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नवम्बर, 1992 में फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने हुडकों की आवास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया था,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भारत में विशेष रुप से महाराष्ट्र में चल रही आवास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में हाल के भूंकप से प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विदेशों से कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगी गई है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख) इन्डो फ्रेंच आर्थिक सहयोग के तहत फ्रेंच प्रोतों कोल वित्त व्यवस्था हेतु आवास व नगर विकास से संबंधित विभिन्न परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा हेतु एक फ्रेंच शिष्ट मंडल ने नवम्बर, 1992 में भारत का दौरा किया था। हुडको हेतु वित्तीय साधन बढ़ाने में फ्रेंच पूंजी सुलभ करने तथा सामाजिक आवास परियोजना चलाने में हुडको को ऋण सुविधा जुटाने संबंधी भारत सरकार के अनुरोध को शिष्ट मंडल के ध्यान में लाया गया था। किन्तु फ्रेंच से इस बारे में अब तक कोई ठोस वायदा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में कमजोर वर्गो के लिए विभिन्न चालू आवास योजनाओं के लिए जर्मन वित्त संस्था के एफ डब्लू ने हुडको व एच.डी.एफ.सी. को वित्तीय मदद दी है। एच. डी.एफ.सी. को प्रदत्त ऋण कार्यक्रम में महाराष्ट्र की निम्नलिखित दो योजनाएं शामिल है :

		कुल मकान	ऋण सहायता
1.	रायगढ़ में सीमांत कृषकों को कम कीमत के मकान	138	रु. 30.36 लाख
2.	बाजार में ग्रामीणों के लिए कम कीमत के मकान	21	रु. 3.381 लाख

जापानी फर्म ओ ई सी एफ ने भी राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ करार किया है, जिसमें इस बैंक की पुर्वित स्कीम की मार्फत निम्न व मध्य आय वर्ग के मकान मालिकों की आवास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था हेतु सरकारी गारंटी पर 2.970 विलियन येन भत्ता दिया जाएगा।

(ङ) और (च) हाल के भूकम्प से पीड़ित लोगों के पुनर्वास हेतु महाराष्ट सरकार ने विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 10,886 मिलियन रुपये की मदद मांगी गई है, जिसमें से 8500 मिलियन रुपये की मदद आवास के लिए है। इस मदद से नये स्थानों पर 26000 नये मकानों का निर्माण करने, 3463 मकानों की यथा स्थान मरम्मत/पुननिर्माण करने और 90,000 अन्य मकानों की मरम्मत करने तथा 175 गांवों में बुनियादी अवस्थापन सुविधायें व सेवायें सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण ब्लाकों में ग्रामीण निर्धनों को रोजगार

945. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण ब्लाकों में ग्रामीण निर्धनों को सुनिश्चित रोजगार देने हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों में कितने ब्लाकों का पता लगाया गया है; और

(ग) ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 को ही शुरु की गई है। अत: 1992-93 के दौरान इस योजना के कार्यान्व्यन हेतु निधियाँ निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) 1993-94 के दौरान पता लगाए गए पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खण्डों की राज्यवार तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु अभी तक रिलीज की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु पता लगाए गए खण्डों (पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खंण्डों) की राज्यवार संख्या और 1993-94 के दौरान उन्हें रिलीज की गई राशि

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खण्डों की संख्या	रिलीज की गई राशि (लाख रुपये में)
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	750
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	300
3.	असम	69	431.25
4.	बिहार	156	975.00
5.	गोआ	-	-
6.	गुजरात	97	606.25
7.	हरियाणा	44	275.00
8.	हिमाचल प्रदेश	7	43.75
9.	जम्मू व कश्मीर	34	212.50
10.	कर्नाटक	94	587.50
11.	केरल	21	131.25
12.	मध्यप्रदेश	223	1393.75
13.	महाराष्ट्र	114	712.50
14.	मणिपुर	22	137.50
15.	मेघालय	30	187.50
16.	मिजोरम	20	125.00
17.	नागालैण्ड	28	175.00
18.	उड़ीसा	143	893.75
19.	पंजाब	-	-
20.	राजस्थान	122	762.50
21.	सिक्किम	4	25.00

1		2	3
22.	तमिलनाडु	56	350.00
23.	त्रिपुरा	18	112.50
24.	उत्तर प्रदेश	145	906.25
25.	पश्चिम बंगाल	128	800.00
26.	अंडमान और नि.द्वीप समूह	2	10
27.	चंडीगढ़	-	-
28.	दादर व दीव	1	5
29.	दमन और दीव नगर हवेली	1	5
30.	दिल्ली	-	-
31.	लक्षद्वीप	5	25
32.	पांडिचेरी	-	-
		1752	10938.75

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले 20 प्रतिशत अंशदान का मैंचिंग अंश भी शामिल है।

नारियल जटा उत्पादों पर छूट

946. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग संबंधी असीम चटर्जी समिति ने नारियल जटा उत्पादों पर छूट योजना को आठवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रखने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) नारियल जटा उद्योग के लिए असीम चटर्जी समिति ने सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा विनिर्मित कयर यार्न तथा कयर उत्पादों की आठवीं योजनाविधि के दौरान बाजार विकास सहायता के रुप में छूट स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की है। बाजार विकास उपाय के रुप में, छूट स्कीम पर अमल किया जा रहा है और इस योजना के तहत नारियल जटा व नारियल उत्पादों (रबड़युक्त कयर उत्पादों को छोड़कर) की बिक्री पर

90 दिनों के लिए 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा विशेष बिक्री के लिए 10,000 रुपये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कीटनाशकों के उत्पादन में ऊर्जा आदान

947. श्री गुमान मल लोढा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल श्रेणी के कीटनाशकों और फार्मूलेशन के उत्पादन में कुल कितना ऊर्जा आदान लगता है; और

(ख) विश्व मानकों की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) और (ख) पेस्टिसाइड उद्योग विद्युत प्रधान नहीं है। इसमें प्रयोग में लायी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा अलग-अलग पेस्टिासाइडों के लिए भिन्न-भिन्न होगी। पेस्टिसाइडों के उत्पादन में ऊर्जा आदान के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

दिल्ली में सुलभ शौचालय

948. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने सुलभ शौचालय हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में इन सुलभ शोचालयों की स्थिति शोचनीय है;

(ग) क्या सरकार ने इस सुलभ शौचालयों की दशा सुधारने के लिए योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) केन्द्र सरकार दिल्ली में सुलभ शौचालयों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 182 खण्डों में 13481 सुलभ शौचालय हैं।

(ख) केन्द्र सरकार को सुलभ शौचालयों की दयनीय स्थिति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सुलभ शौचालयों की हालत की जांच सफाई स्टाफ द्वारा की जाती है और उनके द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया जाता है।

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम ने एक योजना तैयार की है।

(घ) सुलभ शौचालयों के रख-रखाव के कार्य को सहमत वार्षिक रख-रखाव प्रभारों के आधार पर मैसर्स सुलभ इन्टरनेशनल को सौंप दिया गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो का आधुनिकीकरण

949. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे केन्द्रीय जांच ब्यूरों के कार्यकरण में कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा:) : (क) तथा (ख). आधुनिकीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है तथा अपने प्रस्तावों को सरकार को भेजता है जिन पर निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सहमति दी जाती है। आधुनिकीकरण की वर्तमान योजना में संवेदनशील इल्कट्रोनिक्स तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करना सम्मिलित है जिसके लिए योजना आयोग ने आठवीं योजना अवधि के लिए एक करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

(ग) कम्प्यूटरीकृत आंकड़े व अन्य वैज्ञानिक सहायता उपलबध करवा कर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नेटवर्क तथा प्रशिक्षण प्रसुविधाओं का आधुनिकीकरण संगठन के अन्वेषण अधिकारियों की क्षमता तथा सुरागरसानी योग्यता को सुधारने में सहायक सिद्ध होगा।

राज्य और केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र की वार्षिक योजनाओं के लिए कम धनराशि

950. डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य और केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र हेतु वार्षिक योजनाओं को लगातार दूसरी बारकम धनराशि दिये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत, परिवहन, और संचार, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में शीतागारों की स्थापना

951. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में फलों एवं सब्जियों हेतु शीतागारों के निर्माण का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संग्रह केन्द्रों की स्थापना करके विपणन की सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा परती भूमि का विकास

952. श्री शांताराम पोतदुखे :

श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भूमि क्षेत्र का 48 प्रतिशत भाग अवनत परती भूमि है;

(ख) क्या सरकार को परती भूमि के विकास हेतु स्वयंसेवी संगठनों से कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को लागू करने के लिये राज्यवार क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) जो स्वयंसेवी संगठन परती भूमि के विकास में लगे हैं और जिन्हें सहायता दी गई है उनके राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ङ) इस अवनति को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) बंजर भूमि का पता लगाने के लिए अभी तक कोइ विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर देश की 329.00 मिलियन हैक्टेयर भूमि में से 129.58 मिलियन हैक्टेयर भूमि बंजर है। प्रतिशत के रुप में देश की कुल भूमि में 39 प्रतिशत बंजरभूमि है।

(ख) से (घ). स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सरकार के पास बंजरभूमि के विकास के लिए स्थान विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जा योजना मार्गदर्शीय रुपरेखा के अनुरुप होते हैं उन्हें अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक संगठन समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत भी आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त स्वैच्छिक एजेसियों की राज्यवार सूची विवरण-1 और 2 पर संलग्न है।

(ङ) 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण और इससे संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा बंजर भूमि का विकास किया जाता है। वास्तविक लक्ष्य प्रतिवर्ष वित्तीय उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्रसंख्या 16 के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान 11.79 लाख हैक्टेयर भूमि को विकसित करने का लक्ष्य है जिसमें बंजर भूमि भी शामिल है।

विवरण -I

वर्ष 1992-93 के दौरान पुनगठित बोर्ड द्वारा अनुदान सहायता

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची।

आन्ध्र प्रदेश

1. सोड्स, अनन्तपुर
2. प्रजा भारतीय संवा समिति, चित्तूर
3. ग्रामीण शिक्षा एवं आर्थिक विकास सोसाइटी, चित्तूर
4. कृष्णावेणी ट्री ग्रोवर्स सोसाइटी
5. एकीकृत ग्रामीण विकास और कल्याण सोसाइटी
6. स्वजन्य यूथ एसोसिएशन
7. ग्रामीण विकास सोसाइटी, अनन्तपुर
8. सोशल एक्शन सोशल डेवलपमेंट, हैदराबाद
9. वेंकटशेवर ट्री ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, नालगोंडा
10. वैली स्कूल।

हरियाणा :

11. नवयुवक कला संगम, रोहतक
12. चौबीसी विकास संघ, रोहतक
13. ग्रामीण एजूकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी

बिहार :

14. शिवानी वृक्षारोपण वन विकास ग्राम समिति, चम्पारण

15. चेतना, मधुपुर

16. अदिति, पटना

17. ग्रामीण विकास परिषद, देवघर

उड़ीसा :

18. ग्रामीण विकास केन्द्र

तमिलनाडु :

19. सस्टेनेब्ल एग्रीकल्चर एंड एनमाइरानमेंट वोलन्टरी एक्शन

20. ग्रामदान भूदान डेपलापमेंट संघ, डिंडीयुग

21. ग्रामीण विकास संस्थान, मद्रास

महाराष्ट्र :

22. ग्रामीण विकास मण्डल, धुले

23. प्रगति एग्रीकल्चर

मध्य प्रदेश

24. पर्यावरण एवं वानिकी सहकारी समिति, छिंदवाड़ा

मणिपुर :

25. कयामेगी कोइकोरम लेबकेई वोमेन्स वेलफेयर ऐसोसिएशन, इम्फाल

26. आर्जूस, मणिपुर

27. एफोर्डा

28. यानलोन एरिया मकिला मण्डल सोसाइटी, चूड़चन्द्रपुर

29. पुतजंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, सेनापति

30. एकीकृत ग्रामीण जनता विकास, इम्फाल

31. इंगचैप मेमोरियल आरफमेज एंड चिल्ड्रेन होम, इम्फाल

32. नरचिंग जनजातीय महिला बुनाई एसोसिएशन, इम्फाल

33. ड्यूलान ज्वाइंट फारमिंग एसोसिएशन, इम्फाल

34. नाटोक काबनी मल्टी वर्कर कोआपरेटिव सोसाइटी लि, सभंगलौंग

35. दो रूरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बौंगखाम

36. रूरल सर्विस एजेंसी

37. रूरल डेवलापेमेंट एजेंसी, बांगजींग

38. सुमचिन्बुम यूथ वैलफेयर एसोसिशन, मणिपुर

39. रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बांगजोंग

40. एम.ई.एच.पी.डी.एस., इम्फाल

सिक्किम :

41. डेन्जांग वृक्षारोपण समिति, डेंन्जोंग

42. पर्यावरण संरक्षण समिति, सिक्किम

पश्चिम बंगाल

43. शेरपा देशबन्धु क्लब, 24 परगना

44. पर्यावरण ओर जागरूरकता विकास परिषद

45. ग्राम कल्याण सोसाइटी, हावड़ा

46. धीरानीनगर ग्रामीण विकास सोसाइटी, बीरभूमि

उत्तर प्रदेश

47. ग्रामीण ग्रामोद्योग समिति, गोंडा, उ.प्र.

48. गुपीजियस सोशल वेलफेयर सोसाइटी, बिजनौर, उ.प.

*49. बंजारा विकास परिषद, अलीगढ़, उ.प.

50. दयाल वृक्षारोपण समिति, फिरोजाबाद

51. किसान वृक्षारोपण समिति, आगरा

52. बाबा श्रीनाथ शिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर

53. ग्रामीण विकास वृक्षारोपण समिति, आगरा

* जारी की गयी कुल राशि 83,85,844

* परियोजनाओं की कुल संख्या - 53

विवरण -II

वर्ष 1993-94 के दौरान पुर्नगठित बोर्ड द्वारा अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची।

क्रम सं.	एजेंसी
	आन्ध्र प्रदेश
1.	पद्मा विडियो कल्चरल एसोशिएशन
2.	पिपुलस आंरगेनाइजेशन फार रूरल डेपेलापमेंट
3.	इंदिरा इंदिगरेटेट डेमेलांपमेन्ट सोसाइटी

बिहार

4. बी.एस. कालेज, वनस्पति विज्ञान विभाग, पटना
5. पुर्णिया जिला समग्र विकास परिषद
6. संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति
7. सर्वोदय सेवा संघ

दिल्ली

8. अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संघ
9. रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोशिएसन
10. रामजस स्कूल

हरियाणा

11. दीप युवा क्लब

मणिपुर

12. दक्षिण पूर्व ग्रामीण विकास संगठन
13. मणिपुर ग्रामीण एकीकृत समाजिक विकास परिषद
14. एकीकृत जनजातीय विकास सोसाइटी

महाराष्ट्र

15. यवाफाल जिला सहकारी उत्पादक संघ
16. जल और भूमि प्रबंध संस्थान
17. अमरावती विश्वविद्यालय
18. जीवन संस्था

मध्य प्रदेश

19. नेशनल सेन्टर फार हयूमन सेट्लमेन्ट एंड एनमिरांनमेंट

राजस्थान

20. नवयुवक मण्डल
21. भौरका चैरिटेबल ट्रस्ट

तमिलनाडु

22. दि एक्टीविस्ट फार सोशन आलटनेटिव्स
23. एरोमित्रा, साउथ आरकोट

24. सोशल वैलफेयर ओरगेनाइजेशन ट्रस्ट

25. एरोमित्रा

26. हयूमन एक्शन फार रूरल पूअर

27. मद्रास लिट्रसी एसोसिएशन

28. कम्यूनिटी एक्शन फार डैवलपैन्ट

29. रूरल कम्यूनिटी ट्रस्ट

30. गुडविल सोशल सैन्टर

उत्तर प्रदेश

31. ग्रामोदय सेवा आश्रम

32. देवमांचल ग्रामोद्योग अवान पार संघ

33. दयाल वृक्षारोपण समिति

34. हरित क्रान्ति सेवा संस्थान

35. ग्रामोदय सेवा आश्रम

36. नेहरू सेवा आश्रम

37. ग्रुपी सियस सोशन वैलफेयर सोसाइटी

पश्चिम बंगाल

38. विलेज वैलफेयर सोसाइटी

39. श्री कृष्णा क्लब

40. अमोरागोरी युवा संघ

41. बालिटीकुरी विकास भवन

42. मालीपुत्रार समाज उत्थान समिति

43. अग्रगति

44. धरानी राज्य मेमोरियल सैल्फ एप्पलायमैन्ट ट्रेनिग स्कूल

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियां

953. श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन-रक्षक औषधियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनके उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जीवन रक्षक औषधियों की कालाबाजारी भी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई उपचारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). कुछ विशेष ब्रान्ड के सूत्रयोगों की स्थानीय कमी को छोड़कर जीवन-रक्षक औषधों की आम कमी की समय-समय पर कोई सूचना नहीं मिली है। यहां तक कि अस्थाई कमियों के ऐसे मामलों में दवाइयों के उपाचारात्मक समतुल्य आमतौर पर उपलबध रहते हैं। फिर भी ऐसे क्षेत्रों में जहां से कमी की सूचना दी गई हो, उस विशेष ब्रांड के सूत्रयोगों की सप्लाई करने के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित निर्माताओं से सम्पर्क किया जाता है।

(घ) और (ङ). डीपीसीओ, 1987 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कीमत नियंत्रण के अधीन औषधों की कीमतों के संबंध में डीपीसीओ, 1987 के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं।

[अनुवाद]

उर्वरक प्रौद्योगिकी

954. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने परमाणु प्रसार के आधार पर अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत को उर्वरक संयंत्र प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जी नहीं। सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि अमेरिकी कम्पनियों के लिए यह उपेक्षित है कि वे भारत को अमोनिया उत्पादित करने की प्रौद्योगिकी का निर्यात करने के लिए अपनी सरकार से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करें।

(ग) ऊर्जादक्ष प्रौद्योगिकी अन्य स्रोतों से उपलब्ध है। यद्यपि अमोनिया प्रौद्योगिकी स्वदेशी रुप से उपलब्ध नहीं है, तथापि डी ए पी तथा डीए पी- आधारित कम्पलेक्सों की तरह के फारकेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी स्वदेशी रुप से उपलब्ध है।

[हिन्दी]

ग्रामीण कल्याण

955. श्री दत्ता मेघे :

श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जन-कल्याण के कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; जिन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त हुयी है;

(ख) इन्हें पिछले तीन वर्षों में कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) 30.9.1993 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में कापार्ट (लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) की मार्फत सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की संख्या क्रमशः 207 और 616 है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के 120 तथा पश्चिम बंगाल के 500 गैर सरकारी संगठनों को क्रमशः 7.92 करोड़ रुपये तथा 18.6 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

(ग) और (घ). परियोजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात निधियां उपयुक्त किश्तों में रिलीज की जाती हैं। पहली किश्त रिलीज होने के पश्चात गैर सरकारी संगठन को निधियां रिलीज होने के तीन माह के अंदर निर्धारित प्रोफार्मा में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् इस बात की जांच की जाती है कि परियोजना का कार्यान्वयन मानदंडों के अनुसार हो रहा है या नहीं। जहां कहीं संदेह होता है, परियोजना की जांच पड़ताल के लिए एक मनीटर भेजा जाता है। मनीटर की रिपोर्ट मिलने पर यदि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई विसंगतियां पाई जाती हैं तो गैर सरकारी संगठन को इन्हें दूर करने तथा आवश्यक संशोधन करने की सलाह दी जाती है। जहां कहीं मनीटर द्वारा कोई हेराफेरी पायी जाती है, गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डालने के अलावा उनसे धनराशि वापस मांगी जाती है। कुछ मामलों में दोषी गैर सरकारी गैर संगठनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात गैर सरकारी संगठन अंतिम प्रगति रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखाओं के विवरण के साथ-साथ उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर इन राज्यों के गैर सरकारी संगठन कार्यक्रमों को संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कॉयर फेडरेशन

956. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉयर फेडरेशन को पिछले तीन वर्षों और 1993-94 के दौरान विभिन्न ''डीफाइब्रिंग

यूनिटों'' को स्थापित करने के लिए केरल सरकार के समन्वित कॉयर विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कोई धन राशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह धन राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). आठवीं योजनावधि के दौरान सहकारीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के एक भाग भाग के रुप में कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार की एकीकृत कयर विकास परियोजना अनुमोदित की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 44.24 करोड़ रुपये है, जिसके लिए अंशदान एन.सी.डी.सी. (नेशनल कोआपरेटिव्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन), भारत सरकार और कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता तभी दी जाती है जबकि परियोजना लागत के 5 प्रतिशत के बराबर शेयर पूंजी सहकारिता के तहत जुटाई जाए और एन.सी.डी.सी. द्वारा पूंजी लागत की 75 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता मंजूर की जाए। केरल सरकार को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग

957. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

डा.डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई कानूनी उपाय भी हैं ;

(ग) इस त्रुटि को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को जवाहर रोजगार के अन्तर्गत आबंटित धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों के संबंध में राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जवाहर रोजगार योजना में जांच और संतुलन की प्रणाली बनाई गई है ताकि निधियों का दुरुपयोग न हो सके।

जवाहर रोजगार योजना मैन्यूअल के अनुसार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को रिलीज किए गए संसाधनों की पूर्णतया और अलग बैंक बचत खाते अथवा डाकघर खाते में रखा जाता है जिसे सरपंच और पंचायत द्वारा नामित एक अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रुप से चलाया जा सकता है। बैंक से की गई प्रत्येक निकासी को ग्राम पंचायत की बठक में प्राधिकृत कराया जाना अपेक्षित है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद/ग्राम पंचायतों के लेखाओं की नियमित आडिट भी की जाती है। ग्राम पंचायतों की बैठक प्रति माह एक निश्चित तारीख और समय पर होनी होती है। जिसमें ग्राम समुदाय का कोई भी सदस्य जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वियन के बारे में कोई भी मुद्दा उठा संकता है। जहां ग्राम पंचायतें नहीं हैं उनकी निधियों को सम्बन्धित ब्लाक समितियों को सौंप दिया जाता है जो उन पंचायतों में इसके प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रशासकों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी होती हैं।

(ख) और (ग). सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये बनाए गए भारतीय दण्ड संहिता प्रावधान और अन्य कानून जवाहर रोजगार योजना निधियों के लिए भी समान रुप से लागू होंगे। केवल जवाहर योजना के निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ). भारत सरकार को जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरुपयोग की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। देश में योजना के कार्यन्वयन में शामिल पंचायतों की संख्या को देखते हुए, जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। जब कभी ऐसी शिकायतें ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त होती हैं, उन्हें जांच और उचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिये संबधित राज्य सरकार को भेजा जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी पाये गए अधिकारियों/सरपंचों को निलम्बित किया है। उन अधिकारियों/सरपंचों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की गई है जिन्हें जवाहर रोजगार योजना निधियों के उपयोग में की गई अनियमितताओं के लिये दोषी पाया गया है।

ग्राम पंचायतों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वियन की देखरेख, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिये अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक गांव के लिए एक सतर्कता समिति का गठन करें। राज्य सरकारों ने भी राज्य/जिला/खण्ड स्तरों पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन निर्माण कार्यो की जांच करने का कार्यक्रम बनाया है जिन्हें व्यापक दौरे करने होते हैं और राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित अन्तराल पर गांवों/जिले में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना होता है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार के अधिकारी, जिन्हें विशिष्ट क्षेत्र सौंपे गए हैं, वहां का दौरा करते हैं तथा अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। यदि शिकायतें गम्भीर स्वरुप की होती हैं तो इन अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिये भी विशेष रुप से भेजा जाता है।

शेयरों की बिक्री

958. श्री इन्द्रजीत गुप्तः

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियां सरकार के वित्तीय सुधार का फायदा उठाते हुए अपनी मूल कम्पनी के शेयरों को सस्ते दामों में बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 15 जून, 1992 को बाटा इंडिया लिमिटेड ने तब के विद्यमान बाजार मूल्य, 250 रुपये प्रति शेयर की तुलना में 35 रुपये प्रति शेयर मूल्य पर 47,14,000 शेयरों को बाटा (बी.एन.) बी वी एम्स्टर्डम को बेचने का निर्णय लिया था जिसका अभिप्राय 100 प्रतिशत आरक्षित इश्यू से था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी कम्पनी विधि बोर्ड को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर.भारद्वाज) : (क) सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विदेशी शेयरधारिता वाली भारतीय कम्पनियों ने विदेश में अपने प्रमुखों को बाजार दर से कम मूल्य पर अतिरिक्त शेयर जारी करके अपने जोखिम को बढ़ा दिया है।

(ख) से (घ). बाटा इंडिया लिमिटेड के एक शेयरधारक ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237(ख), 247, 248 और 250 के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष एक याचिका/शिकायत दायर की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मैसर्स बाटा (बी.एन.) बी.बी. एम्स्टर्डम, नीदरलैण्ड को, जिसे मैसर्स लीडर ए.जी. सैंट मोरिट्ज, स्वीटजरलैंड की शतप्रतिशत सहायक कम्पनी का एक नामिति कहा जाता है, प्रति शेयर 25 रुपये के प्रीमियम पर निर्गम तथा आबंटन करने के लिए तात्पर्यित 47,14,000 नये इक्विटी शेयरों के संबंध में कम्पनी के क्रिया कलापों की जांच का निवेदन किया गया है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि मैसर्स लीडर ए.जी. सैंट मोरिट्ज, स्वीटजरलैंड के पास वर्तमान में बाटा इंडिया लिमिटेड के 40 प्रतिशत शेयर हैं और कम्पनी में 40 प्रतिशत इक्विटी शेयरों को धारित करना जारी रखेगी। बाटा (बी.एन) बी.वी. एम्स्टर्डम, नीदरलैंड जिसके पास अभी बाटा इंड्यिा लिमिटेड के कोई शेयर नहीं हैं, आबंटन के लिए तात्पर्यित 47,14,000 नए शेयरों के संबंध में औपचारिकताओं के पूरा होने पर नए इक्विटी शेयरों का 11 प्रतिशत धारित करेगी। याचिका कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष लम्बित है।

परमाणु विद्युत उत्पादन

959. श्री जी. देवराय नायक :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रसाद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शता[illegible] परमाणु विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न हो पाने की संभावना है जैसा कि 2 नवम्बर, 1993 के "इक्नोमिक टाइम्स" में छपा है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार परमाणु विद्युत क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई वैकल्पिक कदम उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग की आठवीं योजना के अंतर्गत सन् 2002 ईसवी तक परमाणु बिजली की संचित उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 5700 मेगावाट तक करने के लिए नई परियोजनाएं शुरु करने की परिकल्पना की गई है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण परमाणु बिजली की उत्पादन क्षमता का यह निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की संभावना दिखाई नहीं देती है। तथापि, इस संबंध में प्रौद्योगिकी संबंधी कोई अड़चनें नहीं हैं।

(ग) और (घ). सन् 2002 ईसवी तक 3820 मेगावाट के घटाए गए लक्ष्य को हासिल करने के वास्ते जो उपाय किए गए हैं उनमें न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन द्वारा ऋण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना और सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में अतिरिक्त बजटीय सहायता की संभव व्यवस्था करना शामिल हैं।

सुलभ शौचालय

960. श्री प्रबीन डेका :

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार आज तक कितने सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने सुलभ शौचालयों का निर्माण करने के का विचार है; और .

(ग) उन पर अनुमानतः कितना खर्च करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ''सुलभ शौचालय'' नामक कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए केन्द्र स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1985-86 से 1992-93 तक 1178654 शौचालयों तथा 1993-94 के दौरान 31.10.93 तक अन्य 67029 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(ख) शेष 3 वर्षों के लिए स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। 1992-93 में वास्तविक उपलब्धि तथा 1993-94 के लिए राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 380.00 करोड़ रुपयें का अनुमोदित परिव्यय है तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 294.23 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

विवरण

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक प्रगति

स्वच्छ शौचालयों की संख्या

	राज्य	1992-93 के दौरान वास्तविक उपलब्धि	1993-94 के लिए लक्ष्य
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7628	13,936
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	21,096
3.	असम	20	6,346
4.	बिहार	असूचित	35,289
5.	गोआ	1,548	5,302
6.	गुजरात	13,502	20,367
7.	हरियाणा	38,888	54,270
8.	हिमाचल प्रदेश	65,614	12,000
9.	जम्मू और कश्मीर	असूचित	17,143
10.	कर्नाटक	11,029	99,00
11.	केरल	असूचित	26,250
12.	मध्य प्रदेश	असूचित	22,574
13.	महाराष्ट्र	असूचित	18,474
14.	मणिपुर	असूचित	2,000
15.	मेघालय	1132	1,082
16.	मिजोरम	0	811
17.	नागालैंड	असूचित	860
18.	उड़ीसा	1691.	32,299
19.	पंजाब	2156	5,296
20.	राजस्थान	12,430	20,500
21.	सिक्किम	543	4,50

1		2	3
22.	तमिलनाडु	असूचित	21,990
23.	त्रिपुरा	612	1,042
24.	उत्तर प्रदेश	61,353	46,850
25.	पश्चिम बंगाल	असूचित	21,873
26.	अंडमान व निको.द्वीप समूह	333	31,000
27.	दमन व दीव	0	500
28.	लक्षद्वीप	असूचित	975
29.	पांडिचेरी	असूचित	750
30.	दिल्ली	असूचित	1500
31.	चंडीगढ़	असूचित	250
32.	दादरा व नगर हवेली	456	500

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र को अनुदान

961. श्री अन्नाजोशी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रखरखाव और मरम्मत संबंधी अनुदानों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

962. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में उद्योग स्थापित करने पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बात पर्यावरणीय स्वीकृति पर भी लागू होती है; और

(घ) पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किसी राज्य के औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार, जहां संभव होता है, उनके प्रयासों में सहायता करती है। उद्योगों का फैलाव करने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार एक विकास केन्द्र योजना चला ही है जिसके तहत चुने हुए केन्द्रों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जाती है ताकि वे केन्द्र औद्योगिकरण में एक केन्द्रीय बिन्दु के रुप में कार्य कर सकें। उक्त योजना का कार्यान्वयन आठवीं योजना के दौरान किया जायेगा।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

963. श्री राम विलास पासवान : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय के आदेश पर डी.डी.ए. द्वारा अनधिकृत निर्माणों को गिराने के कार्य को रोक दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो डी.डी.ए. की सूची में गिराए जाने वाले अनधिकृत निर्माणों की संख्या कितनी है और किस-किस तिथि को प्रधान मंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(ग) अनधिकृत निर्माण के कारण नगर की शहरी अयोजना कहां तक अस्त व्यस्त हो गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने का है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.के.थुंगन) : (क) से (ङ). दिल्ली में अवैध निर्माण को गिराना/हटाना एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालय के आदेश पर अनधिकृत निर्माण को गिराने के कार्य को रोका नहीं है।

अमरीका से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

964. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन का विचार अमरीका से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में आने वाली रूकावटों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने हेतु भारत के साथ मिलकर कार्य करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में कार्यक्रम कार्यान्वयन की पुनरीक्षा

965. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यक्रम कार्यान्वयन की पुनरीक्षा संबंधी रिपोर्ट का विभागवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ग) घटिया कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं, और

(घ) बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में परती भूमि का विकास

966. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में परती भूमि के विकास के लिए क्षेत्रों का पता कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) राज्य में परती भूमि के विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में बंजर भूमि का पता लगाने के लिए अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल बंजर भूमि 2.54 मिलियन हैक्टेयर है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण/वनीकरण और इससे संबंधित क्रियाकलापों, जिसमें बंजर भूमि भी सम्मिलित होगी, के लिए केन्द्र और राज्य योजना के अंतर्गत 2098.30 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना

967. श्री के. प्रधानी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के लिए विभिन्न राज्यों में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या रोजगार उपलब्ध कराने की ऐसी कोई योजना उड़ीसा के लिए तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). आठवीं योजना के दौरान रोजगार सृजन करने की कार्य नीति का विस्तृत विवरण योजना दस्तावेज में दिया गया है, जिसमें योजना अवधि के दौरान देश में 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है। केन्द्र द्वारा राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं विभिन्न राज्य अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाएं तैयार करते हैं तथा रोजगार सृजन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उड़ीसा सरकार के योजना दस्तावेजों के अनुसार, आठवीं योजना अवधि के दौरान 17.56 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरोंकी योजना बनाई गई है।

पैरलेल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स

968. श्री रामत्रय प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैरलेल प्रोसेसिंग पर कार्यरत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये परियोजनाएं किस भाषा में कार्य कर रही है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) समानान्तर संसाधन कम्प्यूटर पर देश में चलाई जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :

1. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे में ''परम''

2. रक्षा मंत्रालय के उन्नत अंकीय अनुसंधान तथा विश्लेषण दल (अनुराग), हैदराबाद में ''पेस''

3. परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), बम्बई में ''बीपीपीएस''

4. संचार मंत्रालय के टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट), बंगलौर में ''सीएचआईपीपीएस''

5. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेशनल एअरोस्पेस लेबोरेटरी (नेल), बंगलौर में ''फ्लोसोल्वर।

(ख) ''फोरट्रोन'' और ''सी'' कम्प्यूटर प्रोग्रामन भाषाओं को इन परियोजनाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

औद्योगिक उत्पादन

969 श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

डा. डी. वेकंटेश्वर राव :

श्री विजय एम. पाटील :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ माह के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में उक्त कमी आई है;

(घ) क्या आधारभूत उद्योगों के आकड़ों से भी खराब उपलब्धि का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा यथा संकलित अगस्त, 1993 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नवीनतम सुलभ अनुमानों के अनुसार अप्रैल-अगस्त 1992 की अपेक्षा अप्रैल -अगस्त, 1993 के दौरान कुल विकास दर 1.8 प्रतिशत थी। निर्माणकारी, खनन तथा विद्युत क्षेत्रों में क्रमशः 1.0 प्रतिशत (-) 2.5 प्रतिशत ओर 9.3 प्रतिशत विकास दर थी।

(घ) और (ङ). आधारभूत उद्योगों, नामतः विद्युत, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा पैट्रोलियम और सीमेंट, जिनका कुल उत्पादन में 29 प्रतिशत हिस्सा है, में अप्रैल-सितम्बर, 1993 के दौरान 6 प्रतिशत विकास दर रही है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.9 प्रतिशत विकास दर थी।

इ.एम.इ.द्वारा "स्नो स्कूटर" का निर्माण

970. श्री चेतन पी.एस. चौहानः

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सेना ने अपने उपयोग के लिए बर्फ में चलने वाली गाड़ियां खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या इनमें प्रयोग किये जाने वाले पुर्जों का स्वदेश में निर्माण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी निर्माण लागत क्या होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) बर्फ में चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल बर्फ से अवरूद्ध मार्गों व अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित क्षेत्रों में मनुष्यों और सामान को ले जाने के लिए किया जाता है। एक वाहन एक व्यक्ति और 40 कि.ग्रा. वजन या दो व्यक्तियों को ले जा सकता है।

(ग) अब इन वाहनों के लगभग 70 प्रतिशत भाग हिस्से-पुर्जों का निर्माण सेना के वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर (ई.एम.ई.) कोर द्वारा देश में ही किया जाता है।

(घ) इन मदों का निर्माण वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर की कार्यशालाओं में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं से ही किया जा रहा है और इस प्रकार के प्रचुर मात्रा के हिस्से-पुर्जों का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए इस पर होने वाली निर्माण लागत ब्यौरेवार नहीं निकाली गई है। इन वाहनों के हिस्से-पुर्जों का देश में ही विकास करने के लिए 9 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

समान की अधिक खरीद

971. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सामान की अधिक खरीद के संबंध में 1993 की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 के पैराग्राफ 8.1 में 70 लाख रुपये के सामान की अधिक खरीद के कारण विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). वैज्ञानिक विभागों के लिए मार्च 31, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अध्याय-8 (पैरा 8.1) में ''सामान की अधिक खरीद'' के संबंध में एक पैरा शामिल किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, अन्तरिक्ष विभाग ने 1975-82 के दौरान उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस.एल.वी. परियोजना) के लिए साज-सम्मान खरीदा तथा 1980 में एस.एल.वी. 3 डी.1 उड़ान और 1983 में एस.एल.वी. 3 डी.2 उड़ान के बाद परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद परियोजना के लिए प्राप्त की गई 69.88 लाख रुपये की कीमत की 1200 मदें नॉन/स्लो मूविंग मदों के रुप में भण्डार में अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

इस विभाग का विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम प्रमोचक राकेट और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए मुख्य केन्द्र हैं तथा यह केन्द्र ए.एस.एल.वी., ए.एस.एल.वी.सी, पी.एस.एल.वी. और जी.एस.एल.वी. जैसे सभी प्रमोचक राकेट कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है। अन्तरिक्ष विभाग ने मूल रुप में एस.एल.वी.के विकासात्मक चरण के पूरा होने के बाद दो प्रचालनात्मक उड़ानों की संकल्पना की थी। चूंकि विकासात्मक चरण में ही सभी प्रौद्योगिकी विकास के उद्देश्य पूरे हो गए,अतः प्रचालनात्मक उड़ाने नहीं की गई। जिस साज-सामान को अधिक मात्रा में खरीदने की बात कही गई है, वह एस.एल.वी. कार्यक्रम के विकासात्मक चरण और प्रचालनात्मक चरण, दोनों के लिए प्राप्त किया गया था। सामान को अधिक मात्रा में खरीदने का कारण तीव्र परिवर्तनशील प्रौद्योगिकियों के अत्यन्त परिष्कृत और सामरिक महत्व के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के होने तथा इसके परिणामस्वरुप डिजाईन में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी/प्रोसेस में परिवर्तन, जांचों और माडलों में परिवर्तन, बेहतर साज-सामान द्वारा प्रतिस्थापन्न इत्यादि कार्य करना होता है, जो कि अपरिहार्य है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के विभिन्न प्रमोचक राकेट कार्यक्रम एस.एल.वी., ए.एस.एल.वी., पी.एस.एल.वी., जी.एस.एल.वी. इत्यादि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। अतः साज-सामान, असेम्बली इत्यादि की मदें, जिन्हें एस.एल.वी. कार्यक्रम के लिए प्राप्त किया गया था, को प्रमोचक राकेटों की परवर्ती पीढ़ी के विकास में प्रयुक्त किया जा सकता है और वस्तुतः ऐसा किया भी जा रहा है। अतः मदों के अधिकांश भाग के अप्रयुक्त अथवा अप्रयोज्यनीय होने की कोई सभावना नहीं है। एस.एल.वी. परियोजना की समाप्ति पर जितना भी

साज-सामान शेष रहा था, उसे ए.एस.एल.वी. परियोजना के लिए दे दिया गया है तथा शेष मदों को संबंधित प्रमोचक राकेट कार्यक्रमों में संभावित भावी प्रयोग के लिए भंडार में रख दिया गया है। 52.80 लाख रुपये लागत की मदें पहले ही उपयोग में लाई जा चुकी हैं और शेष मदों की ए.एस.एल.वी. डी.4 की उड़ान के लिए अभी भी जरुरत है।

गुजरात में रोजगार के अवसर

972. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत दो वर्षों के दौरान गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) इसके लिए पिछले वर्ष का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगा) : (क) किसी राज्य में रोजगार सामान्यता राज्य में विकास की गति तथा पैटर्न पर निर्भर करता है जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय सेक्टर विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन में राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाती है। इन कार्यक्रमों में से प्रमुख है : (i) केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) तथा हाल ही में आरम्भ की गई रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस)

(ii) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वःरोजगार हेतु केन्द्रीय सेक्टर विशेष रोजगार स्कीम एसईईयूवाई तथा हाल ही में आरम्भ की गई ''प्रधान मंत्री'' की रोजगार योजना (पीएमआरवाई)।

(ख) इन स्कीमों हेतु गुजरात को पिछले दो वर्षों के लिए केन्द्र द्वारा आबंटित स्कीम-वार राशि निम्नानुसार है :

स्कीमें	(करोड़ रुपये में)	
	1991-92	1992-93
आईआरडीपी	10.66	10.05
जे आर वाई	64.73	63.13
एन आर वाई	2.91	1.93
एसईईयूवाई *	1.64	0.60

* गुजरात में बैंकों द्वारा लाभग्रहियों के लिए मंजूर ऋण की राशि (ऋण के 25 प्रतिशत के बराबर केन्द्रीय इमदाद को मिलाकर)

(ग) गुजरात हेतु वर्ष 1992-93 के लिए स्कीम वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार है :

स्कीम	यूनिट	लक्ष्य	उपलब्धि
आईआरडीपी	सहायता दिये जाने वाले परिवारों की संख्या	56,861	61,836
जे आर वाई	पैदा किए जाने वाले लाख श्रमदिवस रोजगार	236.73	228.65
एन आर वाई	वर्ष-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।		
एसईईयू वाई	लाभग्राही	3500	434

कृषि विकास हेतु गुजरात को निधियों का आबंटन

973. डा. ए. के. पटेल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992-93 के दौरान अब तक गुजरात राज्य को कृषि विकास हेतु कितनी निधि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त निधियां देने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). गुजरात में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 1992-93 में राज्य सेक्टर के अंतगर्त अनुमोदित योजना परिव्यय 126.26 करोड़ रुपये था। गुजरात के लिए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में 1992-93 में संशोधित अनुमोदित परिव्यय तथा 1993-94 में अनुमोदित परिव्यय का स्तर यही था।

(ग) तथा (घ). गुजरात राज्य सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पाइप द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजना

974. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जल आपूर्ति हेतु कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात की कितनी योजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) पाईप द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु 13 प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं।

(ख) 13 प्रस्तावों में से 6 प्रस्ताव गुजरात सरकार से संबंधित हैं।

(ग) प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है और केन्द्र सरकार के निर्णय से संबंधित राज्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा।

ज्वारीय ऊर्जा परियोजना

975. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के कांडला पत्तन क्षेत्र में कोई ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी ;

(ग) क्या यह परियोजना प्रौद्योगिकी और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). विस्तृत जांच-पड़ताल और अध्ययन किए गए हैं तथा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में 900 मेवा. की ज्वारीय विद्युत परियोजना को तैयार करने के लिए एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है इस परियोजना में लगभग 6,000 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना है और इसे अभी तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से निरापत्ति प्राप्त होनी है।

(ग) और (घ). गुजरात राज्य में ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए काम्बे की खाड़ी एक दूसरा संभावित स्थल है। यू एन डी पी विशेषज्ञ द्वारा इस स्थल पर वर्ष 1975 में लगभग 7000 मेवा. की ज्वारीय विद्युत की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया था। तथापि ज्वारीय विद्युत की संभाव्यता को स्थापित करने के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल और अध्ययन कार्य शुरु नहीं किए हैं।

सोमालिया में शान्ति स्थापना हेतु भारतीय सेना

976. श्री श्रीकांत जेना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना के अंग के रुप में भारतीय सेना की एक बिग्रेड सोमालिया में तैनात की गई है;

(ख) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा सेना को किए जाने वाले भुगतान का एक हिस्सा अपने पास रखकर अच्छा लाभ अर्जित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय सेना को प्रतिमाह (पदवार) स्वीकृत धनराशि तथा उन्हें दी जाने वाली वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय सेना को स्वीकृत भुगतान का एक हिस्सा अपने पास रखने के क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). संयुक्त राष्ट्र भारत सरकार को सैनिक लागत के रुप में प्रति माह प्रति व्यक्ति 988 अमरीकी डालर देता है। इसके अलावा विशेषज्ञों के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 291 अमरीकी डालर और देता है। संयुक्त राष्ट्र कपड़े, गियर, हथियार और गोला-बारूद के लिए भी भारत सरकार को भुगतान करता है। सैनिक लागत सरकार द्वारा सैनिकों के वेतन आदि पर किए जाने वाले खर्च की पूर्ति के लिए होती है। तथापि, सैनिक लागत के रुप में प्राप्त धनराशि में से सरकार संयुक्त राष्ट्र के अधीन भारतीय सैनिकों को निम्नलिखित दरों पर भत्ते दे रही है:

1.	अफसर	-	2190 डालर प्रति व्यक्ति प्रति माह
2.	जूनियर कमीशन अफसर	-	1640 डालर प्रति व्यक्ति प्रति माह
3.	अन्य रैंक	-	730 डालर प्रति व्यक्ति प्रति माह

यह भत्ता, सैनिकों को दिए जा रहे वेतन और भत्तों के अतिरिक्त है। इन भत्तों का निर्धारिण इस प्रकार किया गया है ताकि भारत सरकार द्वारा वेतन एवं भत्तों प्रशिक्षण, पेंशन संबंधी दायित्वों, परिवार आवास आदि पर खर्च किए जाने वाले व्यय को कम करके सम्पूर्ण सैनिक लागत का निपटान हो सके। सरकार इस संबंध में कोई लाभ अर्जित नहीं कर रही है।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादन

977. श्री सुधीर सावन्त : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91, 1991-92, 1992-93 में तथा 1993-94 के दौरान अब तक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के उत्पादन और कारोबार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) इस अवधि के दौरान कोयला, विद्युत और माल डिब्बों की कमी के कारण उत्पादन में कितना नुकसान हुआ ; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	बिक्री कारोबार (करोड़ रुपयों में)
1990-91	28.60	403.88
1991-92	31.61	530.10
1992-93 (अनन्तिम)	29.63	507.84
1993-94 (अनन्तिम) (अप्रैल-सितम्बर)	14.14	242.46

(ग) एककों के निवारक व योजनाबद्ध अनुरक्षण, उन्नत निरीक्षण व नियंत्रण प्रणालियों, उन्नत संचार प्रणालियों तथा विपणन की बेहतर कार्यनीति अपनाए जाने से कम्पनी के निष्पादन में सुधार हुआ।

(घ) वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान कोयला, बिजली व वैगनों की कमी के कारण उत्पादन में आयी कमी का अनुमान निम्नप्रकार है :

वर्ष	हानि-लाख मी.टन में
1990-91	8.56
1991-92	6.09
1992-93	7.29

(ङ) इस संबंध में किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं :

कोयला : सी.सी. आई. को पर्याप्त कोयला लिंकेज उपलब्ध करा दिया गया है। तथापि, सी.सी.आई खुले बाजार से भी कोयला खरीद रही है।

बिजली : बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा जा चुका है। सी.सी.आई. , दक्षिण में स्थित एककों के लिए अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने हेतु, ए.पी. गैस कारपोरेशन के साथ इक्विटी में भागेदारी कर रही है।

वैगन : वैगनों का पर्याप्त आबंटन सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे के साथ बराबर संपर्क बनाए रखा जाता है। जहां संभव है वहां, सीमेंट सड़क मार्ग से भी भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

नगरों में भीड़भाड़

978. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों में भीड़-भाड़ और बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाई गई है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यों द्वारा अनुपालन हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या नगरों और शहरों के समुचित विकास के लिए प्रोत्साहन देने अथवा वापस लेने की कोई प्रणाली शुरु करने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई सुसंगत नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकारों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया है, और

(ङ) इस तरह के सम्मेलनों और इसके फलस्वरुप बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) छोटे व मझोले कस्बों से खास तौर पर बड़े नगरों में लोगों के आ बसने से आबादी की भीड़-भाड़

और वृद्धि को रोकने के लिये, केन्द्र सरकार छोटे व मझोले कस्बों की विकास स्कीम के तहत नियत आवास परियोजनाओं के लिए राज्यों व संघ राज्यों को ऋण के रुप में केन्द्रीय सहायता दे रही है।

(ख) उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

(ग) उपर्युक्त स्कीम छोटे व मझोले कस्बों के समुचित विकास की दिशा में दिये जा रहे प्रोत्साहनों में से एक है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने ऐसी कोई कांफ्रेंस आयोजित नहीं की है।

"कापार्ट" द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

979. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में "कपार्ट" के माध्यम से किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गई है ;

(ख) ऐसे संगठनों को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके कार्य की, यह सुनिश्चित करने हेतु कि धन का उचित उपयोग किया गया है, समीक्षा की गई है;

(घ) कया सरकार को धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में किसी संगठन के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख). 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 135 संगठनों की 257 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उपरोक्त परियोजनाओं के संबंध में 36.53 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) से (ङ). परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् किश्तों में निधियां रिलीज की जाती हैं। पहली किश्त की रिलीज के बाद गैर सरकारी संगठन को निधियों की रिलीज के 3 महीने के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस बात की जांच की जाती है कि क्या परियोजना को मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां कहीं कोई संदेह होता है तो परियोजना की निगरानी के लिए एक मनीटर नियुक्त किया जाता है। मनीटर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर गैर सरकारी संगठन को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में यदि कोई असंगितयां पाई जाती हैं तो उनसे अवगत कराया जाता है। यह परामर्श दिया जाता है कि उसमें उपयुक्त संशोधन करें। जब कभी मनीटर द्वारा कोई दुरुपयोग पाया जाता है तो गैर सरकारी संगठन को काली सूची में दर्ज करने के अलावा राशि को लौटाने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में दोषी गैर सरकारी संगठन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाईयां भी की जाती हैं। परियोजना के पूरा होने पर गैर सरकारी संगठन अंतिम प्रगति रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं के विवरण के साथ-साथ उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर गैर सरकारी संगठन कार्यक्रम को संतोषजनक रुप में कार्यान्वित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

केरल में पवन से विद्युत उत्पन्न करना

980. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु क्षमता स्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में पवन ऊर्जा उत्पादक एकक स्थापित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए पता लगाए गए प्रस्तावित स्थल कौन-कौन से हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). पवन संभाव्यता का आकलन करने तथा पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थलों का पता लगाने हेतु 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक विस्तृत पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, केरल आदि जैसे राज्यों में उपयुक्त स्थानों का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ). पालाकाड जिले में कोटामाला स्थान पर 100 किवा. का ग्रिड से जुड़ा हुआ पवन विद्युत जनित्र स्थापित किया गया था। पालाकाड जिले में काजीकोड में 2 मेवा. की एक प्रदर्शन पवन फार्म परियोजना शुरु की गई है। पालाकाड जिले में कोटाहारा में राज्य सरकार द्वारा एक अन्य पवन फार्म प्रदर्शन परियोजना का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात को 'हुडको की सहायता'

981. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसमें वर्ष 1993-94 के लिए आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ग्रामीण तथा शहरी, दोनों) के लिए हुडको से धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) तथा (ख). हडको ने बताया है कि गुजरात की विभिन्न आवास एजेंसियों ने राज्य के शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रस्ताव भेजे हैं, और वर्ष 1993-94 में (31.10.93 की स्थिति) हडको ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ई.डब्लू.एस. आवास योजनाओं के लिए क्रमशः 3.05 करोड़ रुपये और 0.89 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की है।

कम्प्यूटरों पर संस्कृत में कार्य

982. श्री बलराम पासी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटरों पर संस्कृत में कार्य को सुसाध्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्प्यूटरों पर संस्कृत के प्रयोग से संबंधित कार्य अभी तक अनुसंधान तथा विकास के प्रारंभिक चरण पर है। सरकार ने इस क्षेत्र में परियोजनाओं को समर्थन दिया है। प्रशिक्षण प्रयास विकास चरण के बाद ही किए जाएंगे।

[अनुवाद]

केरल में केन्द्रीय निवेश

983. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश बढ़ाने का कोइ प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में स्वीकृत नई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	परियोजना/योजना का नाम	प्रत्याशित लागत	आठवीं योजना परिव्यय
फटिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	(क) उद्योग मण्डल में नया एमोनिया संयत्र	525	--
	(ख) कोचीन विस्तार	275	--
कोचीन शिपयार्ड लि.	कोचीन शिपायार्ड	--	47.80

ने.टे.का. (आन्ध्र प्रदेश,	ने.टे.का.के अधीन	--	11.33
कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.	तीन कारखानों का		
	आधुनिकीकरण	-	11.33

उपग्रह प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम

984. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्लिंटन प्रशासन द्वारा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण क्षेत्र के बाहर के देशों में अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विकास और प्राप्ति के लिए सहयोग न करने के निर्णय के फलस्वरुप धक्का लगने की संभावना है जैसाकि 1 अक्तूबर, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम प्रभावित न हो, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) यद्यपि इस कार्यक्रम में थोड़ी देर हो सकती है, तथापि इससे हमारे प्रमोचक राकेट विकास कार्यक्रम को कोई बड़ा धक्का लगने की आशा नहीं है।

(ख) और (ग). सभी दोहरे उपयोग वाली मदें, जैसा कि अमरीका द्वारा व्याख्या की गई है, जिनका राकेट प्रौद्योगिकी के विकास में उपयोग किया जा सकता है; के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए भी, प्रक्षेपास्त्र एवं प्रौद्योगिकी नियंत्रण क्षेत्र (एम.टी.सी.आर.) के बाहर के देशों को निर्यात करने पर पाबन्दी है। भारत सरकार को इस स्थिति की पूरी जानकारी है और यह इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है।

मियानी समेकित मूलभूत विकास परियोजना

985. श्री हरिन पाठक :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पोरबंदर के मियानी समेकित मूलभूत सुविधा विकास परियोजना के संबंध में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी जारी की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (च). ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए प्रस्तावित (प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित) समेकित मूलभूत विकास योजना को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

मतदाताओं को परिचय पत्र

986. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनवरी, 1995 तक सभी 540 मिलियन मतदाताओं को पचिय पत्र जारी किए जाएंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने यथासंभव शीघ्र सभी मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन आफिसरों को अनुदेश जारी किए हैं और यह भी विनिश्चिय किया है कि 1-1-1995 के पश्चात् तब तक कोई निर्वाचन नहीं कराया जाएगा जब तक कि सभी अर्हित मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी नहीं कर दिए जाते। निर्वाचन आयोग के निदेशों के कार्यान्वयन में भारी व्यय होता है और व्यावहारिक कठिनाइयां भी होती हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जब पहले कुछ क्षेत्रों में प्रयोग में लाया गया तो उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। इसलिए निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह इस विषय पर पुनः विचार करें।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्य लड़ाकू टैंकों का इस्तेमाल

987. श्री श्रवण कुमार पटेलः

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेयः

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के अधिकारियों ने मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन को रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए पूर्ण रुप से संतोषजनक नहीं पाया है;

(ख) क्या उन्होंने मुख्य लड़ाकू टैंक के डिजाइन और उपकरण में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सेना के अधिकारियों की सिफारिशों और दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जनवरी/फरवरी, 1993 में किए गए स्वचालन संबंधी परीक्षणों तथा शस्त्र प्रणाली के फायरिंग परीक्षणों में अर्जुन टैंक के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर सेना ने अर्जुन टैंक को शामिल किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी है। सुझाए गए संशोधनों को शामिल करते हुए प्रयोक्ता परीक्षण किए जा रहे हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम

988. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) पुनः संगठित अर्थव्यवस्था में 20 सूत्री कार्यक्रम की विशेष रुप से गुजरात में क्या स्थिति है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो 1991-91, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों में कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क). सुख सुविधाओं से वंचित तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सुरक्षा नेट प्रदान करने के लिए उदारीकरण के बदलते हुए दृश्य में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की गहन आवश्यकता है। गुजरात सहित संघ के सभी राज्यों को समानता तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की अहम भूमिका है।

(ख) जी, हां।

(ग) बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 28 मदों के संबंध में, मासिक आधार पर उत्तरदायी वास्तविक प्रबोधन को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9963/93]

[हिन्दी]

आवासीय मकानों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग

989. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवासीय मकानों का वाणिज्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या-क्या शर्तें रखी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आवासीय मकानों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि लीज होल्ड अधिकारों को फ्री होल्ड में बदलने की योजना के तहत ऐसे रिहायशी भवनों को, जिनके एक भाग का उपयोग व्यवसायियों द्वारा गैर-रिहायशी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, अतिरिक्त परिवर्तन अधिभार के भुगतान पर सम्पूर्ण परिसर के परिवर्तन की अनुमति दी जाती है। उपर्युक्त योजना के तहत इन भवनों के उपयोगों और उन्हें नियमित किये जाने की सीमा का उल्लेख संलग्न विवरण "क" में है।

(ग) और (घ). किसी रिहायशी भवन के गैर-रिहायशी प्रयोजनार्थ दुरुपयोग की सूचना मिलते ही अथवा पता चलते ही पट्टे के निबन्धन और शर्तों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

1. परिवर्तन की अनुमति, प्लाट पर आवासीय भवन का निर्माण कर लिए जाने और भवन का समापन प्रमाण पत्र ''डी'' फार्म प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी। समूह आवास सोसायटियों को आबंटित प्लाटों के मामले में व्यक्तिगत फ्लैटों के लिए परिवर्तन की अनुमति सोसायटी द्वारा समापन प्रमाण-पत्र ''डी'' फार्म प्राप्त करने के बाद और फ्लैट का कब्जा सदस्य को दिए जाने के बाद दी जाएगी।

2. परिवर्तन के आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेजों के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. आवासीय परिसरों के पट्टे के संबंध में जहां कोई भाग निम्नलिखित सारणी में दी गई सीमा तक और मुख्य योजना 2001 के संबंधित प्रावधान के अनुसार आवासीय उद्देश्य से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तो पट्टे पर दिये गये सम्पूर्ण परिसर को फ्री-होल्ड में परिवर्तित कराने की अनुमति आवृत क्षेत्र के लिए अनुबंध ''ख'' (बी) में निर्धारित अतिरिक्त परिवर्तन प्रभार का भुगतान करने पर दी जाएगी।

सारणी

	आवासीय उपयोग से भिन्न वर्ग	आवासीय उपयोग से भिन्न अधिकृत सीमा	अन्य शर्तें
1.	व्यावसायिक कार्यकलाप [अर्थात् जैसे डाक्टर, वास्तुकार, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउण्टेंट, एडवोकेट, परामर्शदाता, पत्रकार, आर्टिस्ट, डिजाइनर परामर्शदाता]	आवृत क्षेत्र का 25 प्रतिशत 50 वर्ग मीटर दोनों में से जो भी कम हो।	स्वयं व्यावसायियों द्वारा प्लाट/फ्लैट का कब्जा हो।
2.	निर्दिष्ट घरेलू उद्योग [कृपया अनुबंध ''छ'' देखें]	आवृत क्षेत्र का 25 प्रतिशत या 30 वर्ग मीटर दोनों में से जो भी कम हो।	(क) निर्मित प्लाट के केवल भूतल पर (ख) कब्जेकार द्वारा स्वयं चलाया जाएगा।

किसी सम्पत्ति के संबंध में फ्री होल्ड में परिवर्तन, मुख्य योजना, क्षेत्रीय विनियम और भवन उपविधि से सम्बन्धित दुरुपयोग के लिए कार्रवाई करने के दिल्ली विकास प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

[अनुवाद]

नकली ऑटो पार्ट

990. प्रो. राम कापसे :

श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बढ़ते हुए नकली ऑटो पार्टों को हतोत्साहित करने और इनका प्रचलन रोकने हेतु कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). केवल नकली आटो पार्टों को रोकने के लिए विशेष रुप से कोई कानून नहीं है। किंतु ''व्यापार चिन्ह विधेयक 1993" जो संसद में पेश किया गया है में अन्य बातों के साथ-साथ नकली सामान के निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए कम से कम 6 महीने के कारावास और कम से कम 50,000 रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत जेनेरेटरों का निर्माण

991. श्री तरित बरन तोपदार : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के पास देश के लिए विद्युत उत्पादकों (जनरेटरों) के निर्माण की भारी क्षमता है, परन्तु इस पर सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु दबाव डाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है; और

(ग) भेल को गतिशील बनाए रखने तथा इसकी विशेषज्ञता का दोहन करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). विद्युत क्षेत्र में बिजली घरों का अनुरक्षण करना भेल के व्यवसाय का सदैव एक हिस्सा रहा है। इसके अतिरिक्त, भेल नए व्यवसायिक क्षेत्रों में विविधिकरण करती रही है ताकि अपनी सुविधाओं, कौशलों तथा क्षमताओं का लाभकारी उपयोग कर सके। इसके परिणामस्वरुप, भेल, गैस टरबाइनों, ए.सी.लोकोज़, डीजल इलेक्ट्रिक शॉटिंग लोकोज़, वेस्ट हीट रिकवरी बायलर्स, सिरालिन इत्यादि जैसे नए उत्पादों को पहले ही आरंभ कर चुकी है। इन नए उत्पादों से कारोबार 1987-88 में 104 करोड़ रुपये से बढ़कर 1992-93 में 401 करोड़ रुपये हो गया है। तथापि, कुछ वर्षों से राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत निगमों के पास निवेश योग्य निधियों की कमी के कारण, विद्युत उत्पादक उपकरणों के लिए क्रयादेश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रह हैं।

(ग) भेल अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :

1. विदेशी कम्पनियों सहित निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ आस्थगित भुगतान आधार पर तथा सीमित पैमाने के वित्तीय पैकेजों के आधार पर उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से व्यवसाय में सक्रिय रुप से भागीदारी करना।

2. संघ व्यवस्थाओं से बोलियां लगाकर सुप्रसिद्ध कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य करना।

3. मौजूदा बिजली घरों का नवीकरण तथा उनका कार्यकाल बढ़ाना।

4. संभाव्यतापूर्ण क्षेत्रों में ध्यान देकर निर्यात पर अधिक बल देना। आई.एस.ओ. 9000 गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कम्पनी में व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कुछ इकाइयां पहले ही यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं।

कलकत्ता के विकास का पैटर्न

993. श्री चित्त बसु : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कलकत्ता को अपने स्वयं के विश्व व्यापार केन्द्र से युक्त "महानगर" (मेगा सिटी) में परिवर्तित करने का पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव अब तक स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता के विकास हेतु वित्त-पोषण किस पैटर्न पर किया जायेगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मेगा शहरों, जिसमें कलकत्ता भी शामिल हैं, के आधार संरचनात्मक विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है । स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले घटकों को दर्शाने वाली परियोजना रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिस पर सरकार के नोडल मंत्रालय अर्थात शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(ख) स्कीम के लिए वित्त व्यवस्था का पटैर्न निम्नलिखित हैं : -

(1) केन्द्र सरकार (25 प्रतिशत)

(2) राज्य सरकार (25 प्रतिशत)

(3) संस्था/बाजार उधार (50 प्रतिशत)

फालतू भूमि की बिक्री

994. श्री विजय एन. पाटील : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध फालतू सरकारी भूमि की बिक्री करने का है, और

(ख) यदि हाँ, तो फालतू भूमि की बिक्री करते समय क्या औपचारिकताएं अपनाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख). कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसाधन जुटाने के लिये फालतू सरकारी भूमि के उपयोग हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। तथापि, फालतू सरकारी भूमि की बिक्री बाबत कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना में परिवर्तन

995. श्री आनन्द अहिरवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के साथ परामर्श करके जवाहर रोजगार योजना में कुछ परिवर्तनों को अन्तिम रुप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) और (ग). योजना आयोग के परामर्श से जवाहर रोजगार योजना में किये गये परिवर्तन विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना की निधियों के उपयोग तथा प्रभावी निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं।

1. कम से कम 2546 करोड़ रुपये, जो वर्ष 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के लिए संशोधित बजट आबंटन था, के आधार पर एक वर्ष में जवाहर रोजगार योजना के तहत आबंटित निधियों की 75 प्रतिशत, अब निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार व्यापक रुप से देश भर में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु इस्तेमाल की जाएंगी।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम परिणामों के आधार पर नवीनतम उपलब्ध गरीबी आकलनों के अनुसरण में देश में कुल ग्रामीण आबादी और राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना के तहत निधियां आबंटित की जानी जारी रहेंगी। तथापि, किसी जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के साथ राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात को समान तरजीह देने तथा कृषि मजदूरों के प्रतिव्यक्ति उत्पादन आधार पर तैयार किये गये पिछड़ेपन के सूचकांक के अनुसार राज्य से जिलों को निधियों का आबंटन किया जायेगा।

3. जवाहर रोजगार योजना की उप योजनायें अर्थात दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना जारी रहेंगी। तथापि, दस लाख कुओं की योजना के लिए निधियों को वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया जायेगा तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले, वित्तीय कुल आबंटन के लाभ जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मकानों के निर्माण के लिए निधियों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर

दिया जाएगा तथा इसमें गैर अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के गरीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा बशर्ते कि गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों (मुक्त बंधुआ मजदूरों को छोड़कर) को मिलने वाले लाभ कुल आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक न हो।

4. कम से कम 700 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत निधियां देश के विभिन्न राज्यों के 120 जिलों, जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की अधिकता है, में गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन पर इस्तेमाल किये जाएंगे। इस प्रयोजन हेतु, संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां दी जाएगी जो जिलों में अत्यधिक बेरोजगारी और अल्परोजगारी वाले क्षेत्रों को चयन करेंगी ताकि इन क्षेत्रों में गहन जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वित की जा सके।

5. अधिकतम 75 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की 5 प्रतिशत निधियां ऐसी योजनाएं शुरु करने के लिए निर्धारित की जाएंगी जिनका उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकना, महिला रोजगार में वृद्धि करना है, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम जिनका उद्देश्य सूखे पर रोक लगाना तथा वाटरशैड विकास/बंजरभूमि विकास करना है जिसके परिणामस्वरुप सतत् रोजगार प्राप्त होता है।

6. मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक के लिए खर्च को विद्यमान 60:40 के अनुपात में रखा गया है लेकिन कुल मजदूरी के 10 प्रतिशत सीमा के आधार पर अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को मजदूरी घटक के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

रक्षा सामग्री का निर्यात

996. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से निर्यात किए जा रहे रक्षा सामग्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 1993 से 31 अक्तूबर 1993 तक कितने मूल्य की रक्षा सामग्रियों का निर्यात किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों के उत्पादों का प्रचुर मात्रा में निर्यात किया जा रहा है, जिनमें वायुयान और अतिरिक्त हिस्से पुर्जे, इलैक्ट्रानिक हिस्से-पुर्जे और संचार उपस्कर, विस्फोटक और रसायन, सॉफ्टवेयर सामग्री आदि शामिल हैं।

(ख) दिनांक 1.1.1993 से 31.10.1993 तक की अवधि में रक्षा उत्पादन यूनिटों द्वारा किए गए निर्यात का मूल्य (मान लिए गए निर्यात सहित) 51.36 करोड़ रुपए है।

(ग) पिछले तीन वर्षों की उपर्युक्त अवधि में किए गए निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार है :

अवधि	निर्यात (मान लिए गए निर्यात सहित)
1.1.1990 से 31.10.1990	26.00 करोड़ रुपए
1.1.1991 से 31.10.1991	11.92 करोड़ रुपए

1.1.1992 से 31.10.1992	22.00 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन

997. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादन की जाने वाली बिजली क्षमता के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इस अध्ययन में इस समय अधिस्थापित क्षमता की तुलना में कितनी अधिक क्षमता दिखाई गई है ; और

(घ) इस अन्तर को कब तक दूर कर लिया जायेगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पवन संभाव्यता का आकलन करने तथा पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थलों का पता लगाने हेतु 22 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में एक विस्तृत पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है। प्रारम्भिक अनुमानों से देश में 20,000 मेवा. की समग्र संभाव्यता का पता चला है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि जैसे राज्यों में उपयुक्त स्थानों का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ). अब तक कुल 69 मेवा. की पवन विद्युत क्षमता प्रतिस्थापित की गई है। पवन विद्युत कार्यक्रम अभी हाल ही की उत्पत्ति है और इसमें नयी प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है। इसमें अभी हाल ही में तेजी से विकास होना आरम्भ हुआ है। प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए संभवतया अधिक बजट सहायता और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के अधार पर आठवीं योजना के लक्ष्य को 100 मेवा. के मूल लक्ष्य से संशोधित करके 500 मेवा कर दिया गया है। स्थलों का पता लगाना, उपयुक्त ग्रिड की उपलब्धता, निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता और राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त नीतियों और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों का शुरु करना जैसे कई घटकों पर सम्पूर्ण संभाव्यता का उपयोग निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

खादी उत्पादों की निर्यात संभावना

998. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की भारी निर्यात संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन वस्तुओं के निर्यात से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) के.वी.आई.सी. देश के भीतर और विदेश में प्रदर्शनियां आयोजित करके पता लगाए गए निर्यात सम्भावना वाले उत्पादों के विपणन के लिए उपाय कर रहा है। के.वी.आई.सी. ने यू.एस.ए., कनाडा में हस्त निर्मित कागज के बाजार सर्वेक्षण का कार्य भी हाथ में लिया है ताकि इन देशों को हस्तनिर्मित कागज का निर्यात किया जा सके।

(ग) पिछले तीन वर्षों के निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1989-90	5.54
1990-91	6.43
1991-92	8.31

(खादी निर्यात को छोड़कर)

ये निर्यात व्यापारी निर्यातकों के माध्यमों से किए जाते हैं, अतः यह अप्रत्यक्ष निर्यात हैं। कुछ संस्थान प्रत्यक्ष निर्यात कर रहे हैं और के.वी.आई.सी. कार्यशाला और सेमिनारों के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहन दे देता हैं ताकि प्रत्यक्ष निर्यात को और विकसित किया जा सके।

सिगरेट बनाने की मशीनें

999. श्री के.एच. मुनियप्पा :

श्री वी.कृष्णा राव :

श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिगरेट बनाने की मशीनों का निर्माण करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालतें

1000. श्री राम बदन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोक अदालतें शुरु करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी लोक अदालतें गठित करने का विचार है; और

(ग) इनका गठन कब तक किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालतों और विधिक सहायता के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में तीव्रता लाने के लिए विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के सदैव ही प्रयत्नशील रही है। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के कार्यपालक अध्यक्ष ने, अब कभी भी इन राज्यों का दौरा किया है, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों पर इस बात के लिए जोर दिया है।

(ख) और (ग). लोक अदालतें नियमित रुप से गठित किए गए विधि न्यायालय नहीं हैं किंतु वे विवादों को आग्रही और सुलहात्मक रीतियों से निपटाने के स्वैच्छिक प्रयत्न हैं। लोक अदालतों का आयोजन सारे देश में, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश भी है, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा किया जा रहा है। अतः लोक अदालतें गठित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1001. श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यं और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में 1993-94 के दौरान यह लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) महाराष्ट्र में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और (2) जवाहर रोजगार योजना हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों में अर्थात 1990-91 से 1992-93 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहायता किए गए परिवारों की संख्या (लाख में)		जवाहर रोजगार योजना सृजित श्रम दिनों की संख्या (लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	1.87	2.14	859.99	850.22

1991-92	1.77	1.98	654.72	771.64
1992-93	1.48	1.78	838.77	823.53

(ख) 1993-94 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति की निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से कहा गया है कि वह लक्ष्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निष्पादन में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 को संशोधन

1002. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में संशोधन लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आठवीं योजना के दौरान आबंटन में वृद्धि करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). सरकार ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में संशोधन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ). सरकार ने, एन.सी.आर. योजना बोर्ड के लिए बजटीय सहायता को सातवीं योजना के 35 करोड़ रुपये को बढ़ाकर आठवीं योजना में 200 करोड़ रुपये कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी परियोजना बोर्ड द्वारा तैयार की गयी निवेश योजना के अनुसार केन्द्रीय सहायता के समतुल्य राशि का भागीदार राज्यों द्वारा अंशदान देना होगा।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की समीक्षा

1003. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम):

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औषधों के मूल्य

1004. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में विभिन्न किस्म के औषधों के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर नियंत्रण लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और

(ख). अप्रैल, 1993 से मध्य नवम्बर, 1993 के बीच विभिन्न श्रेणियों के औषधों के मूल्यों में कमी-बढ़ोतरी के सूचकांक संलगन विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

औषधों का थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82=100)

		अप्रैल, 93	13.11.93 *	प्रतिशत परिवर्तन
	ड्रग्स और दवाईयां	175.0	186.5	6.57
1.	विटामिन गोलियां (एबीसीडी और अन्य)	256.6	283.3	10.40
2.	विटामिन कैप्सूल	189.8	188.7	(-)0.58
3.	विटामिन तरल	171.2	220.5	28.79
4.	क्लोरफेनिकोल	189.8	204.1	7.53
5.	पेनिसिलिन (वायल गोलियां और अन्य उत्पाद)	200.6	200.6	0.00
6.	स्ट्रेप्टोमाइसिन (वायल और अन्य उत्पाद)	235.6	273.7	16.17
7.	टेट्रासाइक्लीन (केपसूल, वायल और अन्य में)	157.5	173.2	9.96
8.	पावडर/ग्रेन्यूल्स विटामिन के अलावा अन्य	119.8	119.8	0.00
9.	तरल ओरल विटामिन के अलावा	153.9	174.6	13.45
10.	तरल इन्जेक्टेबल्स विटामिन के अलावा	134.0	142.0	5.97
11.	केपसूल विटामिन और एंटिबायोटिक्स के अलावा	143.2	143.2	0.00
12.	गोलियां विटामिन औरपेनिसिलिन को छोड़कर	163.4	164.9	0.91
13.	मलहम	198.8	217.4	9.35
14.	सिरप	137.7	151.0	9.65
15.	ड्रग्स एण्ड फार्मा. एनईसी	174.8	175.5	0.74

* अनन्तिम

20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियां व लक्ष्य

1005. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार और मद-वार क्या उपलब्धि रही;

(ख) 1992-93 के लिए वास्तविक लक्ष्य क्या रखे गये थे बिहार राज्य में तत्संबंधी मद-वार क्या उपलब्धि रही; और

(ग) बिहार राज्य और संपूर्ण राष्ट्र के लिए 1993-94 हेतु मद-वार क्या लक्ष्य रखे गए थे तथा अप्रैल-सितंबर, 1993 के लिए संगत उपलब्धियां क्या रहीं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान मासिक प्रबोधन के लिए निश्चित बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 मदों की राज्यों की उपलब्धि को संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए बिहार राज्य में मदवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां विवरण - II में दी गई हैं।

(ग) अप्रैल-सितम्बर 1993 के दौरान बिहार तथा सम्पूर्ण देश के संबंध में बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन लक्ष्य तथा उपलब्धि को दर्शाने वाले विवरण पत्र को क्रमशः विवरण - III तथा IV में संलग्न किया गया है।

विवरण-I

अप्रैल-मार्च, 93 (संशोधित) (प्रतिशत उपलब्धि) के दौरान सूत्रों का राज्यवार निष्पादन

क्र.	सूत्र	सूत्र का विवरण	संपूर्ण भारत	आंध्र प्रदेश	अ. प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	110	145	108	102	96	94	109	177	150
2	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	99	100	64	92	108	92	97	96	88
3	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजीकृत)	123	196	95	96	103	107	180	154	102
4	05 क	फालतू भूमि का वितरण	73	137	–	51	120	–	211	23	
5	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	149	209	–	–	95	–	–		–
6	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	100	115	113	50	113	98	91	152	90
7	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	37	0	100	85	5	–	180	225	400
8	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी)	41	0	100	84	0	–	100	–	120
9	08 ग	बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलिया तथा बी सी जी)	89	100	55	80	75	17	92	96	93
10	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	80	88	63	11	61	109	90	94	114
11	09 ख	समतुल्य नसबंदी आई यू ओ, सी सी तथा के पी	74	65	75	52	30	117	84	77	95

12	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	100	100	103	100	100	100	100	100	100
13	09 घ	आगनवाड़ियां (संचयी)	97	105	68	94	93	107	88	113	109
14	11 क	सहायता प्राप्त अ.ज. के परिवार	77	91	-	37	54	30	98	71	78
15	11 ख	सहायता प्राप्त अ.ज.ज. के परिवार	96	111	-	33	107	-	116	-	83
16	14 क	आबंटिक आवास स्थल (परिवार)	148	109	-	65	125	27	124	0	0
17	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	121	289	48	65	-	17	146	115	114
18	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	160	142	70	91	192	102	105	109	101
19	14 घ	आर्थिक रुप से कमजोर	108	123	-	14	94	50	107	208	100
20	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	102	100	-	0	80	84	122	213	100
21	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	101	267	-	91	30	167	102	108	100-
22	16 क	निजी भूमि में वृक्षारोपण	100	108	100	1782	163	109	91	100	98
23	16 ख	सार्वजनिक तथा वन भूमि शामिल क्षेत्र	96	75	100	92	42	115	93	94	96
24	18	उचित दर दुकानें	278	107	81	113	544	33	125	-	-
25	19 क	विद्युतीकरण गांव	88	-	72	113	71	-	-	-	-
26	19 ख	शक्तिचालित पम्पसेट	165	232	-	-	66	-	170	96	-
27	19 ग	उन्नत चूल्हे	108	149	34	83	101	124	116	20	60
28	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	137	158	160	162	100	105	142	106	100

क्र. सं	सूत्र	सूत्र का विवरण	जम्मू कश्मीर	कर्नाटक	केरल	म. प्र०	महा राष्ट्र	मणि पुर	मेघालय	मिजो.	नागालैंड
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	100	120	108	93	120	107	84	67	61
2	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	86	94	97	100	98	83	68	109	28
3	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजीकृत)	69	189	135	128	112	42	149	55	95
4	05 क	फालतू भूमि का वितरण	0	132	44	9	54	0	–	–	–
5	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	–	128	–	714	–	–	–	–	–
6	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	33	110	53	119	136	51	89	138	0
7	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	33	100	0	0	40	100	100	0	0
8	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी)	48	100	80	0	80	50	160	0	0
9	08ग	बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी) पोलिया तथा बी सी जी)	74	90	99	79	96	83	23	19	69
10	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	37	92	97	82	105	23	51	299	58
11	09 ख	समतुल्य नसबंदी आई यू ओ, सी सी तथा के पी	61	83	79	71	89	32	81	68	19
12	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	100	100	101	100	100	100	100	100	100
13	09 घ	आगनवाडियां (संचयी)	106	109	100	100	97	89	100	111	107

12	11 क	सहायता प्राप्त अ.ज. के परिवार	36	104	84	81	81	66	–	–	–
15	11 ख	सहायता प्राप्त अ.ज.ज. के परिवार	40	158	69	93	100	49	–	–	–
16	14 क	आबंटिक आवास स्थल (परिवार)	6	311	108	98	0	–	–	100	–
17	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	13	35	–	100	0	–	101	100	0
18	14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	151	136	978	234	126	216	100	102	0
19	14 घ	आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को प्रदान किए गए मकान	21	57	109	118	534	0	6	250	–
20	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	26	108	32	101	112	0	10	115	–
21	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	100	109	107	100	95	0	100	20	–
22	16 क	निजी भूमि में वृक्षारोपण	90	67	100	100	72	8	21	200	99
23	16 ख	सार्वजनिक तथा वन भूमि शामिल क्षेत्र	70	95	29	110	94	0	29	117	0
24	18	उचित दर दुकानें	–	–	–	–	1921	–	–	129	–
25	19 क	विद्युतीकरण गांव	100	–	–	93	–	33	138	100	–
26	19 ख	शक्तिचालित पम्पसेट	–	375	296	85	125	–	–	–	0
27	19 ग	उन्नत चूल्हे	78	116	72	100	104	107	161	67	5
28	19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	47	447	134	243	114	104	80	100	2

क्र.	सूत्र	सूत्र का विवरण	उ०	पं०	राज०	मि०	नं०ना०	त्रि०	उ०प्र०	पं०व०	अं.नि०	चंडी०
1.	01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	98	219	115	109	117	295	105	111	262	-
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	106	129	101	201	114	77	108	49	37	-
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजीकृत)	142	46	129	67	132	151	118	53	108	101
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	220	100	102	-	138		270	138		-
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	46	-	180	-	128	-	100	-		-
6.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	91	96	101	75	89	91	116	40	180	-
7.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	0	100	0	0	67	57	0	-	
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी)	0	0	100	-	-	70	131	2	0	0
9.	08 ग	बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलिया तथा बी सी जी)	89	104	92	93	104	99	93	77	97	115
10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	73	118	87	92	104	58	59	76	88	110
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आई यू ओ, सी सी तथा ओ पी	74	76	68	116	86	84	80	52	82	89
12.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	09 घ	आंगनवाडियां (संचयी)	98	99	74	109	73	90	95	105	89	106
14.	11 क	सहायता प्राप्त अ.जा. के परिवार	83	96	100	100	101	70	79	27	-	153

15. 11 ख	सहायता प्राप्त अ.ज.जा. के परिवार	124	-	100	101	97	88	97	33	88	-
16. 14 क	आबंटिक आवास स्थल (परिवार)	254	-	121	-	129	90	246	366	-	175
17. 14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	139		99	78	100	69	103	0	0	-
18. 14 ग	इंदिरा आवास योजना (मकान)	127	268	101	275	132	77	117	72	781	-
19. 14 घ	आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को मकान	151	88	166	100	132	58	94	51	250	-
20. 14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	106	50	11	-	112	104	97	270	7	-
21. 15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	101	106	117	100	131	100	108	96	100	-
22. 16 क	निजी भूमि में वृक्षारोपण	85	123	115	147	119	74	98	80	107	-
23. 16 ख	सार्वजनिक तथा वन भूमि शामिल क्षेत्र	124	114	101	63	175	97	98	103	98	0
24. 18	उचित दर दुकानें	592	-	-	0	-	115	-	-	217	0
25. 19 क	विद्युतीकृत गांव	23	-	193	-	-	250	96	101	-	-
26. 19 ख	शक्तिचालित पम्पसेट	51	157	109	-	223	100	144	34	-	-
27. 19 ग	उन्नत चूल्हे	120	100	146	104	150	107	102	106	62	0
28. 19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	132	113	126	215	108	130	121	85	200	0

क्र.	सूत्र	सूत्र का विवरण	दा०न०	द०द्वीप	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांड़िचेरी
1.	01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	113	100	-	117	124
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	76	7	-	102	115
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजीकृत)	107	170	95	100	118
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	133	-	-	-	0
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	-	-	-	-	-
6.	07 क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	-	-	-	25	80
7.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	-	-	-	0	0
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द (पी एच सी)	0	-	-	-	0
9.	08 ग	बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलिया तथा बी सी जी)	99	103	91	101	111
10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	103	116	95	40	173
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी आई यू ओ, सी सी तथा ओ पी	79	120	100	26	104
12.	09. ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	100	100	104	100	100
13.	09 घ	आंगनवाडियां (संचयी)	100	106	102	178	82
14.	11 क	सहायता प्राप्त अ.जा. के परिवार	-	-	33	-	97
15.	11 ख	सहायता प्राप्त अ.ज.जा. के परिवार	-	77	-	-	-

16. 14 क	आर्बटिक आवास स्थल (परिवार)	–	–	0	–	114
17. 14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	134	0	0	–	142
18. 14 ग	ईंदिरा आवास योजना (मकान)	87	438	–	0	100
19. 14 घ	आंर्थिक रुप से कमजोरवर्गो को मकान	–	0	45	–	–
20. 14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	–	0	1755	–	–
21. 15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	–	–	18	–	100
22. 16 क	निजी भूमि में वृक्षारोपण	219	114	83	112	1080
23. 16 ख	सार्वजनिक तथा वन भूमि शामिल क्षेत्र	48	83	76	100	64
24. 18	उचित दर दुकानें	300	–	–	–	0
25. 19 क	विद्युतीकृत गांव	–	–	–	–	–
26. 19 ख	शक्तिचालित पम्प से	–	–	–	–	–
27. 19 ग	उन्नत चूल्हे	100	67	141	76	100
28. 19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	100	0	40	–	125

विवरण - II

क्र.सं.	सूत्र कोड़	सूत्र का विवरण	इकाईयां	आर 92-93		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	276337	264252	96
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	"	93794000	101649000	108
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाईयां (पंजी.)	"	9942	10239	103
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	7000	8369	120
5.	0 6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	75	71	95
6.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	4063	5188	113
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	20	1	5
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	193	0	0
9.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	2748208	2054708	75
10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	500000	303656	61
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी - आईयूडी, सीसीएवंओपी	संख्या	165667	49528	30
12.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	228	228	100

13.	09 घ	आंगनवाड़िया (संचयी)	संख्या	20478	19086	93
14.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	300000	163189	54
15.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहायता	संख्या	125000	133267	107
16.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	17299	21628	125
17.	14 ग	इन्दिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	14509	27858	192
18.	14 घ	आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	527	496	94
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	334	268	80
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	25000	7464	30
21	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	60000000	97920000	163
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन-भूमि	हैक्टेयर	48000	20337	42
23.	18	खोली गई उचित दर दुकानें	संख्या	126	686	544
24.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	365	258	71
25.	19 ख	शक्ति चालित पंपसेट	संख्या	3955	2592	66
26.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	80000	81097	101
27.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	3500	3502	100

विवरण - III

क्र.सं.	सूत्र कोड़	सूत्र का विवरण	इकाईयां	1993-94	आर 92-93		
				लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	01 क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	390585	156234	76254	49
2.	01 ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	"	146771000	58708400	72460000	123
3.	01 ग	लघु उद्योग इकाईयां (पंजी.)	"	10000	4000	3147	79
4.	05 क	फालतू भूमि का वितरण एकड़		94000	42300	2393	6
5.	0 6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	391	105	70	67
6.	07 क	सुलझायी गई पेयजल समस्या (ग्राम)	संख्या	6281	2198	1193	54
7.	08 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	20	0	0	-
8.	08 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	100	20	0	0
9.	08 घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलिया एवं बीसीजी)	संख्या	2807428	982600	442662	45

10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	500000	175000	25972	15
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी.- आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	193889	67861	17394	26
12.	09 ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिचालन (संचयी)		245	245	245	100
13.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	22114	22114	19086	86
14.	11 क	अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता	संख्या	310000	111600	59454	53
15.	11 ख	अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता	सख्या	125000	41250	42543	103
16.	14 क	आबंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	17299	7785	30987	398
17.	14 ग	इन्दिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	37396	16828	15515	92
18.	14 घ	आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	636	287	58	20
19.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	1022	460	206	45
20.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	25000	11250	1628	14

21.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	75000000	51750000	23390000	45
22.	16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र					
		सार्वजनिक एवं वन-भूमि	हैक्टेयर	50000	34500	36745	107
23.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	258	60	12	20
24.	19 ख	शक्ति चालित पंपसेट	संख्या	1500	405	852	210
25.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	150000	22500	17860	79
26.	19घ	बायो गैस संयंत्र (ग्राम्य)	संख्या	4000	1000	522	52

विवरण - IV

समग्र भारत का निष्पादन : लक्ष्य तथा उपलब्धि 1993-94 सितम्बर 93 तथा अप्रैल-सितम्बर 93

क्र.सं.	मू.सं.	मद	इकाईयां	लक्ष्य वार्षिक 1992-93	लक्ष्य वार्षिक 1993-94	अप्रैल-सित. 1993	सित. 93	उपलब्धि अप्रैल सित. 93	उपलब्धि सित.93	प्रतिशत उपलब्धि अप्रैल सित.93 (9/7)	प्रतिशत उपलब्धि सित.93 (10 8)	प्रतिशत उपलब्धि संचयी वा०93-94 (9 6)	प्रतिशत उपलब्धि संचयी वा० 92-93तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1क	एकी. ग्रामीण वि.का.*	(परि.)000 सं.	1875:1	2570.0	1028.0	214.1	762.0	264.0	74	123	30	33
2.	1 ख	ज.रो. यो. @	लाख श्रमिक	7537.9	10942.3	4376.9	729.4	3040.9	877.3	69	120	28	33
3.	1 ग	ल.उद्य.इका. (पंजी.)	000 सं.	140.3	147.7	69.2	12.2	63.7	15.1	92	124	43	53
4.	5क	फालतू भूमि का आवंटन	सं.	150.7	639.0	287.5	53.3	15.8	3.2	5	6	2	27
5.	6	बंधुआ मजदूर पुर्नवास *	सं. एकड़	2279	2179	591	131	794	375	134	286	36	8

6.7क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)		सं.	33453	42000	14703	2801	11568	2852	79	102	28	37
7.8क	सामुदायिक स्वा. केन्द्र		सं.	259	164	–	–	4	–	–	–	2	0
8.8 ख	प्राथमिक स्वा. केन्द्र		सं.	759	640	125	41	13	10	10	24	2	2
9.8 ग	उप केन्द्र		सं.	–	30	–	–	–	–	–	–	–	–
10.8 घ	बाल प्रतिरक्षण * *	लाख	सं.	242.9	248.2	86.8	16.5	85.3	18.6	98	113	34	35
11.9 क	परिवार नियो. नस. **	000	सं.	5224.6	5129.6	1795.3	341.9	1378.0	312.9	77	92	27	25
12.9 ख	समतुल्य नसबंदी ** #	000	सं.	2961.7	3475.2	1216.3	231.7	1401.8	200.6	115	87	40	36
13.9 ग	ए.वा.वि.सें. खण्ड प्रचा. (संचयी) S		सं.	2595	2571	2506	2506	2765	2765	110	110	108	97
14.9 घ	आंगनवाडियां (संचयी) $	000	सं.	282.8	280.4	275.3	275.3	284.9	284.9	103	103	102	91
15.11 क	सहा. प्राप्त अ.जा. के परि.	000	सं.	2595.6	2641.8	951.0	184.9	638.2	215.6	67	117	24	21
16.11 ख	सहा. प्राप्त अ.ज.जा. के परि.	000	सं.	895.9	900.0	297.0	63.0	288.0	76.7	97	122	32	31

17.14 क	आवं आ. स्थल (परि.)	000 सं.	601.4	599.7	269.9	43.0	282.9	59.0	105	123	47	64
18.14 ख	निर्माण सहा. (परि.)	000 सं.	330.3	322.0	144.8	25.8	118.4	22.8	82	88	37	38
19.14 ग	अ.ज. तथा अ.ज.ज. (म.) के लिए इन्दिरा आ. यो.	000 सं.	17.1	196.0	88.1	15.7	92.8	15.1	105	96	47	76
20.14 घ	आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को दिये गए मकान	000 सं.	115.1	96.5	43.4	7.7	22.0	5.4	51	70	23	15
21.14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	000 सं.	53.0	47.9	21.6	3.8	9.0	2.8	42	74	19	23
22.15	गंदी बस्तियों का सु. (जन.)	000 सं.	1177.8	1326.0	596.7	106.0	434.4	87.0	73	82	33	41
23.(i) 16 क	वृक्षारोपण	लाख सं.	14500.0	13591.0	9328.1	2974.2	11034.5	3387.2	118	114	82	60
23. (ii)16 ख	शामिल किया गया क्षेत्र	000 हेक्टेयर	1064.0	1165.3	804.0	256.3	674.6	118.3	84	46	58	71
24.18	खोली गई उ. दर दुकानें	सं.	1512	1606	803	135	1055	136	157	125	27	19
25.19 क	विद्युतिकृत मकान	सं.	4240	3218	550	109	865	136	157	125	27	19
26.19 ख	शक्ति चालित पम्पसैट	000 सं.	256.8	275.4	74.1	13.7	128.3	39.7	173	290	47	55

27.19 ग	उन्नत चुल्हे **	000 सं.	1625.0	2214	332.1	73.8	454.6	134.0	137	182	21	17
28.19 घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य) **	000 सं.	114.4	139.2	34.8	4.6	44.5	7.0	128	152	32	36

* केन्द्र/राज्य के हिस्से 50 : 50 पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

100 प्रतिशत केन्द्रीय भाग की केन्द्रीय प्रायोजित योजना। @ केन्द्र/राज्य हिस्से की 80:20 पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना

@@ डी पी टी पोलियो तथा बी सी जी के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण तथा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों में कमी।

$-महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े लिए गए हैं।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, भारतीय उर्वरक निगम और भारत परियोजना और विकास लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार योजना।

1006. श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक कामगार परिसंघ कामगार परिसंघ ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, भारतीय उर्वरक निगम और भारत परियोजना और विकास लिमिटेड के एककों के तकनीकी-आर्थिक पुनरुद्धार योजना सौंपी है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) : जी हां । भारतीय उर्वरक कामगार परिसंघ द्वारा प्रस्तुत तकनीकी-आर्थिक पुनरुद्धार योजना पर अक्तूबर, 1992 में आयोजित एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें विभिन्न कामगार/अधिकारियों के संघो/परिसंघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस बीच, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने औपचारिक रुप से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच.एफ.सी.), फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.(एफ.सी.आई.) तथा प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपेमेंट इंडिया लि. (पी डीआईएल) को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन रुग्ण कम्पनियां घोषित कर दिया। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकार तथा इन कम्पनियों से एक सक्षम पुरुद्धार पेकेज़ प्रस्तुत करने को कहा है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अम्लीय वर्षा की चेतावनी

1007. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1993 के "द वीकन्ड आब्जर्वर में "ऐसिड रेन वार्निंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निम्न स्तरीय क्षारीय विविक्त के कारण विशेषतः उन क्षेत्रों में जो अम्लीकरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र हैं; वहां के लोगों को अम्लीय वर्षा की चेतावनी देने के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में अम्लीय वर्षा संबंधी गहन अध्ययन भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किए गए हैं। इन अध्ययनों के अंतर्गत देश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा के जल

का निरीक्षण तथा विश्लेषण करना शामिल हैं। अभी तक किये गये अवलोकनों तथा विश्लेषण के अध्ययन के परिणामों से यह पता चलता है कि भारत पर अम्लीय-वर्षा का कोई खतरा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित मालभाड़ा कम्पलैक्स सह थोक बाजार

1008. श्री मोहन रावले : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना राजधानी के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में समेकित मालभाड़ा कम्पलेक्स-सह थोक बाजारों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख). दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में दिल्ली के बड़े प्रवेश मार्गों पर, माल गोदाम और ट्रक टर्मिनल सुविधा सहित, एकीकृत मालभाड़ा कम्पलेक्स-व-थोक बाजारों का प्रस्ताव है जो इस प्रकार हैं :

(i) पूर्व में, पटपड़गंज के निकट लोनी रोड़ पर - राष्ट्रीय राजमार्ग -24 के साथ

(ii) दक्षिण में मदनपुर खादर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के साथ

(iii) दक्षिण-पश्चिम में, नगर विस्तार (भरतल) में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के साथ

(iv) उत्तर में, नगर विस्तार (नरेला उप नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के साथ)

(ग) मास्टर प्लान - 2001 के अनुसार प्रस्तावित मालभाड़ा परिसरों का विकास प्राथमिक आधार पर किया जाएगा।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा अन्य न्यायालयों हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

1009. श्री जीवन शर्मा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी विभागों ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा अन्य न्यायालयों में मामले प्रस्तुत करने तथा उनकी पैरवी करने हेतु अपने अधिकारियों को प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के रुप में नियुकत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विभागों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारी अधिकारियों के अन्य विभागों हेतु तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अपेक्षा अन्य न्यायालयों में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करने संबंधी सरकारी आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में, राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख). प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 23(2) के अधीन विधि व्यवसायी अथवा सरकारी अधिकारी, कोई भी, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रुप में प्रस्तुत होने के लिए प्राधिकृत किए जा सकते हैं और इस प्रकार से प्राधिकृत प्रत्येक

व्यक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष पेश किसी भी आवेदन के संबंध में अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। विधि व्यवसायी विधि मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किए जाते हैं जबकि सरकारी अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राधिकृत किए जाते हैं। तथापि ऐसे प्राधिकार के ब्यौरे केन्द्रीकृत रुप से रखने अपेक्षित नहीं है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय केवल प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अधीन स्थापित प्रशासनिक अधिकरण से ही प्रशासनिक रुप से संबंधित है। अन्य न्यायालयों की स्थापना भिन्न सांविद्धानिक उपबंधों/अधिनियमों के अधीन की गई है और इनके संबंध में तत्संबंधी अधिनियमों में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के विषय में दिए गए विशेष उपबंध लागू होगें।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने, जोकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से प्रशासनिक रुप से संबंधित है, दिनांक 25 जून, 1986 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 11019/58/85-ए.टी.द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु संबंधित विभाग/मंत्रालय के समूह ''क'' अधिकारियों को प्राधिकृत करने की शक्तियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित की है और इन्हें इसी विभाग के दिनांक 25 मई, 1988 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा दोहराया गया था। इन कार्यालय ज्ञापनों की प्रति विवरण - I तथा II के रुप में संलग्न की गई है।

विवरण - I

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकारी काउंसेलों/प्राधिकृत विभागीय प्रतिनिधियों के माध्यम से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मामले पेश करना।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने नई दिल्ली में अपनी प्रधान न्यायपीठ और न्यू बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद में स्थित शाखाओं के साथ दिनांक 1 नवम्बर, 1985 से कार्य करना पारम्भ कर दिया। गुवाहाटी, चंडीगढ़ औरं बंगलौर की शाखाओं ने 3 मार्च, 1986 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इर्नाकुलम, हैदराबाद, अहमदाबाद, जोधपुर, जबलपुर, पटना तथा कटक में अधिकरण की सात अन्य शाखाएं शीघ्र ही स्थापित की जाएंगी।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष केन्द्रीय सरकार के विभागों के मामलों को प्रस्तुत करने के लिए, जहां पर विभाग प्रतिवादी है, केंन्द्रीय सरकार के काउंसलों की नियुक्ति कर दी गई है और उनके नाम कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-11019/38/85-ए.टी. क्रमशः दिनांक 28.11.85, 9.12.85, 20.1.86 के तहत मंत्रालयों/विभागों इत्यादि को भेज दिए गए हैं।

3. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 23(2) जैसा कि प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम 1986 के द्वारा संशोधित किया गया है। ''केन्द्रीय सरकार एक या अधिक विधि व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और इस प्रकार से प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अधिकरण के समक्ष पेश किसी भी आवेदन के संबंध में मामले को प्रस्तुत कर सकता है।'' इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब भी अधिकरण की किसी न्यायपीठ के समक्ष कोई

आवेदन दायर किया जाता है और केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग/मंत्रालय या इसके नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को प्रतिवादी बनाया जाता है, तो संबंधित मामले के महत्व को मद्दे नजर रखते हुए संबंधित विभाग/मंत्रालय अपने किसी अधिकारी, जो केन्द्र सरकार में कम से कम समूह ''क'' का अधिकारी हो, के माध्यम से अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष प्रत्यक्ष रुप से मामले को प्रस्तुत करने का निर्णय ले सकता है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो संबंधित मंत्रालय/विभाग अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए अधिकरण की न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं। जहां संबंधित मंत्रालय/विभाग, अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह महसूस करे कि अधिकरण के समक्ष सामान्य रुप से मामले प्रस्तुत करने के लिए अपने अधिकारियों को प्राधिकृत करना लाभप्रद होगा, तो इसके लिए उसके द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए अधिकरण की संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा जा सकता है। चूंकि अधिकरण के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार के पास निहित है इसलिए ऐसे अनुमोदन के लिए संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेना आवश्यक है, जब तक कि ऐसे प्राधिकार के लिए मंत्रालय/विभाग के सचिव को इस आशय की शक्ति प्रत्यायोजित न की गई हो।

4. इस मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि कुछ मामलों में, संबंधित सरकारी विभाग केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से नोटिस प्राप्त होने पर नियत तारीख पर न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत होने में सफल रहते हैं अथवा किसी बहुत कनिष्ठ अधिकारी को रिकार्ड के साथ न्यायपीठ में भेजते हैं। यह जरुरी है कि जब भी अधिकरण से नोटिस प्राप्त हो तो संबंधित विभाग को तत्काल (जब तक कि अन्यथा यह निर्णय न किया जाए कि मामला किसी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा)। उक्त न्यायपीठ से सम्बद्ध वरिष्ठ स्थायी काउंसेल/स्थायी काउंसेल से सम्पर्क करना चाहिए ताकि वह स्वयं मामले की पैरवी करे अथवा न्यायपीठ से सम्बद्ध अतिरिक्त स्थायी काउंसेल का मामला आबंटित करें। संबंधित सरकारी काउंसेल को मामले से पूरी तरह अवगत कराया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी काउंसेल अथवा प्राधिकृत अधिकारी अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष नियत तारीख को हाजिर हो।

5. सभी मंत्रालय/विभाग तथा सम्बद्ध कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष ब्यान यथासमय प्रस्तुत किए जाएं और मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख को अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष केन्द्रीय सरकारी काउंसेल अथवा प्राधिकृत विभागीय प्रतिनिधि उपस्थिति हो।

ह./-

(एस.के. पार्थसारथी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित : -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी काउंसेल (सूची के अनुसार)
3. पंजीयक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सभी न्यायपीठें सूची के अनुसार)

विवरण - II

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकारी काउंसिलों/प्राधिकृत विभागीय प्रतिनिधियों के माध्यम से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मामले पेश करना।

मुझे, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मामलों का प्रतिवाद करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 25.6.1986 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन (प्रति तत्काल संदर्भ के लिए संलगन है) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में यह बात लाई गई है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जाता है। यह बात पुनः दोहराई जाती है कि ऐसे मामलों में, जहां मंत्रालय/विभाग अधिकरण की न्यायपीठ के समक्ष मामले को सीधे ही अपने किन्हीं अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय करते हैं, वहां वे सरकार की ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए, अधिकरण की न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं। ऐसे अधिकारी, जिन्हें इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किया जाता है, उन्हें अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने तथा सरकार का प्रतिनिधित्व करने की हकदारी नहीं होती है। अतः अनुरोध है कि ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र हर हालत में संबंधित रजिस्ट्रारों को भेज दिए जाएं ताकि सरकारी मामलों का ठीक ढंग से प्रतिवाद किया जा सके।

ह./-

(कृष्ण सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी काउंसेल (संलग्न सूची के अनुसार)
3. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सभी न्यायपीठें संलग्न सूची के अनुसार)।

चमड़ा उद्योग

1010. श्री एस.बी. थौरात : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की कमी को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से श्री ई.एन. मूर्ति के नेतृत्व में अधिकारियों तथा गैर-अधिकारियों के एक दल ने यूरोप में अग्रणी प्रशिक्षण संस्थानों तथा संगठनों की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या मुख्य टिप्पणियां तथा सिफारिशें की;

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान इस संबंध में सामान्यतः देश के विभिन्न भागों और विशेष रुप से महाराष्ट्र में क्या कार्य योजना बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) चमड़ा उद्योग के विकास के लिए गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त किए गये विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). श्री ई.एन.मूर्ति की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक अध्ययन दल ने यूरोप में कुछ अग्रणी प्रशिक्षण संस्थानों और संगठनों का दौरा किया। दौरे का प्रयोजन फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीटयूट (एफ.डी.डी.आई.), केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल.आई.), केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्रों (सी.एफ.टी.सी.), प्रशिक्षण सुविधाओं और पाठ्यक्रम के स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप करना था। दल के दौरे के आधार पर, एफ.डी.डी.आई., सी.एल. आर.आई., सी.एफ.टी.सी. आदि के पाठ्यक्रमों का स्तर बढ़ा दिया गया है और उस क्लाथिंग एंड फुटवियर इंस्टीटयूट (सी.एफ.आई.) लंदन तथा ए.एफ.पी.आई.सी., फ्रांस के समकक्ष बना दिया गया है। स्विटजरलैंड के बैलिस और यू.के. के साटरा के साथ समझौते करके क्रमशः समानता तथा पारस्परिक मान्यताओं के लिए एफ.डी.डी.आई. और सी.एल.आर.आई. में परीक्षण सुविधाओं का भी स्तर बढ़ाया गया। एफ.डी.डी.आई. और सी.एल.आर.आई. में सी.ए डी/सी ए एम सुविधाओं के साथ डिजाइन केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। इन सब कार्यवाहियों से उद्योग को कुल मिलाकर लाभ होगा। महाराष्ट्र सहित कोई भी राज्य साफ्टवेयर बैंकिग के लिए एफ.डी.आई. के सहयोग से अपने निजी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता से लाभ उठा सकता है।

(घ) सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय फर्मों/कंपनियों से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्राप्त 23 प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। जिनमें 4186.78 लाख रुपये की राशि अंतर्गस्त है।

आक्टेन उत्पादन एकक

1011. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार में फ्रांस के सहयोग से प्रस्तावित आक्टेन उत्पादन एकक की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकार ने मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के एर्नाकुलम, केरल में आक्टेन उतपादन के लिए मैसर्स इन्स्टीट्यूट फ्रांसेज डू पेट्रोल, फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव का 3 अगस्त, 1993 को अनुमोदन कर दिया है।

नाइट्रोजन और फास्टेट युक्त उर्वरक

1012. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नाइट्रोजन और फास्फेट युक्त उर्वरकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना निवेश किए जाने का विचार है;

(घ) क्या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर राज सहायता जारी रहेगी ;

(ङ) यदि हां, तो दी जाने वाली राज सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन उर्वरकों के प्रयोग का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना के भाग के रुप में इस समय निजी क्षेत्र में तीन नए बृहत गैस पर आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र बबराला (उ.प्र.), शाहजहांपुर (उ.प्र.) तथा गडेपन (राजस्थान) में कार्यान्वियनाधीन है। इसके अतिरिक्त, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के अधीन विजयपुर (म.प्र.) तथा इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफकों) के अधीन आंवला (उ.प्र.) में स्थित गैस पर आधारित संयंत्रों की वर्तमान क्षमता को दुगुना करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन, आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त गैस पर आधारित एक मध्यम आकार का गैस पर आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. ने पुनरुद्धार परियोजना आरंभ की है जो वर्तमान क्षमता में वृद्धि करेगी। उपर्युक्त परियोजनाओं में 6634 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश अन्तर्ग्रस्त होगा।

(घ) और (ङ). इस समय केवल स्ट्रेट नाइट्रोजन उर्वरकों, अर्थात् यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कलोराइड तथा कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट ही उर्वरक राजसहायता योजना के अन्तर्गत आते हैं। योजना के अन्तर्गत, सरकार द्वारा यथा मूल्यांकित उत्पादन लागत की तुलना में बिक्री के माध्यम से निम्न प्राप्ति के लिए उत्पादकों की क्षतिपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार, नियंत्रित उर्वरकों के मामले में किसानों को बिक्री किए जाने वाले मूल्य तथा आयात की लागतके बीच के अन्तर को सरकार वहन करती है। इसके अतिरिक्त, कारखाने/पत्तन से खपत केन्द्रों तक स्वदेशी तथा आयातित नियंत्रित उर्वरकों दोनों की परिवहन लागत को पूरा करने के लिए समीकृत भाड़े का भुगतान किया जाता है।

(च) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक एक मुख्य निवेश है।

जम्मू और कश्मीर में भारतीय सैनिक टुकड़ियों पर गोलाबारी

1013. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक सेना ने अक्तूबर, 1993 के दौरान जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में कई भारतीय सैन्य टुकड़ियों पर अकारण गोलाबारी की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1993 के दौरान भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी की कुल कितनी घटनाएं हुईं;

(घ) इन घटनाओं में जनधन की कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) इस संबंध में की गई उपचारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जम्मू और कश्मीर में राजौरी और पुंछ क्षेत्रों सहित, नियंत्रण रेखा पर भारत व पाकिस्तान के सैन्यदलों/सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी की घटनाएं प्रायः निरन्तर होती रहती हैं। राजस्थान में सीमा पर भी गोलाबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(घ) इन घटनाओं में कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए हैं। इसका विवरण प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा। ऐसी सूचना मिली है कि इन मुठभेड़ों में पाकिस्तानी सैनिक अधिक संख्या में मारे गए हैं।

(ङ) हमारी सेना नियंत्रण रेखा/भारत-पाक सीमा पर लगातार कड़ी चौकसी रखती है।

प्ट्रो-रसायन उद्योग के लिए एक मुश्त समझौता

1014. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पेट्रो-रसायन उद्योग हेतु संयुक्त एक मुश्त समझौते को अंतिम रुप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस एक मुश्त समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) इस समझौते के संबंध में वित्तीय उलझनें क्या हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। तथापि, घरेलू पेट्रो-रसायन उद्योग को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए समय-समय पर नीति संबंधी निर्णय लिये गये हैं।

राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद्

1015. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **प्रधान** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे अन्तिम रुप कब तक दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अनाज मंडियां

1016. श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री दिलीपभाई संघाणी :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में सुरक्षित अनाज मंडियों की कमी है जिसके कारण प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज क्षतिग्रस हो जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान उक्त राज्यों में नई अनाज मंडियां स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये मंडियां कब तक स्थापित कर दी जायेंगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में पर्याप्त संख्या में खाद्यान्न मंडिया हैं। कृषि विपणन का विषय है और राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मंडियों का विकास करती हैं।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार मंडियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरिक कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत उल्लिखित राज्यों में नई मंडियों की स्थापना की जा सके। अलग-अलग राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई मंडियों की स्थापना करने की सलाह दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हस्क कंट्रोल आर्डर

1017. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नारियल जटा उद्योग में हस्क कंट्रोल आर्डर वापस लेने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इसके परिणामस्वरुप नारियल छिलके का मूल्य नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). तीन बिन्दु लेवी योजना को पिछले वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए 31 अक्तूबर, 1993 तक बढ़ाया गया था। क्योंकि केरल सरकार ने इसकी अवधि और आगे बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया है अत: इस योजना की अवधि और आगे नहीं बढ़ाई गई है। इस संबंध में केरल सरकार के विचार मांगे गये हैं। किन्तु कॅयर बोर्ड ने सूचित किया है कि केरल राज्य सरकार ने इसके द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर लेवी योजना और हस्क कंट्रोल को समाप्त करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने कॅयर सहकारी समितियों को अधिकतम 150 रु. तक प्रति 1000 हस्क हेतु राजसहायता देने का निर्णय किया है ताकि लेवी योजना समाप्त होने के कारण इन्हें हस्क की अधिक लागत की क्षतिपूर्ति की जा सके।

टायरों के मूल्य संबंधी अध्ययन

1018. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों का टायर के मूल्य निर्धारण, लागत निर्धारण और इसके शुल्क ढ़ांचे के बारे में अध्ययन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पी.एस.एल.वी.

1019. श्री जी. देवराय नायक :

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का राकेट पी.एस.एल.वी. हाल ही में अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इसकी असफलता के कारणों की कोई जांच कराने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगला पी.एस.एल.वी. कब तक छोड़ा जायेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) की लगभग सभी प्रणालियों ने द्वितीय चरण के अन्त तक सन्तोषप्रद रुप में कार्य किया, तृतीय चरण से द्वितीय चरण के पृथक्करण के दौरान हुई गड़बड़ी के साथ-साथ इसके ऑन बोर्ड कम्प्यूटर में बृहत् अक्षनति त्रुटि अवस्थाओं के अन्तर्गत साफ्टवेयर त्रुटि के परिणास्वरुप राकेट ने अपना नियंत्रण खो दिया और इसका प्रपथ परिवर्तित हो गया। इन सबके होने के बावजूद तृतीय चरण ने सामान्य रुप में कार्य किया। चतुर्थ चरण भी योजनानुसार प्रज्वलित हुआ और राकेट के गिरने के समय तक इसमें आशानुसार पूर्ण थ्रस्ट बना।

(ग) और (घ). प्रथम कुछ विकासात्मक उड़ानों का उद्देश्य राकेट की जांच करना होता है तथा प्रथम विकासात्मक उड़ान का असफल होना कोई अप्रतयाशित बात नहीं है। अन्तिम कक्षा में पहुंचने में असफल रहने

के बावजूद इस जटिल राकेट की प्रमुख प्रणालियों और उपप्रणालियों के प्रमाणन में अर्जित सफलता उल्लेखनीय है। इसकी न केवल असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए अपितु सभी प्रणालियों, इसमें वो प्रणालियां भी शामिल हैं, जिनका कार्य निष्पादन अच्छा रहा था, की गहन जांच के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की असफलता विश्लेषण समिति (एफ.ए.सी.) का गठन कर दिया गया है, ताकि अगली विकासात्मक उड़ान में किसी प्रकार के सीमान्त विचलन को दूर किया जा सके। एफ.ए.सी. से अपनी अन्तिम सिफारिशें 15 दिसम्बर, 1993 तक देने की आशा है।

(ङ) पी.एस.एल.वी. की द्वितीय विकासात्मक उड़ान के जून, 1994 में किए जाने की योजना है।

जेट प्रशिक्षण विमान

1020. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बलराज पासी :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी से लैस जेट प्रशिक्षण विमानों की अति आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रयोजनार्थ कुछ नये प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). भारतीय वायुसेना ने हाल ही में इस बात की फिर से पुष्टि की है कि वे अपनी एक उच्च प्राथमिकता योजना के रुप में एक उन्नत किस्म का जेट प्रशिक्षक वायुयान शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद, वायुसेना स्टाफ की निर्धारित आवश्यकताओं के मानदंडों की अधिकतम संख्या के अनुरुप बातचीत करने के बाद उनके संभावित रुप से लिए जाने के केवल दो वायुयानों को चुना गया है।

[अनुवाद]

स्व-रोजगार

1021. डा. कृपासिन्धु भाई :

श्री शांताराम पोतदुखे :

श्री अरविन्द तुलशीराम कांबले :

श्री वी. धनंजय कुमार :

श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की नई योजना के क्रियान्वयन की विधि निश्चित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालया (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की मार्फत लाभार्थियों को पूंजी सहायता दी जाती है और किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए अलग-अलग कोई आबंटन नहीं है। योजना में प्रति उद्यमी 7500 रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर परियोजना लागत की 15 प्रतिशत की दर से पूंजी सहायता का प्रावधान है। वर्ष 1993-94 के लिए 40,000 लाभार्थियों के लिए 30 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता उपलब्ध कराई गयी है।

विवरण

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना हेतु संक्षिप्त मार्ग दर्शिकाएं

देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की रोजगार योजना 2 अक्तूबर 1993 से कार्यान्वित की जा रही है।

प्रधनमंत्री रोजगार योजना 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग, नौकरियों और व्यवसाय आदि की मार्फत 7 लाख छोटे उद्यम स्थापित करके 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। योजना में विशेष रूप से उद्यमों के चयन उद्यमियों के प्रशिक्षण और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेने की भी व्यवस्था है। योजना का आशय 1993-94 के दौरान केवल शहरी क्षेत्रों और उसके बाद 1994-95 से पूरे देश को कवर करने का है जब शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विद्यमान स्वरोजगार योजना का भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना में विलय कर दिया जाएगा।

देश के किसी भी भाग में रह रहा कोई भी बेरोंजगार शिक्षित व्यक्ति, ग्रामण अथवा शहरी, जिसकी आयु 18-35 वर्ष के बीच है, वह मैट्रिक (पास अथवा फेल) अथवा आई.टी.आई. पास है अथवा उसने कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए कोई तकनीकी पाठयक्रम पूरा किया है, उस क्षेत्र का कम से कम 3 वर्ष से स्थाई निवासी है, जिसके परिवार की वार्षिक आय 24,000 रुपये से अधिक नहीं है और वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का भुगतान न कर पाने का दोषी नहीं रहा है, वह व्यक्ति योजना के अंतर्गत सहायता का पात्र होगा। योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है। आबंटित लक्ष्य में से अधिकतम 30 प्रतिशत वाणिज्य क्षेत्र में होने चाहिए।

योजना के अंतर्गत एकल व्यक्तियों के मामले में एक लाख रुपये तक की परियोजनाएं आती हैं। यदि दो अथवा अधिक पात्र व्यक्ति किसी सांझेदारी में शामिल होते हों तो अधिक लागत वाली परियोजना भी शामिल होगी वशर्ते कि परियोजना लागत में प्रत्येक व्यक्ति का अंश 1 लाख रुपये अथवा कम हो। उद्यमी को मार्जिन मनी के रुप में परियोजना लागत के 5 प्रतिशत के बराबर नगद राशि जुटानी होती है। ऋण के लिए किसी समानान्तर गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्तिगत गारंटी के अलावा योजना के अंतर्गत सृजित परिसमपंत्तियों को बैंकों के पास बंधक/रहन/गिरवी रखना होगा। भारत सरकार प्रति उद्यमी 7500 रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर परियोजना लागत के 15 प्रतिशत के हिसाब से सहायता प्रदान करेगी। योजना में ऋण की स्वीकृति के बाद उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

नकली वस्तुओं के लिए कृतिक बल

1022. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार नकली वस्तुओं की समस्या से निपटने हेतु संयुक्त कृतिक बल का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). नकली वस्तुओं की समस्या से निपटने हेतु संयुक्त कृतिक बल का गठन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गुरुजल

1023. श्री राम कापसे :

श्री के. प्रधानी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गुरुजल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुरुजल के निर्यात का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). देश में उत्पादित किया जाने वाला भारी पानी इस समय काम कर रहे और निर्माणाधीन नए दाबित भारी पानी रिएक्टरों की भारी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आवश्यकता से कुछ अधिक उत्पादन होने की भी

आशा है।

(ग) और (घ) भारी पानी की सप्लाई के संबंध में कुछ देशों को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को पारस्परिक आधार पर सरकारी क्वार्टरों का आबंटन

1024. डा. कीर्तिकेश्वर पात्र : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को पारस्परिक आधार पर सरकारी क्वार्टर आबंटित करती है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार के कितने कर्मचारियों को पारस्परिक आधार पर क्वार्टर आबंटित किये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। भारत सरकार, नई दिल्ली में नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस प्रयोजनार्थ निर्धारित कुछ मानदण्डों के अन्तर्गत क्वार्टर आबंटित करती है।

(ग). उड़ीसा राज्य सरकार के कर्मचारियों को रेजिडेन्ट कमिश्नर के नई दिल्ली स्थिति कार्यालय में 10 रिहायशी क्वार्टर आबंटित किये गये हैं। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उस राज्य में आबंटित किये गये रिहायशी क्वार्टरों की सूचना सम्पदा निदेशालय के पास नहीं होती।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1025. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में स्थित सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम संकट में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों को बन्द करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख). वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य में पंजीकृत कार्यालय वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 19 उद्यम औद्योगिक रुप से रुग्ण निर्धारित किये गये हैं जिनमें से सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों को उनके लिए पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी पैकेज तैयार करने के लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के साथ पंजीकृत किया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के साथ पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के इन 15 उद्यमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित दो उद्यमों को बन्द करने की सिफारिश की है :

(1) भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड

(2) वेब्रर्ड इण्डिया लिमिटेड

विवरण

पश्चिम बंगाल में उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची जिन्हें आद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के साथ पंजीकृत किया गया है।

1. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
2. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
3. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.
4. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
5. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
6. वेबर्ड इंडिया लि.
7. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि.
8. बीको लॉरी लि.
9. भारतीय साइकिल निगम लि.
10. भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि.
11. भारतीय टायर निगम लि.
12. नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि.
13. नेटेका (पश्चिम बंगाल) लि.
14. बंगाल इम्युनिटी लि.
15. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपो. लि.

पवन ऊर्जा का उत्पादन

1026. श्री के. प्रधानी :

श्री विलास मुतेमवार :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 ओर 1994-95 के दौरान पवन ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों में कुल कितने मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या योजनाएं बनायी हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ख). पवन फार्म प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1993-94 हेतु 10 मेवा, और वर्ष

1994-95 हेतु 20 मेवा. के लक्ष्य रखे गए हैं। निजी क्षेत्र परियोजनाओं की माध्यम से क्षमता संवर्द्धन की भी आशा है। अब तक कुल 69 मेवा. की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(ग) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पवन विद्युत उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है :

(1) केन्द्र सरकार की आंशिक सहायता के द्वारा प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाएं।

(2) उदार शर्तों पर ऋण के माध्यम से निजी क्षेत्र की परियोजनाएं।

(3) निजी निवेश के माध्यम से प्रोत्साहन द्वारा परियोजनाएं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा औद्योगिक विकास कार्यक्रम

1027. श्री शान्ताराम पोतदुखे : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सक्रियता से महाराष्ट्र में कोई औद्योगिक विकास कार्यक्रम शुरु करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ग). प्रश्न नहीं उठता।

नौसेना का आधुनिकीकरण

1028. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान संसाधनों की कमी के कारण नौसेना के आधुनिकीकरण, संवर्धन तथा विकास संबंधी अनेक योजनाओं को छोड़ दिया गया है या उनके कार्यान्वयन की गति को धीमा कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उन मुख्य योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इससे प्रभावित हुई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख). जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए बनाई गई परिप्रेक्ष्य योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ भू-युद्धनीतिक पर्यावरण, खतरे की संभावना, देश के समुद्री लाभ, वे संभावित कार्य जिन्हें नौसेना करती है और बजट संसाधना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण और उसके बल स्तर पर विचार किया जाता है।

दिल्ली प्रशासन को आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से सहायता

1029. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको पिछले दशक से दिल्ली प्रशासन को विभिन्न योजनाओं हेतु प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये देता

रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (ग). हुडको, आवास तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए दिल्ली की आवास एजेन्सियों को वार्षिक ऋण आबंटित करता रहा है। गत 10 वर्षों में आबंटन और हुडको द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है : -

वर्ष	आबंटन (रुपये करोड़ों में)	स्वीकृत धनराशि
1983-84	4.64	1.85
1984-85	4.95	0.91
1985-86	6.93	2.08
1986-87	6.83	2.37
1987-88	7.01	0.93
1988-89	7.86	5.44
1989-90	10.08	0.21
1990-91	11.08	0.10
1991-92	11.90	-
1992-93	13.05	- -

चालू वर्ष के दौरान हुडको ने बकरवाला ग्राम घारका में जल संयंत्र स्थापित करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को 215.73 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 12.10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण सम्बन्धित एजेन्सियों से प्राप्त विशेष अनुरोधों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण

1030. प्रो. रासा सिंह :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेश में निर्मित एक आधुनिक राकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण सितंबर 1993 में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस राकेट की कुल लागत कितनी थी, इसका प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया और इसे तैयार करने में कितना समय लगा;

(ग) इस राकेट की विशेषतायें क्या हैं और इसे भूकक्षीय उपग्रह प्रक्षेपण यान में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा ;

(घ) क्या इसकी असफलता से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कोई धक्का पहुंचा है;

(ङ) इस संबंध में विदेशी विशेषज्ञ तथा तकनीक की सहायता लेने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(च) क्या इसके लिए प्रयुक्त इंजन को फ्रांस की एक फर्म ने विकसित किया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एल.एल.वी.) राकेट की लागत लगभग 45 करोड़ रुपये है। पी.एस.एल.वी.डी. को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। पी.एस.एल.वी. परियोजना को जून, 1982 में मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ग) पी.एस.एल.वी. एक चार चरणों वाला राकेट है, जिसकी लम्बाई 44 मीटर और व्यास 2.8 मीटर है तथा इसका उड़ान भार लगभग 283 टन है। इसके प्रथम चरण में 129 टन ठोस प्रणोदक भरा जाता है और यह विश्व की तृतीय सबसे बड़ी ठोस मोटर है। द्वितीय चरण में 37.5 टन द्रव प्रणोदक होता है और यह एरियन राकेट के वाइकिंग इंजिन से अपनाए गए विकास इंजिन का उपयोग करता है। उच्च कार्य-निष्पादन वाले तृतीय चरण में 7 टन ठोस प्रणोदक रखा जाता है, जबकि इसके चतुर्थ द्रव चरण में 2 टन द्रव प्रणोदक होता है। पी.एस.एल.वी. को 900 कि.मी. की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकाली कक्षा में एक टन भार की श्रेणी के आई.आर.एस. उपग्रहों को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का संरुपण पी.एस.एल.वी. के माड्यूलों और अवसंरचना के उपयोग से किया गया है। विशेष रुप में जी.एस.एल.वी. के प्रथम दो चरण पी.एस.एल.वी. के समान हैं। पी.एस.एस.एल.वी.डी.। की हाल ही में आयोजित उड़ान में सभी अलग-अलग चरणों, जी.एस.एल.वी. का भाग बनने वाले प्रथम दो चरणों सहित, का कार्य-निष्पादन संतोषप्रद रहा, जिससे जी.एस.एल.वी. के विकास में अतिरिक्त विकास बढ़ा है।

(घ) इसकी असफलता से देश के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में कोई बड़ा धक्का नहीं लगा है। प्रथम कुछ विकासात्मक उड़ानों का असफल होना कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। अन्तिम कक्षा में पहुंचने में असफल रहने के बावजूद, इस जटिल राकेट की सभी प्रमुख प्रणालियों और उप-प्रणालियों को प्रमाणित करने में इस विशेष मिशन में अर्जित सफलता उल्लेखनीय है।

(ङ) जी.एस.एल.वी. की प्राप्ति के कार्य को मुख्य रुप में तीव्र करने के लिए जी.एस.एल.वी. हेतु क्रायोजेनिक चरण के विकास, आपूर्ति और प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए तत्कालीन सोवियत संघ की ग्लेवकॉसमॉस एजेंसी के साथ एक करार किया गया था।

(च) और (छ). पी.एस.एल.वी. राकेट अपने प्रथम और तृतीय चरणों के लिए ठोस बूस्टरों का तथा अपने द्वितीय और चतुर्थ चरणों के लिए द्रव इंजिनों का उपयोग करता है। प्रथम चरण, जोकि 9 टन के छः स्ट्रपऑनों सहित एक बृहत 129 टन का ठोस बूस्टर है और तृतीय चरण 7 टन का ठोस बूस्टर है,का पूर्ण रुप से स्वदेश में ही विकास किया गया है। जबकि चतुर्थ चरण पूरी तरह स्वदेशी है, इसके द्वितीय चरण में फ्रांस के एरियन वाइकिंग इंजिन से अपनाए इंजिन का उपयोग किया गया है। यह टेक्नॉलाजी 1974-79 के दौरान इसरो इंजीनियरों के वाइकिंग इंजिन के विकास में भाग लेने के बदले में वस्तु-विनिमय सौदे के माध्यम से अर्जित की गई है। फिर भी, यह चरण और इसकी जटिल उप-प्रणालियां, जोकि उपर्युक्त ठेके का भाग नहीं थी, का इसरो द्वारा स्वदेशी रुप में विकास किया गया था और पी.एस.एल.वी. डी-1 में इनकी सफल उड़ान जांच की गई थी।

[अनुवाद]

गुजरात में नलकूपों का लगाया जाना

1031. श्री शंकर सिंह बाघेला : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में सार्वजनिक नलकूप लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्थान-वार कितने नलकूप लगाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान कितने नलकूप लगाए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य योजना कार्यक्रम के अंतर्गत 5 टयूबवैल लगाए गए थे।

(घ) 1993-94 के दौरान कोई टयूबवैल लगाए जाने की संभावना नहीं है।

सरकारी बंगलों को स्मारकों में बदला जाना

1032. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भवनचन्द्र खण्डूरी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कई सरकारी बंगलों को उन राजनेताओं के नाम पर जो अपने जीवन काल में उच्च पदों पर आसीन थे, स्मारकों, संग्रहालयों, ग्रंथालयों आदि में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बंगलों/परिसरों का स्थान, आकार और कुल क्षेत्रफल आदि क्या है तथा उन्हें किन व्यक्तियों के नाम पर समर्पित किया गया है;

(ग) क्या इसी तरह की सुविधा अन्य दिवेनगत नेताओं के लिए भी मांगी गई है ;

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की इस संबंध में कोई नीति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(छ) क्या इन्हीं आधारों पर कुछ बंगलों पर अनधिकार कब्जा किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार, तीन बंगलों को स्मारकों के रुप में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ग) और (घ). जी, हां। इसी तरह की सुविधा की मांग निम्नलिखित ने की है :

1. सरदार पटेल स्मारक (समिति)
2. पंडित पंत संग्राहलय
3. डा. बी. आर. अम्बेडकर स्मारक पुस्तकालय
4. जगजीवन राम स्मारक
5. लाल बहादुर शास्त्री स्मारक

(ङ) तथा (च). बंगला टाईप वास की विकट कमी को देखते हुए सरकार, मकानों को स्मारकों आदि के रुप में बदलने से सहमत नहीं है। तथापि, जिन मामलों में परिवर्तन मान लिया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि भवन का स्वामित्व अंतरित नहीं किया जाएगा तथा उसका मालिक केन्द्र सरकार होगा और अनुरक्षण इत्यादि समिति न्यास के नाम से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निक्षेप कार्य के रुप में किया जाएगा।

(छ) तथा (ज). इन आधारों पर दो बंगले जैसे :

I. 6. कृष्णन मेनन मार्ग और

II. 1, मोती लाल नेहरू प्लेस अनाधिकृत कब्जे में है।

विवरण

अपने जीवनकाल में उच्च पदों पर आसीन राजनेताओं के नाम पर नई दिल्ली में स्मारकों, संग्राहलयों, पुस्तकालयों आदि परिवर्तित सरकारी बंगले।

क्र.सं.	बंगला	क्षेत्रफल	
1.	तीन मूर्ति भवन जवाहर लाल नेहरू के नाम समर्पितत	कुसी क्षेत्रफल [मुख्य भवन 6578 वर्ग मीटर]	
2.	1, सफदरजंग रोड़ और 1, अकबर रोड़	श्रीमती इन्दिरागांधी के नाम समर्पितत	बंगलों की कुर्सी क्षेत्रफल क्रमशः 689.87 वर्ग मीटर और 702.88 वर्ग मीटर

[हिन्दी]

चुंगी प्रणाली समाप्त करना

1033. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में चुंगी प्रणाली समाप्त नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किन-किन राज्यों में समाप्त की गयी है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) शेष राज्यों में इस प्रणाली को कब तक समाप्त किये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). देश के कुछ राज्यों में चुंगीकर की वसूली अभी भी जारी है। जो 16 राज्य और 5 संघ राज्य अब चुंगीकर वसूल नहीं करते, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है। इन राज्यों में चुंगी की समाप्ति से, स्थानीय शहरी निकायों को वार्षिक अनुदान द्वारा अथवा कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर में वृद्धि द्वारा क्षतिपूर्ति की जा रही है।

(ग) किसी सीमित क्षेत्र में खपत उपयोग या बिक्री हेतु लाये जाने वाले समान दर पर कर लगाने का प्रावधान भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 52 पर है। इसके आलोक में चुंगीकर की समाप्ति के मसले पर विचार करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

विवरण

उन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सूची जहां चुंगीकर नहीं लगाया जाता :

	राज्य
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	कर्नाटक
5.	केरल
6.	मध्य प्रदेश
7.	नागालैंड
8.	सिक्किम
9.	तमिलनाडु
10.	त्रिपुरा
11.	हिमाचल प्रदेश

12. मणिपुर

13. मेघालय

14. उत्तर प्रदेश

15. अरुणाचल प्रदेश

16. मिजोरम

संघ राज्य :

17. चण्डीगढ़

18. दादरा एवं नगर हवेली

19. पांडिचेरी

20. दिल्ली

21. दमन एवं दीव

[अनुवाद]

नौसेना हेतु बजट-प्रावधान

1034. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के लिए नौसेना हेतु सकल रक्षा बजट का कितना प्रतिशत नियत किया गया है;

(ख) 1993-94 के लिए कुल बजट की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या नौसेना द्वारा निधि बढ़ाने की कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या नौसेना का विचार अन्य साधनों से धन उगाहने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). कुल रक्षा बजट में से नौसेना बजट का प्रतिशत इस प्रकार है :

1990-91 - 12.56 प्रतिशत

1991-92 - 13.01 प्रतिशत

1992-93 - 11.52 प्रतिशत

1993-94 - 11.44 प्रतिशत

(ग) और (घ). जी, हां। भारतीय नौसेना के लिए बजट आबंटन भू-राजनीतिक परिदृश्य और मौजूदा/भावी

संभावित खतरों सहित सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पोतों का अनधिकृत प्रवेश

1035. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटरक्षकों ने 1993 के दौरान विदेशी नौकाओं/पोतों द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने के कितने मामलों का पता लगाया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तटरक्षकों ने स्वायक पदार्थों सहित तस्करी का कितना सामान जब्त किया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान तटरक्षक अधिकारियों को इनाम के रुप में दी गयी कुल धनराशि तथा अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). भारतीय समुद्री क्षेत्र तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है और इसमें कोई विदेशी नौका/पोत अनधिकृत रुप से प्रवेश करते हुए नहीं पाया गया। तथापि, हमारी समुद्री तट रेखा से 200 समुद्री मील तक फैले हुए भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कतिपय विदेशी पोतों को मछली पकड़ते हुए पाया गया। तटरक्षक संगठन ने 1993 के दौरान मछली पकड़ने वाले 54 विदेशी पोत पकड़े। नशीले पदार्थों सहित तस्करी का कोई भी सामान नहीं पकड़ा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परती भूमि विकास बल

1036. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परती भूमि के विकास के लिए परती भूमि विकास बोर्ड बल गठित करने की योजना को अंतिम रुप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बल में कितने लोग होंगे तथा इन्हें किन-किन स्थानों पर तैनात किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख). मुरैना और भिंड जिलों सहित मध्य प्रदेश में कठिन एवं बीहड़ क्षेत्रों में वनेत्तर बंजर भूमि के विकास हेतु बंजर भूमि विकास विभाग का बंजर भूमि विकास कार्यदल बनाने का प्रस्ताव हैं। दल की संख्या बंजर भूमि की उपलब्धता और वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करेगी। तथापि, प्रस्तावित दल में कर्मचारियों की संख्या 317 होने की सम्भावना है।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए ऋण

1037. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास के लिए कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण से शुरु की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न उठते ही नहीं।

कम्पनी जमा नियम

1038. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अल्प जमा राशियों की सांविधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कम्पनी जमा नियमों में कुछ परिवर्तन तथा संशोधन करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिकिया है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). विधि आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(i) अल्प जमाकर्ताओं को परिभाषित करना जिनकी जमाराशि 11,000 रुपये तक है;

(ii) परिपक्व जमाओं की वापसी में चूक को कम्पनी द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड को सूचित किया जाए;

(iii) जिन कम्पनियों ने जमाओं और उन पर देय ब्याज की वापसी में चूक की है; उनके द्वारा और जमाओं के एकत्र करने पर प्रतिषेध करना ;

(iv) चूक करने वाली कम्पनियां भविष्य में जनता से जमाओं को आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में चूक के तथ्य को भी सूचित करें; और

(v) ऋणों के जरिए प्राप्त निधियों का उपयोग अल्प जमाकर्ताओं को वापस करने के लिए कम्पनियों को अनुमति दी जाए।

14.5.1993 को राज्य सभा में पुरःस्थापित कम्पनी विधेयक, 1993 में पहले से ही यह व्यवस्था है कि जो कम्पनी किसी जमा या उस पर देय ब्याज को वापस करने में असफल रही है, को और जमाओं को एकत्र करने और अन्तर्निगम ऋणों/निवेशों को करने से तब तक प्रतिषिद्ध किया जाएगा जब तक कि चूक को ठीक नहीं कर लिया जाता है। विज्ञापनों के जरिए अतिरिक्त जमाओं को एकत्र करने का इरादा रखने वाली कम्पनियों के मामले में अनिवार्य साख निर्धारण को भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

1992-93 और 1993-94 के लिए योजना निवेश

1039. श्री सोमजीभाई हामोर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के लिए कई राज्य लक्षित योजना निवेश को प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी असफल राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) 1992-93 और 1993-94 में योजना निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात की क्या स्थिति है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ग). सभी राज्यों की वार्षिक योजना 1992-93 के लिए मूल रुप से अनुमोदित परिव्ययों तथा संशोधित परिव्ययों की ब्यौरेवार विवरण संलग्न है। विवरण में प्रत्येक राज्य के लिए अधिकता/कमियां भी दर्शाई गई हैं। अभी अधिकांश राज्यों की वार्षिक योजना 1993-94 में संभावित कमियों, यदि कोई है, को विशुद्ध रुप से आकलित नहीं किया जा सकता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	वार्षिक योजना 1992-93		
		मूलतः अनुमो. परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अंतर अधिकतर (+)/ कमी (-)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1660.00	1675.00	15.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.00	235.35	-9.65
3.	असम	960.00	700.00	-260.00
4.	बिहार	2202.73	1100.00	-1102.73
5.	गोआ	152.50	153.42	0.92
6.	गुजरात	1875.00	1875.00	0.00
7.	हरियाणा	830.00	804.57	-25.43
8.	हिमाचल प्रदेश	486.00	490.50	4.50
9.	जम्मू व कश्मीर	820.00	623.00	-197.00
10.	कर्नाटक	1915.00	1915.00	0.00
11.	केरल	913.00	750.00	-163.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	1792.00	-608.00

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	3160.00	3208.80	48.80
14.	मणिपुर	210.00	171.30	-38.70
15.	मेघालय	241.00	241.00	0.00
16.	मिजोरम	160.00	165.18	5.18
17.	नागालैण्ड	185.00	110.19	-74.81
18.	उड़ीसा	1405.00	1055.00	-350.00
19.	पंजाब	1150.00 *	856.50	-293.50
20.	राजस्थान	1400.00	1410.00	10.00
21.	सिक्किम	110.00	110.00	0.00
22.	तमिलनाडु	1751.00	1766.75	15.75
23.	त्रिपुरा	282.00	240.00	-42.00
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	3149.99	-703.01
25.	पं. बंगाल	1501.00	703.50	-797.50
	जोड़ (राज्य)	29867.23	25302.05	-4565.18

* 350 करोड़ रुपये की कमी वाले योजना आकार

"कैप्रोलेक्टम" का उत्पादन/निर्यात

1040. श्री पी.सी. थामस : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैप्रोलैक्टम का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों का ब्यौरा क्या है, ये निर्यात किस देश को किये गये और उनसे कितनी धनराशि अर्जित की गयी;

(ग) देश में इसका उत्पादन कहां-कहां पर होता है और कितनी मात्रा में,

(घ) ट्रावनकोर स्थित "फैक्ट" में "कैप्रोलेक्टम" का वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(ङ) उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख). कैप्रोलेक्टम का निर्यात ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन और श्री लंका आदि देशों को किया जाता है; ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	निर्यात की मात्रा (टन)	निर्यात मूल्य (रु./लाख)
1991-92	शून्य	शून्य
1992-93	1641	539.47
1993-94	5826	1930.28
(नवम्बर 1993 तक)		

(ग) देश में कैप्रोलेक्टम का उत्पादन करने वाली केवल दो कम्पनियां हैं अर्थात् गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कोओपरेटिव लि. (जी.एस एफ सी), बड़ौदा और फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकोर लि. (फैक्ट), कोचीन जिनकी स्थापित क्षमता क्रमशः 70,000 और 50,000 टन प्रति वर्ष है।

(घ) इस समय फैक्ट 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत की स्थापित क्षमता पर संचालन कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, नवम्बर 1993 तक फैक्ट ने 23,578 टन कैप्रोलेक्टम का उत्पादन किया है।

(ङ) बाजार में मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उत्पादन का स्तर काफी ऊँचा है।

इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और

रैपिस्कान सेक्योरिटी प्रोडक्ट्स के साथ संयुक्त उद्यम

1041. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने अमरीका आधारित मैसर्स रैपिस्कान सेक्योरिटी प्रोडक्ट्स इनकारपोरेशन के साथ आधुनिकतम "एक्स-रे बैगेज" प्रणाली सहित अनेक प्रकार की सुरक्षा प्रणालियों का उत्पादन करने तथा उनका विपणन करने हेतु संयुक्त उद्यम लगाने के लिए समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख). जी हां। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने देशीय तथा विदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी वाली एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली और सम्बद्ध सुरक्षा उत्पादों को निर्मित करने और उनका विपणन करने हेतु मैसर्स रैपिस्कान सेक्योरिटी प्रोडक्ट्स, संयुक्त राज्य अमरीका/ब्रिटेन के साथ एक संयुक्त उद्यम वाली कम्पनी स्थापित करने के वास्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भूमि रिकार्ड को अद्यतन बनाना

1042. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्यां सरकार का विचार सभी राज्यों में भूमि रिकार्ड को अद्यतन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कौन-से विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस मामले की गहराई से जांच करने और उपाय सुझाने के लिए श्री पी.एस. अप्पू की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई है;

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख). जी हां। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पहले से ही चल रही है। 1987-88 से योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की केन्द्रीय अंश के रुप में 5557.69 लाख रुपये को राशि रिलीज की गई है।

(ग) भूमि रिकार्ड प्रणाली और भूमि राजस्व प्रशासन के पुनर्जीवीकरण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिये श्री पी.एस.अप्पू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानेसर में औद्योगिक नगरी

1043. श्री आनन्द अहिरवार : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के एक दल ने मानेसर (गुड़गांव) के पास प्रस्तावित औद्योगिक शहर को स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ग). जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ऐजेंसी (जे.आई.सी.ए.) औद्योगिक मॉडल टाउन (आई.टी.एम.) का मास्टर प्लान अध्ययन कर रही है। अन्तिम रिपोर्ट के मसौदे के आधार पर भारत सरकार ने गुड़गांव के निकट प्रस्तावित स्थल का संभाव्यता अध्ययन करने की सिफारिश मान ली है। संभाव्यता अध्ययन के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जायेगा जिसमें लगभग एक वर्ष का समय लगने की संभावना है।

केरल में विकास केन्द्र

[अनुवाद]

1044. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में प्रस्तावित विकास केन्द्रों की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या पाथनामथिट्टा और एल्लापी जिलों में विकास केन्द्रों के लिए भूमि अधिगृहित कर ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक विकास केन्द्र को कब-कब से शुरु करने का विचार किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ग). केन्द्र सरकार द्वारा चुने गए केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी दे देने के पश्चात विकास केन्द्रों पर कार्य शुरु किया जाता है। केरल के विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अभी अनुमोदन नहीं किया गया है। राज्य को आबंटित दो विकास केन्द्रों के लिए प्रत्येक को 50.000 लाख रुपये की अनंतिम केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा ये परियोजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाएंगी।

उड़ीसा में विकास केन्द्र

1045. अनादि चरणदास : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विकास केन्द्र योजना के अधीन उड़ीसा को 4 विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं जिनका पता लगा लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गई है। इन केन्द्रों के नाम ये हैं : गंजम जिले में छत्तरपुर, सम्बलपुर जिले में छिपलिमा, कटक जिले में दुबुरी और कालाहांडी जिले में केसिंगा।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।

पेयजल रहित गांव

1046. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे गांवों की संख्या क्या है जहां पेयजल का कोई साधन नहीं है;

(ख) क्या आठवीं योजना के दौरान इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) 1980 और 185 के सर्वेक्षणों द्वारा पता लगाये गये समस्याग्रस्त गांवों में से 31.10.1993 की स्थिति के अनुसार स्वच्छ पेयजल स्रोत रहित गांवों की संख्या नीचे दी गई है:

क्रमांक	राज्य	कवर किए जाने वाले समस्याग्रस्त गांवों की संख्या
1.	असम	9
2.	गुजरात	10
3.	जम्मू व कश्मीर	221
4.	महाराष्ट्र	22
5.	मेघालय	252
6.	उड़ीसा	16
7.	राजस्थान	47
8.	त्रिपुरा	3
9.	उत्तर प्रदेश	92
	योग	672

(ख) व (ग) आठवीं योजना में, योजना अवधि के अन्त तक समूची ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। 1992-93 तथा 1993-94 के लिए राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। आठवीं योजना के शेष तीन वर्षो के लिए राज्यवार लक्ष्य, अनुमोदित परिव्यय तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं और वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जिसमें त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम भी शामिल है, के लिए आबंटन को बढ़ा कर 5100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कार्यक्रम के शीघ्र

कार्यान्वयन हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भावी नीति तैयार करने के लिए हाल ही में किए ग्रामीण बस्तियों के सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल के गुणातमक और मात्रात्मक पहलुओं पर बल दिया जा रहा है। बैठकें आयोजित करके तकनीकी अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के जरिये कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है।

विवरण

1992-93 तथा 1993-94 के दौरान समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज हेतु भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां (अब तक की स्थिति)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	600	691	1269	930
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	169	150	10
3.	असम	314	156	714*	135
4.	बिहार	4603	5188	6281	1319
5.	गोआ	55	54	55	27
6.	गुजरात	500	456	500	213
7.	हरियाणा	220	334	700	223
8.	हिमाचल प्रदेश	777	573	840*	162
9.	जम्मू व कश्मीर	321	94	214	7
10.	कर्नाटक	4590	5056	5500	2289
11.	केरल	475	252	200	60
12.	मध्य प्रदेश	4750	5666	5600	3033
13.	महाराष्ट्र	818	814	1000	530
14.	मणिपुर	170	86	170*	26
15.	मेघालय	775	688	560	49
16.	मिजोरम	105	154	165	19
17.	नागालैण्ड	100	49	141	0

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	1734	1600	2500	1405
19.	पंजाब	579	650	475	133
20.	राजस्थान	2000	2010	2195	783
21.	सिक्किम	24	18	139	6
22.	तमिलनाडु	2500	2663	3500	787
23.	त्रिपुरा	310	229	420*	83
24.	उत्तर प्रदेश	4262	4964	5084	2642
25.	पं. बंगाल	2682	1715	2008	710
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	10	18	20	6
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	5	0
29.	दिल्ली	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	4	4	2	0
31.	पांडिचेरी	25	20	25	0
32.	दमन व द्वीव	0	4	25	2
	योग	33453	34375	40457	15589

* अनंतिम लक्ष्य

स्वदेशी अखबारी कागज पर राज सहायता की मांग

1047. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में स्वदेशी अखबारी कागज के निर्माताओं द्वारा उसके मूल्य में अनेक बार वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है और बार बार वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय अखबारी कागज निर्माता संघ ने हाल ही में आयातित और घरेलू अखबारी कागज के बीच मूल्य के अन्तर के बराबर राजसहायता देने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो स्वदेशी अखबारी कागज पर किस आधार पर यह राजसहायता मांगी गयी है;

(ङ) क्या इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने राजसहायता के लिए उत्पादकों की मांग का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो राज सहायता के लिये निर्माताओं की मांग का विरोध उक्त सोसाइटी द्वारा किये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) अखबारी कागज के उत्पादकों की मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज मिलों द्वारा मूल्यों में की गई वृद्धि के संबंध में एक विवरण संलग्न है। अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण निर्विष्टियों की लागत में हुई वृद्धि बताया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). तारीख 29.10.1993 की प्रेस रिलीज में इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आई.एन.एस.) ने इस आधार पर कि स्वदेशी अखबारी कागज मिलों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर कोरे नियंत्रण नहीं हैं। इंडियन न्यूजप्रिंट मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसिएशन के इस सुझाव का विरोध किया है कि घरेलू और आयातित अखबारी कागज के बीच के मूल्य अन्तर के बराबर राज्य सहायता दी जाए।

(छ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मिल का नाम	वृद्धि का तारीख	मूल्य वृद्धि
	(प्रति मी. टन रु. में)	
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड	01.05.1990	700
पेपर्स लि. (टी.एन.पी.एल.)	05.11.1990	1000
	17.06.1991	800
	29.05.1992	1000
	20.06.1993	500
मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड		
(एम.पी.एम)	अप्रैल, 1990	800
	अक्तूबर, 1990	800
	19.06.1991	815
	21.05.1992	1040
	24.11.1992	922
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट	01.06.1990	865

लि. (एच.एन.एल.)	29.10.1990	695
	01.04.1991	900
	01.06.1991	795
	20.05.1992	1000
	21.06.1993	1000
नेपा लिमिटेड	01.06.1990	1044
	07.11.1990	656
	15.06.1991	1100
	22.05.1992	1700
	02.12.1992	1000

दिल्ली की मतदाता सूचियां

1048. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.1.92 की स्थिति के अनुसार व्यापक संशोधन से पहले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची में कितने मतदाता थे;

(ख) 1993 की प्रारुप सूची में कुल कितने मतदाता थे;

(ग) 1993 की अंतिम सूची में कुल कितने मतदाता थे;

(घ) प्रारुप सूची के प्रकाशन के बाद कितने मतदाताओं ने दावे दर्ज कराए तथा कितने मतदाताओं के दावे स्वीकार किए गए ;

(ङ) कितने मतदाताओं ने आपत्तियां दर्ज कराईं तथा कितने मतदाताओं की आपत्तियों को स्वीकार किया गया; और

(च) पिछले विधान सभा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी तथा विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्रवार ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) 62,07,749

(ख) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मिग-21, बी.आई. एस. लड़ाकू विमान के आधुनिकीकरण हेतु ठेका

1049. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायली एयर क्राफ्ट इंडस्ट्री ने भारतीय वायु सेना के मिग-21 बी.आई.एस. लड़ाकू विमान के आधुनिकीकरण हेतु लाभप्रद ठेका प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं;

(ख) इस प्रतिष्ठित ठेके को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत विश्व की अन्य विमान निर्माता कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रुस ने भी एक प्रभावशाली पैकेज की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). मिग-21 बी आई एस वायुयानों को उन्नत बनाने क़े लिए रुस, इस्राइल, फ्रांस और ब्रिटिश निर्माताओं/विक्रेताओं से आमंत्रित एवं गैर-आमंत्रित दोनों तरह के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनकी अभी जांच की जा रही है।

सैनिक फार्म क्षेत्रों में मकानों का गिराया जाना

1050. श्री जीवन शर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में बड़ी संख्या में मकान गिराये गये हैं और गिराये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मकान गिराये जा चुके हैं और कितने मकान और गिराय जायेंगे ;

(ग) गिराने के लिए मकानों के चुनाव का क्या मानदंड है और इस संबंध में भेद-भाव करने संबंधी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) क्या उन लोगों की पहचान कर ली गयी है जिन्होंने सैनिक फार्मों में भूमि बेची है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में इस इलाके का सर्वेक्षण किया है और पिछले 20 वर्षों के दौरान इस इलाके में अवैध रुप से बने 1300 से अधिक परिसरों की जानकारी दी है। इनमें से, 151 ढांचों को अभी तक गिराया जा चुका है। शेष ढांचों को अभी गिराया जाना है।

(ग) दिल्ली नगर निगम के सम्बन्धित भवन विभाग ने बताया है कि उसे एक शिकायत मिली है। दिल्ली नगर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सैनिक फार्मों में गिराने की कार्रवाई के लिए सम्पत्ति का निर्णय करते समय अपनाए गए मानदण्ड इस प्रकार है :

(1) चालू निर्माण।

(2) परिवर्धन और परिवर्तन के रुप में चालू निर्माण वाली सम्पत्ति

(3) भवन उप-नियमों के उल्लंघन में बनाई गई चार दिवारियां।

(घ) उपायुक्त, दिल्ली ने बताया है कि उनके विभाग के ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं आया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण व सेवा केन्द्र की स्थापना करना

1051. श्री वी.एस. विजयराजवन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण व सेवा केन्द्र की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है;

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केरत राज्य में एक प्रशिक्षण तथा सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। किन्तु केन्द्रीय सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया था और तदनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

नई औषधि नीति

1052. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न औषधि निर्माता संगठनों से, नई औषध नीति की घोषणा किये जाने में विलम्ब के कारण उन्हें हो रही कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). औषध नीति, 1986 के विभिन्न पहलुओं पर 19 और 21 अगस्त, 1993 को सदन में विचार विमर्श किया गया है। इस संबंध में अन्तिम निर्णय जल्दी ही ले लिए जाने की आशा है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए भाषा नीति

1053. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं को भारतीय भाषाओं में आयोजित करने और अंग्रेजी में प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ग) यह मामला वर्तमान में किस स्थिति में हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग). सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बहु-भाषी नीति लागू करने और अनिवार्य अंग्रेजी प्रश्न-पत्र को जारी रखने या न रखने के संबंध में डा. सतीश चन्द्र की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1054. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना किस प्रयोजनार्थ लागू की गयी थी;

(ख) अब तक कितने कर्मचारियों ने इस योजना को पसन्द किया है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को उनके पूरे देयों का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के भुगतान को कम्पनी के सावधि जमा योजना में जमा करने के लिए कहा गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इच्छित औसत आयु-मिश्र सहित श्रमशक्ति का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से एच. एम.टी. में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना शुरु की गई थी।

(ख). वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में अक्तूबर, 1993 तक, 950 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के विकल्प का चयन किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). कंपनी द्वारा शुरु की गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना शर्तों में से एक यह है कि कर्मचारी प्राप्त क्षतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि को एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के आवधिक निक्षेप में जमा कराएगा।

(छ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा का उपयोग

1055. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का होटलों, अस्पतालों और होस्टलों में पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बनाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). जी, हां। कार्यदल की रिपोर्ट, जिसने सरकारी भवनों में सौर जल तापन प्रणालियों के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की संभाव्यता का अध्ययन किया था, को शहरी विकास मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। इसके आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने सभी होटलों, अस्पतालों और होस्टालों में सौर जल तापन प्रणालियों के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है। पहले कदम के रुप में इसे केवल संस्थागत भवनों में एक अनिवार्य प्रावधान बनाया गया है क्योंकि ऐसे भवनों में समान्यतया नियमित जल सप्लाई प्रतिस्थित की जाती है।

[अनुवाद]

आदर्श गांव

1056. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ आदर्श गांवों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) इस संबंध में आठवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी हां।

(ख) मॉडल गांव का विकास केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का एक घटक है। मॉडल गांवों के विकास के लिये अलग से कोई धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है। राज्यों से ऐसी आशा की गई है कि वे आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित 380.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय और आठवीं योजना के लिये राज्य क्षेत्र

के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 294.93 करोड़ रुपये के परिव्यय में से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के वार्षिक आबंटन में मॉडल गांवों पर होने वाले खर्च को भी शामिल करें।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मॉडल गांवों के विकास के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रारंभ में कम से कम एक गांव का विकास करें।

धर्मार्थ और स्वैच्छिक संस्थाएं

1057. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन धर्मार्थ और स्वैच्छिक संस्थाओं की भागेदारी से संबंधित यदि कोई योजनाएं हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान क्या थे तथा इन पर वास्तविक रुप में कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के क्या तरीके हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जिन स्कीमों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चैरिटेबल संस्थाएं और स्वैच्छिक संगठन भाग ले रहे हैं; उदाहरणार्थ, ये हैं – प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबन्धन प्रणाली (एन आर डी एम. एस)) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम और रोजगार उत्पत्ति (एन ई बी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार और लोकप्रियकरण (एन सी एस टी सी) विज्ञान और समाज कार्यक्रम (एस एम पी) और कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर आधारित जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम।

(ख) उपर्युक्त स्कीमों के कुल बजट के अन्दर, स्वैच्छिक संगठनों को, शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान व विकास संगठनों के साथ-साथ, उनमें सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से, सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट प्रावधान और वास्तव में खर्च की गई रकम इस प्रकार है :

	1990-91	1991-92	1992-93
			(लाख रुपये में)
बजट	1084.00	1015.00	1165.00
वास्तविक	1237.00	996.00	1231.00

(ग) स्कीमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के तरीकों में ग्रुप मानीटरिंग बैठकें, स्थल निरीक्षण, स्टीयरिंग कमेटियां और आवधिक (अर्धवार्षिक और वार्षिक) प्रगति रिपोर्टें अनिवार्य रुप से शामिल हैं।

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत नलके के पानी की सप्लाई

1058. श्री बीरसिंह महतो : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत नलके के पानी की सप्लाई हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) केन्द्र सरकार के पास त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी अनुमोदन के लिए कोई भी योजना लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्यों में एल्यूमिनियम का उपयोग

1059. श्री के. प्रधानी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्युमिनियम को निर्माण कार्यों में वैकल्पिक माल के रुप में उपयोग करने को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). भवन निर्माण में एल्युमिनियम का उपयोग बहुत पहले से किया जा रहा है। यह दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, विभाजक दीवारें, दिल्हाबन्दी, आवरण, नकली छत, इत्यादि बनाने में व्यापक रुप से उपयोग में लाया जाता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 1973 से कतिपय निर्माण क्रिया-कलापों में लकड़ी के उपयोग पर रोक लगाने के परिणामस्वरुप लकड़ी की विभिन्न वैकल्पिक सामग्रियों में एल्युमिनियम भी एक विकल्प के रुप में पाया गया है, हालांकि, यह महंगा और उच्च ऊर्जा खपत वाली सामग्री है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सभी क्षेत्रीय इकाईयों को सुझाव दिया है कि दरवाजों/खिड़की की चोखटों और शटरों, दिल्हाबंदी, नकली छत इत्यादि में एल्युमिनियम का उपयोग किया जा सकता है।

चीनी मिलों से विद्युत उत्पन्न करना

1060. श्री एस.वी. सिदनाल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलों से विद्युत उत्पन्न करने का कोई कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी मिलों से विद्युत उत्पन्न हेतु सरकार ने कि हद तक योजना तैयार कर ली है; और

(ग) ऐसे संयंत्र किन-किन राज्यों में स्थापित किए जायेगें ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख).. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने बायोमास आधारित सह-उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के कार्य में सहायता देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। चीनी मिलों में खोई आधारित सह उत्पादन के संबंध में इस कार्यबल की सिफारिशों पर हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में

विचार-विमर्श किया गया था। इन सिफारिशों की विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु करने की संभावना है।

(ग) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जैसे सभी प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में खोई आधारित सहउत्पादन की महत्वपूर्ण संभाव्यता विद्यमान है।

यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के विरुद्ध आपराधिक मामले

1061. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1984 की भोपाल गैस रिसाव विभीषिका संबंधी आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के पूर्व प्रमुख के विरुद्ध प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरु की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। दोषी व्यक्ति श्री वारेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, यू एस ए और यूनियन कार्बाइड (ईस्टर्न) इंक., हांगकांग को छोड़कर सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा 8.4.1993 को आरोप लगाए जा चुके हैं।

(ख) से (घ). यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री वारेन एन्डरसन के प्रत्यावर्तन के लिए हलफनामों सहित सभी जरूरी दस्तावेज सीबीआई द्वारा पहले ही तैयार कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

रुस के साथ क्रायोजेनिक इंजन सौदा

1062. प्रो. रासासिंह रावत :

श्री बी.एन. रेड्डी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुस से क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी (इंजन सहित) प्राप्त करने के सम्बन्ध में वार्ता फिलहाल कौन से चरण में हैं;

(ख) क्या सरकार ने रुस द्वारा क्रायोजेनिक राकेट इंजन सौदे को भंग किए जाने पर क्षतिपूर्ति दावा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). अनिवार्य बाध्यता धारा की घोषणा के परिणामस्वरुप करार के सम्बन्ध में भावी कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने के लिए रुसी दल भारत आया है।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[अनुवाद]

1063. श्री शंकर सिंह बाघेला : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने उपक्रम हैं जिन्हें घाटे में चलने के कारण बंद कर दिया गया है अथवा निकट भविष्य में बंद किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) इन उपक्रमों की रुग्णता के क्या कारण हैं और इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या श्रमिकों/कामगारों के हितों की रक्षा की जाएगी ; और

(च) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के नए उपक्रम लगाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 31.3.1992 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 2 उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थित थे। इन उद्यमों के निवल लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	(लाख रुपयों में) निवल लाभ/हानि		
		1991-92	1990-91	1989-90
1.	इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स लि.	5502	5725	8124
2.	ने.टे.का. (गुजरात) लि.	-3713	- 2195	- 2788

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम बन्द नहीं किया गया है। बहरहाल, ने.टे. का (गुजरात) लि. को उसके लिए पुनरुद्धार/पुनरस्थापन सम्बन्धी, योजनाएं बनाने हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास पंजीकृत किया गया है। घाटे के मुख्य कारणों में अप्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी, अतिरिक्त श्रमिक रोजगार, असंगिठत विद्युत करघा क्षेत्र से अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा काम में आने वाली मुख्य सामग्री की लागतों में तीव्र वृद्धि होना शामिल है।

(ङ) सम्भावित रुप से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु एक सुरक्षा तंत्री के रुप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया है।

(च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाओं की स्थापना करने और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

करने का निर्णय परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और साधनों की उपलब्धता के साथ साथ देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

घरेलु उद्योगों को बढ़ावा

1064. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (एफ.आई.सी सी.आई.) ने घरेलू उद्योगों को विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष ने, वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य की समीक्षा पर आयोजित गोलमेज बैठक के दौरान अपने भाषण में कहा था कि प्रतियोगिता का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग हेतु आवश्यक सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता है।

(ग) आर्थिक सुधारां के वर्तमान कार्यक्रम के अधीन ऐसे अनेक उपाय पहले ही किये जा चुके हैं जिनसे स्वदेशी उद्योग अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। क्योंकि उद्योगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए सरकार के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं क्योंकि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया मिलजुलकर कार्य करने और अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में घाटा

1065. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उर्वरक संयंत्र घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ). सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के घाटे में चलने और क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण है; और

(ङ) इन संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). वर्ष 1992-93 के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.), फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ.सी.आई.), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ), पाइराइटस फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लि. (पी पी सी एल) तथा पारादीप फास्फेटस लि. (पी पी एल) ने हानि दर्ज की। हानियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	कम्पनी का नाम	हानि(रुपये/करोड़)
1.	एच.एफ.सी.	349.44

2.	एफ.सी.आई.	245.50
3.	आर.सी.एफ.	26.58
4.	पी.पी.सी.एल.	8.29
5.	पी.पी.एल.	80.94

(ग) उपरोक्त कम्पनियों में संयंत्रों की संपूर्ण क्षमता उपयोगिता निम्नानुसार थी :-

क्षमता उपयोग की प्रतिशतता

कम्पनी का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
एच.एफ.सी.	31.8	32.1	33.5
एफ.सी.आई.	28.6	30.7	29.2
आर.सी.एफ. (1) नाइट्रोजन	90.9	84.1	92.3
(2) फास्फेट	92.4	89.8	94.0
पीपीसीएल (एस.एस.पी.संयंत्र)	49.8	64.8	67.6
पीपीएल	45.7	89.1	72.6

(घ) एच.एफ.सी. तथा एफ.सी.आई. में हानियों और निम्न क्षमता उपयोग का कारण डिजाइन कमियां, संयंत्रों का पुरानापन, विद्युत समस्याएं, उपस्कर खराबियां एवं मुद्रा संबंधी समस्याएं आदि हैं। पी पी सी एल और पी पी एल की हानियों का प्रमुख कारण 1992 में फास्फेटिक उर्वरकों का नियंत्रण था। 1992-93 में आर.सी.एफ. की हानियों का मुख्य कारण कुवैती दीनार ऋण के भुगतान से उत्पन्न बढ़ा हुआ दायित्व था।

(ङ) उर्वरक संयंत्रों के वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

- उर्वरक संचालन पर रेलवे भाड़े में कमी करना।
- फास्फेटिक एसिड के आयात पर सीमा शुल्क का हटाया जाना।
- 1.1.1991 के बाद आरम्भ किये गये उर्वरक संयंत्रों के लिए आयातित संयंत्र एवं उपस्करों पर सीमा शुल्क की वापसी।
- आवधिक ऋणों पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की रियायत।
- स्वदेशी फास्फेट एवं पाइराट्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहनों का दिया जाना।

[हिन्दी]

चुनाव में जान-माल की हानि

1066. श्री आनन्द अहिरवार : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पांच राज्यों में हुए चुनावों में प्रत्येक राज्य में जान-माल की, कितनी हानि हुई है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर भारद्वाज) : (क) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राजस्थान में पेयजल की समस्या

1067. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में जल की अत्यधिक कमी वाले छोटे और मझोले नगरों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के ऐसे गांवों और नगरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन नगरों को पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ योजनाएं भेजी हैं और धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ). राजस्थान के छोटे तथा मध्यम नगरों में पेयजल की कमी का पता लगाने हेतु हालांकि भारत सरकार ने हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है किन्तु केन्द्रीय सहायता प्राप्त त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के रुप में राज्य सरकारों से छोटे नगरों (1991 की जनगणना के अनुसार 20000 से कम आबादी वाले) में पेय जल की समस्या का पता लगाने का अनुरोध किया गया है।

पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है। राज्य विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, राज्य सरकार ने 110 में से 105 छोटे तथा मध्यम नगरों के लिये 114.54 करोड़ रुपये लागत से जल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव किया है।

राज्य सरकार से इन 105 छोटे नगरों की प्रोफार्मा स्कीमें भेजने को कहा गया है जिनकी प्राप्त होने पर तकनीकी जांच की जायेगी और ए.यू.डब्लू.एस.पी. के दिशानिर्देशों अनुसार वित्त पोषण के लिये अनुमोदन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों का कार्यकाल

1068. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य मंत्रालयों/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है;

(ख) कितनी बार प्रतिनियुक्ति में वृद्धि की जा सकती है और कितनी अवधि के लिए उक्त वृद्धि की जा सकती है;

(ग) इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(घ) वर्तमान अनुदेशों की खामियों को दूर करने के लिए क्या उपचारत्मक उपाय करने का विचार किया गया है, ताकि न केवल यह सुनिश्चित किया जा सके कि बार-बार उन्हीं कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति पहले के ही पदों/सीटों पर न हो, बल्कि उक्त कर्मचारियों तथा नियुक्ति-प्राधिकरण प्राधिकारियों के निहित स्वार्थों पर भी अंकुश लगाया जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) किसी विशेष ग्रेड अथवा संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि उस पद के वेतनमान पर निर्भर करती है जिस पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उच्च स्तर अर्थात् 5700/- रुपये अथवा इससे अधिक के अधिकतम वेतनमान वाले पदों के लिए निर्धारित अवधि '5 वर्ष' है, मध्य प्रबन्धकीय स्तर अर्थात् 4500/- रुपये अथवा इससे अधिक के अधिकतम वेतनमान वाले पदों के लिए किन्तु 5700/- रुपये से कम वाले

पदों के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि '4 वर्ष' है तथा इससे निम्न स्तर के अन्य सभी पदों के लिए सामान्यतः यह अवधि '3 वर्ष' है। तथापि मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकताओं, उपलब्धता के क्षेत्र तथा निर्धारित योग्यताओं के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके प्रतिनियुक्ति की अवधि के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

(ख) सामान्य प्रतिनियुक्ति की अवधि के बाद एक वर्ष तक प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने की अनुमति अधिकारी के मूल विभाग की पूर्वानुमति से उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग के सचिव के अनुमोदन से दी जा सकती है। समान्य प्रतिनियुक्ति की अवधि के बाद दूसरे वर्ष के लिए स्वीकृति उधार देने वाले विभाग की सहमति प्राप्त होने के बाद उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से दी जा सकती है तथा सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि के बाद 2 वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति की अवधि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के बाद बढ़ाई जा सकती हैं।

(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि केवल लोकहित में ही बढ़ाई जाती है।

(घ) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के दो अन्तरालों के मध्य ''कूलिंग आफ'' अवधि का निर्णय लेने का प्राधिकार पहले ही दिया जा चुका है। विभिन्न सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को आवधिक नियमों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि अधिकारी प्रतिनियुक्ति की सामान्य अनुमत्य अवधि से अधिक समय अपने संबंधित संवर्गों से बाहर न रह सके।

नारियल जटा के धागे का आयात

1069. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्रीलंका से मशीन से काता हुआ नारियल जटा के धागे का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) मे राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सरकार का कयर का आयात करने का विचार नहीं हैं। कयर बोर्ड की निर्यात संवर्धन समिति की बैठक में कुछ निर्यातकर्ताओं ने बताया कि निर्यात योग्य उत्पादों के निर्माण के लिए अपेक्षित कयर यार्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और अनुरोध किया कि उन्हें कयर यार्न का आयात करने की अनुमति दी जाए। कयर यार्न का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कयर फाइबर के आयात की अनुमति देने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

थल सेना में ''अर्जुन'' को शामिल करना

1070. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वदेश-विकसित मुख्य युद्धक टैंक, ''अर्जुन'' के शामिल करने में किसी तरह के विलम्ब का विचार है जैसा कि 11 अगस्त, 1993 को ''इकनॉमिक टाइम्ज'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दशक पुराना ''विजयन्त'' के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो विस्तृत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने टैंकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख). जी नहीं। जनवरी/फरवरी, 1993 में किए गए परीक्षणों में अर्जुन टैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सेना ने इस टैंक को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। अर्जुन टैंक को वस्तविक फील्ड-स्थितियों के अनुकूल बनाने और उसका आगे उपयोग करने के लिए अब प्रयोक्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। इसको सेना में शामिल किए जाने के कार्यक्रम के साथ ही साथ निर्माण की योजना संबंधी कार्यवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

(ग) तथा (घ). विजयन्त टैंक का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया के रुप में किया जा रहा है। इस प्रकार के ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश

1071. श्री शंकर सिंह बघेला :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री मुमताज अंसारी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1993 के अंत तक भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए भारत सरकार ने कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दी थी और इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ख) किन किन कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और ऐसी प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी राशि का निवेश किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद अक्तूबर, 1993 के अन्त तक 1504 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमें 108768.40 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की परिकल्पना की गयी है।

(ख) मंजूर किए गए विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, विनिर्माण की मद और प्रत्येक प्रस्ताव में अर्न्तग्रस्त विदेशी निवेश की राशि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूज़लैटर के अनुपूरक के रुप में प्रकाशित किए जाते हैं और इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रुप से भेजी जाती हैं।

12.03 म.प.

[अनुवाद]

लोक सभा 12.03 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(व्यवधान)

इस समय श्री राजवीर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीटों पर वापिस चले जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वह अपनी सीट से कह सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.04

(तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई)

2.00 म.प.

लोकसभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(व्यवधान)

2.01 म.प.

इस समय श्री राजवीर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 3.00 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.04 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा 3.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई ?

3.00

लोक सभा 3.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(व्यवधान)

इस समय श्री बलराज पासी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

3.01 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 9 दिसंबर, 1993/18 अग्रहायण 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-110006

पी० एस० एस०—48/26/5/93 (एन)

250

© 1993 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के लिए 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।